

59वीं
वार्षिक रिपोर्ट
एवं लेखा
2017 – 2018



दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक
शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
वी.एन.आई.टी गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,

नागपुर - 440 033

59वीं
वार्षिक रिपोर्ट
एवं लेखा
2017–2018



दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा
एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
वी.एन.आई.टी गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,
नागपुर- 440 033

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत)

31 मार्च, 2018 को बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी

भारत सरकार के प्रतिनिधि

श्री हीरालाल सामरिया, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अरूण गोयल, वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

महानिदेशक, संयुक्त सचिव (ए.ई) एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्रम सचिव, श्रम सचिव अथवा सिविकम सरकार, श्रम विभाग, गंगटोक द्वारा नामित प्रतिनिधि

श्री सरमद हाफीज (भा.प्र.से.), श्रम आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, श्रम भवन, जम्मू

प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, श्रम विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

श्रम सचिव, श्रम सचिव अथवा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार प्रशिक्षण एवं फैक्टरी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि

श्री हिनमय जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री सुधाकर आर. अपराज, महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लॉयज यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन, मुंबई

श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस, हैदराबाद

श्री ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय यूनाइटेड श्रमिक संघ सेंटर, आयटक, कोलकाता

नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि

श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती, भोपाल

प्रो. डॉ. सौरभ अग्रवाल, इस्सोकाम, प्रोफेसर, लेखांकन एवं वित्त तथा विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक), भारतीय वित्त संस्थान, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

श्री के. मनिक्कम, महासचिव, भारतीय नियोक्ता परिषद (सीआईई), दक्षिण पूर्व भारत नियोक्ता परिसंघ, चेन्नै

श्री बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसीआई, फेडरेशन हाऊस, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन, नई दिल्ली

श्री एम. एल. शर्मा, अध्यक्ष, ए.आई.एम.ओ., दिल्ली राज्य बोर्ड, जीवन सहकार, मुंबई

श्री सतीश घोगरे, सह अध्यक्ष, सी-II, पश्चिम क्षेत्र, औद्योगिक सम्बन्ध उप समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डिया हैबिटेट सेण्टर, नई दिल्ली

शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि

श्री मंत्री कलावती, केवाडिगुडा, सिकन्दराबाद, तेलंगाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि

प्रोफेसर संजय देशमुख, कुल सचिव, मुंबई विश्वविद्यालय

पदेन सदस्य सचिव

श्री सुरेश सिंह, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

31 मार्च, 2018 को शासी निकाय के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

उपाध्यक्ष

श्री हीरालाल सामरिया, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुधाकर आर. अपराज, महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक जनरल एम्प्लाइज यूनियन

श्री के. मनिक्कम, महासचिव, भारतीय नियोक्ता परिषद, भारतीय दक्षिण पूर्व नियोक्ता परिसंघ

सदस्य

श्री अरुण गोयल, वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रम सचिव, श्रम सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल

श्री नीरब कुमार प्रसाद, भा.प्र.से., विशेष मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार प्रशिक्षण एवं कारखाना विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार, गुन्टूर

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.), म.प्र.

श्री सुधाकर आर. अपराज, महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लाइज यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन, मुंबई

श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस

श्री जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती, नई दिल्ली

श्री के. मनिक्कम, महासचिव, भारतीय नियोक्ता परिषद, भारतीय दक्षिण पूर्व नियोक्ता परिसंघ

प्रो. डॉ. सौरभ अग्रवाल, इस्सोकाम, प्रोफेसर, लेखांकन एवं वित्त तथा विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक), भारतीय वित्त संस्थान, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

पदेन सदस्य सचिव

श्री सुरेश सिंह, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

31 मार्च, 2018 को वित्त समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

सदस्य

श्री हीरालाल सामरिया, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अरुण गोयल, वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री हिरन्मय जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

प्रो. डॉ. सौरभ अग्रवाल, इस्सोकाम, प्रोफेसर, लेखांकन एवं वित्त तथा विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक),
भारतीय वित्त संस्थान, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.

श्री सुरेश सिंह, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

31 मार्च, 2018 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की प्रबंध समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)

उपाध्यक्ष

श्री कृष्ण प्रताप सिंह, राज्य महासचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री सतीश घोगरे, सह अध्यक्ष, सी-II, पश्चिम क्षेत्र, औद्योगिक सम्बन्ध उप समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डिया हैबिटेट सेण्टर, नई दिल्ली

सदस्य

श्री हीरालाल सामरिया, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अरुण गोयल, वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

महानिदेशक, महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मा.सं.वि. मंत्रालय

श्री एम.एल. शर्मा, अध्यक्ष, एआईएमओ, दिल्ली राज्य बोर्ड

श्री हिनमय जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री सुधाकर आर. अपराज, महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लॉयज यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन, मुंबई

डॉ. टी. इन्द्रसेन रेड्डी, श्रमिक शिक्षा, हैदराबाद

श्री जगदीश जोशी, प्रौढ़ शिक्षा

डॉ. एम. एम. रहमान, अनुसंधान

श्री सुरेश सिंह, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो)

पदेन सदस्य सचिव

श्री विश्व प्रकाश, प्रभारी उप निदेशक (प्रशिक्षण), भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई

उद्देश्य

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, देशभक्ति, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, सौहार्द्र, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म-निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों के सभी वर्गों को, जिनमें ग्रामीण तथा महिला श्रमिक भी शामिल हैं, राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिज्ञ सहभागिता के लिए उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना;
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और नागरिकों के रूप में, उद्योग में श्रमिक के रूप में, अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदधारी के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक समझबूझ का विकास करना;
- समय-समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना;
- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली, एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रूप में अधिकार देना तथा सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना;
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

क्रमांक (1)	विषय सूची (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	प्रस्तावना	..
2.	बोर्ड	..
3.	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान	..
4.	क्षेत्रीय, इकाई और ग्रामीण स्तरों पर कार्यक्रम	..
5.	सहायता अनुदान	..
6.	प्रकाशन एवं शैक्षिक सामग्री	..
7.	अन्य गतिविधियाँ	..
8.	बोर्ड के चुनिंदा कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएँ	..
9.	प्रभाव एक झलक	..
10.	सांख्यिकीय सारणियाँ	..
11.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र	..
12.	अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जवाब	..
13.	तुलन पत्र	..
14.	आय एवं व्यय लेखा	..
15.	अनुसूची 1-25	..
16.	प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	..
17.	सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	..
18.	सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा	..
19.	सामान्य भविष्य निधि तुलन पत्र	..
20.	बचत खाते एवं जमा खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण	..
21.	गृह निर्माण अग्रिम राशि में जमा का विवरण	..
22.	जमा चन्दा का विवरण	..
23.	स्वयंकोष निर्माण जमा विवरण	..
24.	सामान्य भविष्य निधि निवेश विवरण (अनुसूची सहित)..	..
25.	सी टी पी लेखा जमा का विवरण	..
26.	संयुक्त लेखा जमा का विवरण	..
27.	नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	..

अध्याय-1

प्रस्तावना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजकों ने महसूस किया कि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक समाज के लिए श्रमिक संघों तथा देश के शीघ्र विकास हेतु उनकी गतिविधियों में श्रमिकों की सक्रिय एवं समझदार भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त, मुक्त, जिम्मेवार तथा प्रजातांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमाणकारी भूमिका निभाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस संदर्भ में आयोजकों ने विचार किया था कि राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य में प्रमाणकारी रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को तैयार करने में श्रमिक शिक्षा मदद कर सकेगी। इन परिस्थितियों ने सन् 1957 में श्रमिक शिक्षा योजना को सूत्रबद्ध करने में विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सरकार को बाध्य किया। इस तरह भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से श्रमिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय टीम को नियुक्त किया। मार्च, 1957 में विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई, 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशों का समर्थन किया गया। भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक शिक्षा योजना को लागू करने हेतु एक अर्ध-स्वायत्त बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत एक त्रिपक्षीय सोसाइटी के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।

संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। बोर्ड, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों तथा 07 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क द्वारा अपने कार्यकलापों का संचालन करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै एवं भोपाल में स्थित छः आँचलिक निदेशालय अपने-अपने अंचल के क्षेत्रीय निदेशालयों की प्रशिक्षण गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

बोर्ड राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई जैसे तीन स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सन् 1970 में स्थापित बोर्ड के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सशक्त और अधिक जवाबदार श्रमिक संघों का विकास करना, श्रमिक संघ प्रशासन में प्रजातांत्रिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए श्रमिकों को सन्नद्ध करना, सामूहिक हित के आधार पर श्रमिकों में "राष्ट्रहित प्रथम" की

भावना का निर्माण, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बोर्ड को सक्षम बनाना ही भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य है।

संस्थान एक सूचना केन्द्र है और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह बोर्ड के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय निदेशालयों के लिए ज्ञान का भण्डार भी है। संस्थान में श्रमिकों के लिए शिक्षा प्रणाली साधनों को विकसित करने एवं परिष्कार करने के लिए अनुसंधान विंग भी है। यह बोर्ड के पदाधिकारियों के लिए गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

बोर्ड तथा शासी निकाय

भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। श्री के. लक्ष्मा रेड्डी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के प्रशासकीय प्रधान बोर्ड के निदेशक हैं। श्री सुरेश सिंह, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 15.03.2017 को द.टें.रा.श्र.शि. वि.बोर्ड में निदेशक के पद का कार्यभार सँभाला।

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्यों में से चयनित शासी निकाय द्वारा बोर्ड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशालय के स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करने, कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने तथा सामान्यतः क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ भी त्रिपक्षीय प्रकार की हैं।

प्रशिक्षण

बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय वर्ग के लिए भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2017-2018 के दौरान संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आयोजित 9000 कार्यक्रमों में 3,12,445 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड की सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों तथा श्रमिक संघों द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

मूल्यांकन

बोर्ड की स्थापना से ही समय-समय पर दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड आंतरिक रूप से अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन श्रमिकों के साथ-साथ कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा करता है और तदनुसार अपने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करता है।

वर्ष 2017-2018 के दौरान दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिबो) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव से असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में **138 स्वावलंबन समूहों** की स्थापना की गई। इन स्वावलंबन समूहों के कारण समूह के सदस्यों को स्व-रोजगार हेतु मदद मिली।

ध्यानाकर्षित क्षेत्र

ग्रामीण, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के बहुसंख्यक श्रमिकों को देखते हुए बोर्ड ने सामान्यतः ग्रामीण, असंगठित श्रमिकों तथा विशेषतः जनजातीय श्रमिकों, निर्माण कार्य श्रमिकों, बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को शिक्षित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के चार क्षेत्रीय निदेशालय हैं जो गुवाहाटी, इम्फाल, तिनसुकिया एवं सिलिगुड़ी में स्थित हैं।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ एच.आई.वी./एड्स, मानव अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव आदि जैसे विषयों पर भी चाय बागान श्रमिकों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

बोर्ड द्वारा गुवाहाटी में स्थापित आँचलिक निदेशालय सिर्फ उत्तर-पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों का अनुवीक्षण करता है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों के लिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को **1.60 करोड़** रुपये की विशेष पैकेज की मंजूरी भी दी है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के **13090** श्रमिकों के लिए **350** कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें **2336** संघ कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित **80** विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

महिला श्रमिकों का प्रशिक्षण

महिला श्रमिकों के सशक्तीकरण पर भारत सरकार के जोर के अनुकूल बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला श्रमिकों की अधिक भागीदारी के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल **2,36,500** महिला श्रमिकों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण गतिविधियों के आधार पर निष्पादन

पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की गतिविधियों का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2016-2017		2017-2018	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	राष्ट्रीय स्तर				
1	श्रमिक संघों के लिए पाठ्यक्रम	34	849	29	660
2	क्षेत्रीय निदेशकों/शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	21	1	14
3	बोर्ड के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम	2	38	1	34
4	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ताओं के लिए	1	42	1	25
	संगठित क्षेत्र				
	राष्ट्रीयस्तर				
5	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम (5 दिवसीय)	24	718	18	540
	क्षेत्रीय स्तर				
6	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	1	16	-	-
7	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	21	468	13	302
8	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (5 दिवसीय)	-	-	-	-
9	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	250	6309	219	5362
10	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	630	12510	590	11882
11	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम (3 दिवसीय)	30	786	23	612
12	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	811	20792	788	20414
13	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (1दिवसीय/ 5 दिवसीय)	17	441	14	351
14	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	-	-	6	118
	इकाई स्तर				
15	अंशकालीन/पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं	40	1199	23	563
16	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	273	6289	211	5380
17	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	26	884	19	674
18	संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1 दिवसीय)	192	5587	161	4691
	असंगठित क्षेत्र				
19	असंगठित क्षेत्र/ दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	229	8947	191	7328

20	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	66	2554	42	1610
21	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	80	3125	68	2624
22	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	205	11201	185	10017
23	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	50	1493	53	1548
24	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	-	-	-	-
25	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	3	120	1	40
26	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	697	26769	660	24788
27	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	531	20259	435	16094
28	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	310	11860	206	7802
29	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1	37	8	249
30	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	531	20075	379	14013
31	एससीएसपी/टीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2391	89568	2880	106140
32	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	491	18600	428	15942
33	पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	40	1363	28	952
34	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायती राज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	19	511	9	248
35	निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2	78	1	40
36	इनोवेटिव कार्यक्रम (1 दिवसीय)	-	-	6	279
	ग्रामीण क्षेत्र				
37	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	893	33803	797	30010
38	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	83	3220	73	2780
39	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	173	8822	151	7719
40	मनरेगा के गाँव स्तरीय कार्यक्रम	319	12391	280	10510
41	मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम	5	500	2	90
42	सहायता अनुदान कार्यक्रम	7	280	-	-
	कुल	9481	332787	9000	312445

अध्याय-II

बोर्ड

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं नियोक्ता केन्द्र व राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा श्रमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं।

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी ने दिनांक 01.02.2018 को दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा श्री हिरन्मय जे. पाण्ड्या ने दिनांक 14 सितम्बर, 2018 को नये अध्यक्ष के रूप में दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड में अपना कार्यभार सँभाला।

श्री सुरेश सिंह, निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च, 2017 को द. टें.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड के निदेशक पद का कार्यभार सँभाला।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों एवं नियोक्ताओं, केन्द्र एवं राज्य सरकारों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं श्रमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत संघ के प्रतिनिधि बोर्ड के निकाय में होते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य निम्नवत थे:

अध्यक्ष	
श्री के. लक्ष्मा रेड्डी	अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, (केश्रशिबो)
सदस्य	
श्री हीरा लाल सामरिया	अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
श्री अरुण गोयल	वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
महानिदेशक	संयुक्त सचिव (एई) एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
श्रम सचिव	श्रम सचिव एवं सिविकम सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, श्रम विभाग, गंगटोक
श्री सरमद हाफिज (भा.प्र.से.)	श्रम आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर, श्रम भवन, रेलवे रोड, गंगटोक
प्रधान सचिव	प्रधान सचिव, वल्लभ भवन, श्रम विभाग, मध्यप्रदेश सरकार, भोपाल
श्रम सचिव	श्रम सचिव एवं आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि, प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, प्रशिक्षण एवं उद्योग विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार, हैदराबाद
श्री हिरन्मय जे. पाण्ड्या	उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री सुधाकर आर. अपराज	म्हासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लॉयज यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट, कामगार सदन, मुंबई
श्रीमती बी.वी. विजयालक्ष्मी	सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक)
श्री ए. एल. गुप्ता	उपाध्यक्ष, ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (आयटक), कोलकाता
श्री जितेन्द्र गुप्ता	राष्ट्रीय महासचिव, लघु उद्योग भारती, भोपाल
प्रो. डॉ. सौरभ अग्रवाल	इस्सोकाम, प्रोफेसर, लेखांकन एवं वित्त तथा विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक), भारतीय वित्त संस्थान, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र.
श्री के. मनिक्कम	महासचिव, भारतीय नियोक्ता परिषद (सीआईई), दक्षिण पूर्व भारत नियोक्ता परिसंघ, चेन्नै
श्री बी.पी. पंत	कार्यकारी निदेशक, (एफ.आई.सी.सी.आई.), अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन, नई दिल्ली
श्री एम. एल. शर्मा	अध्यक्ष, एआईएमओ, दिल्ली राज्य बोर्ड, जीवन सहकार, मुंबई
श्री सतीश घोरे	सहअध्यक्ष, सी-11, पश्चिम क्षेत्र, औद्योगिक संबंध उप समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डिया हैबिटेट सेक्टर, नई दिल्ली
श्रीमती मन्त्री कलावती	केवाडिगुडा, सिकन्दराबाद, तेलंगाना
प्रो. संजय देशमुख	कुलसचिव, मुंबई विश्वविद्यालय

सदस्यता में परिवर्तन

बोर्ड ने दिनांक 18.04.2017 को 03 वर्ष के लिए अप्रैल, 2020 तक सदस्यों का पुनर्गठन किया है।

शासी निकाय की बैठकें

वर्ष 2017-2018 के दौरान शासी निकाय की 01 बैठक आयोजित की गई:

18 अगस्त, 2017 को उदयपुर में 172वीं शासी निकाय की बैठक।

महत्वपूर्ण निर्णय

शासी निकाय ने अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया:

- 03 उपाध्यक्षों का चयन
- वित्त उप समिति का पुनर्गठन
- भा.श्र.शि.सं., मुंबई की प्रबंधन समिति का पुनर्गठन
- स्थानान्तरण नीति का अनुमोदन
- बोर्ड द्वारा 30 प्रतिशत राजस्व अर्जित करने के लिए प्रस्ताव
- भा.श्र.शि.सं., मुंबई में स्टॉफ क्वार्टर का निर्माण

क्षेत्रीय सलाहकार समिति

श्रमिक शिक्षा योजना को निरंतर आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय निदेशालय को सहायता करने के लिए दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) द्वारा गठित क्षेत्रीय सलाहकार समिति ने क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा की और मार्गदर्शन प्रदान किया।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति को क्षेत्रीय निदेशालयों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति (क्षे.स.स.) के अध्यक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया:

वित्त समिति की बैठक

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड की वार्षिक लेखा को अनुमोदित करने के लिए मुख्यालय, नागपुर में बोर्ड की वित्त उप समिति की 61वीं बैठक आयोजित की गई। वित्त उप समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक लेखा अनुमोदित किया गया और उसे लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया।

वित्त एवं लेखा

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोर्ड द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से पिछले वर्ष के लिए सहायता अनुदान राशि रुपये 1.87 करोड़ से मिलान करते हुए गैर योजना के अंतर्गत रुपये 73.37 करोड़ प्राप्त हुआ। बोर्ड ने गैर-योजनातर्गत रुपये 68.40 करोड़ तथा योजनातर्गत रुपये 9.54 करोड़ प्रयोग में लाया। इस प्रकार वर्ष 2017-18 की समाप्ति तक गैर योजनान्तर्गत राशि रुपये 4.97 करोड़ व्यय नहीं हो पाई।

* * * * *

अध्याय- III

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भाश्रशिस), मुंबई की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो) द्वारा वर्ष 1970 में की गई। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों एवं अन्य संघों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

बोर्ड के शासी निकाय द्वारा गठित प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन के अंतर्गत संस्थान की गतिविधियाँ संचालित की जाती है। वर्तमान में प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

अध्यक्ष

श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो)

उपाध्यक्ष	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	राज्य महा सचिव, भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश
श्री सतीश घोगरे	अध्यक्ष, सी-II, पश्चिम क्षेत्र, औद्योगिक संबंध उप समिति एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, भारतीय उद्योग परिसंघ, इण्डिया हैबिटैट सेण्टर, नई दिल्ली
सदस्य	
श्री हीरा लाल सामरिया	अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
श्री अरुण गोयल	वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
महानिदेशक	संयुक्त सचिव (ईई) एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
श्री एम. एल. शर्मा	अध्यक्ष, एआईएमओ, दिल्ली राज्य बोर्ड
श्री हिरन्मय जे. पाण्डया	उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.), वड़ोदरा
श्री सुधाकर आर. अपराज	महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लॉयज यूनियन, मुंबई
डॉ. टी. इंद्रसेन रेड्डी	श्रमिक शिक्षा, हैदराबाद
श्री जगदीश जोशी	प्रौढ़ शिक्षा
डॉ. एम. एम. रेहमान	अनुसंधान
श्री सुरेश सिंह	निदेशक, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो.

पदेन सदस्य सचिव

श्री विश्व प्रकाश उप निदेशक (प्रशि.) प्रभारी, भा.श्र.शि.संस्थान, मुंबई

संस्थान ने रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों, राष्ट्रीय परिसंघों एवं प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए 38 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि, प्रतिभागियों की संख्या, वर्गीकरण इत्यादी का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	विषय	अवधि	लिंगवार विवरण		कुल
				पुरुष	महिला	
1.	क्षे.स.स. के अध्यक्ष/ सदस्य	दठेंराश्रशिबो में क्षे.स.स. की भूमिका	19/04/2017- 21/04/2017	20	—	20
2.	एआईएफआर के कार्यकर्ता (हि.म.सं.)	भारतीय रेलवे को ग्लोबल लीडर कैसे बनाए	24/04/2017- 28/04/2017	22	01	23
3.	क्षे.नि./क्षे.नि.प्र. (उ.अं./प.अं./म.अं.) दठेंराश्रशिबो	तनाव प्रबंधन	22/05/2017- 24/05/2017	13	01	14
4.	हिन्द मजदूर सभा की महिला कार्यकर्ता	संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-230 के हिस्से के रूप में लिंग-भेदभाव	05/06/2017- 09/06/2017	01	17	18
5.	बैंक अधिकारी संगठन के कार्यकर्ता (भा.म.सं.)	जनता में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण	19/06/2017- 21/06/2017	29	—	29
6.	आई.सी.एल. के कार्यकर्ता	मूलभूत श्रम कानून	03/07/2017- 07/07/2017	31	—	31
7.	इंडियन नेशनल माईन वर्कर्स फेडरेशन (इंटक)	कोयला उद्योग में महिला श्रमिकों का सशक्तीकरण	10/07/2017- 14/07/2017	—	19	19
8.	वनवासी एवं ग्रामीण श्रमिक के कार्यकर्ता (भा.म.सं.)	समाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक योजना	17/07/2017- 21/07/2017	21	10	31
9.	एटक के कार्यकर्ता	समाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक योजना	24/07/2017- 28/07/2017	24	13	37
10.	एन.एल.ओ. के कार्यकर्ता	क्षमता निर्माण	04/08/2017- 08/08/2017	20	—	20
11.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता (सत्र में)	आई.टी. का महत्व एवं सोशल मीडिया	12/09/2017- 16/09/2017	37	01	38
12.	एटक के कार्यकर्ता	महिला श्रमिकों के सशक्तीकरण संबंधित कानून	18/09/2017- 22/09/2017	—	33	33
13.	दठेंराश्रशिबो के अधिकारी एवं कर्मचारी	पीएफएमएस (ईएटी मॉड्यूल) एवं डी.बी.टी.	25/09/2017- 26/09/2017	30	04	34

14.	इंटक के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय अखंडता में श्रम संघों की भूमिका	09 / 10 / 2017– 13 / 10 / 2017	07	—	07
15.	भारतीय राष्ट्रीय खदान श्रमिक फेडरेशन के कार्यकर्ता (इंटक)	नेतृत्व विकास	23 / 10 / 2017– 27 / 10 / 2017	22	—	22
16.	भारतीय मजदूर महासंघ के कार्यकर्ता (टेक्सटाइल श्रमिक)	टेक्सटाइल उद्योग में कार्य की प्रगति को बढ़ावा	06 / 11 / 2017– 10 / 11 / 2017	24	02	26
17.	आई.सी.एल. के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय एकता में श्रमिक संघ की भूमिका	20 / 11 / 2017– 24 / 11 / 2017	21	02	23
18.	बी.के.एस.एम. के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	27 / 11 / 2017– 29 / 11 / 2017	39	—	39
19.	भा.म.संघ के कार्यकर्ता (ठेका श्रमिक)	ठेका श्रमिकों के समक्ष समस्याएं एवं चुनौतियाँ	04 / 12 / 2017– 08 / 12 / 2017	29	—	29
20.	टी.यू.सी.सी. के कार्यकर्ता	औद्योगिक संबंध एवं श्रम संघवाद	11 / 12 / 2017– 15 / 12 / 2017	06	05	11
21.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	व्यवसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण	18 / 12 / 2017– 22 / 12 / 2017	22	01	23
22.	बगान श्रमिक इंटक के कार्यकर्ता	बगान श्रमिकों के लिए श्रम कानून में कल्याणकारी प्रावधान	26 / 12 / 2017– 29 / 12 / 2017	15	—	15
23.	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ता	राष्ट्रीय विकास में श्रमिक संघों की भूमिका	01 / 01 / 2018– 05 / 01 / 2018	23	02	25
24.	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रों की भूमिका	08 / 01 / 2018– 12 / 01 / 2018	16	03	19
25.	एटक के कार्यकर्ता	श्रम कानून की प्रस्तावना	12 / 03 / 2018– 16 / 03 / 2018	19	01	20
कुल			25 कार्यक्रम	491	115	606
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रमों का विवरण						
1.	टाटा मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	---	25.01.2018	09	08	17
2.	टाटा मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	---	27.01.2018	12	09	21
3.	होंडा मोटर साइकिल	---	31.01.2018	09	—	09

	एण्ड स्कूटर इंडिया प्राइवेट (लिमि.) के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय स्व.को. नि. कार्यक्रम					
4.	टाटा मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	---	08.02.2018	14	06	20
5.	टाटा मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	---	09.02.2018	13	07	20
6.	टाटा मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	---	10.02.2018	15	—	15
7.	एचआर, फाइनेन्स एण्ड सी एण्ड एमएम कैंडर ऑफ न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहायकों के लिए एक दिवसीय स्वयंकोष नि. कार्यक्रम	---	20.02.2018	07	13	20
		कुल जोड़	07 कार्यक्रम	79	43	122
		कुल	32 कार्यक्रम	570	163	733

संगठनवार विवरण

संस्थान हमेशा ही श्रम संघों तथा नेताओं की माँग और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखता है। देशभर में भा.श्र.शि.सं. के कार्यक्रमों की भारी माँग है। अधिकांश केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया है।

प्रतिभागियों का संगठनवार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संगठन का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	लिंगवार विवरण		
			पुरुष	महिला	कुल
1	आयटक	03	43	47	90
2	इंटक	04	44	19	63
3	हिन्द मजदूर सभा	05	98	23	121
4	भारतीय मजदूर संघ	05	123	12	135
5	बी.के.एस.एम.	01	39	—	39
6	इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर (आईसीएल)	02	52	02	54
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी / कर्मचारी	02	43	05	48
8	राष्ट्रीय श्रमिक संघटन (एन.एल.ओ.)	01	20	—	20
9	जम्मू एवं कश्मीर	01	23	02	25
10	टी.यू.सी.सी.	01	06	05	11
11	टाटा मेमोरियल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए (स्व.को.नि.)	05	63	30	93
12	होंडा मोटर साइकिल के कर्मचारियों के लिए (स्व.को.नि.)	01	09	—	09
13	एनपीसीआईएल के पदाधिकारी (स्व.को.नि.)	01	07	13	20
	कुल	32	570	163	733

पदनाम के अनुसार विवरण

उपर्युक्त कार्यक्रमों में न केवल केन्द्रीय श्रमिक संघों/परिसंघों के सदस्य भाग लेते हैं बल्कि उनके पदाधिकारी तथा कार्यकारी समिति सदस्य भी भाग लेना चाहते हैं। उसी तरह, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

पदनाम के अनुसार प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पदनाम	पुरुष	महिला	कुल
1.	अध्यक्ष	25	04	29
2.	ब्लॉक अध्यक्ष	05	—	05
3.	जिला अध्यक्ष	17	07	24
4.	ऑचलिक अध्यक्ष	01	—	01
5.	कार्यकारी अध्यक्ष	06	—	06
6.	शाखा अध्यक्ष	01	—	01
7.	सर्किल अध्यक्ष	—	01	01
8.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	01	—	01
9.	राज्य अध्यक्ष	05	—	05
10.	राज्य कार्यकारी अध्यक्ष	01	—	01
11.	सहायक उपाध्यक्ष	02	—	02
12.	इकाई उपाध्यक्ष	02	—	02
13.	इकाई अध्यक्ष	04	—	04
14.	उपाध्यक्ष	32	06	38
15.	राज्य उपाध्यक्ष	04	03	07
16.	ऑचलिक अध्यक्ष	02	—	02
17.	जिला उपाध्यक्ष	04	—	04
18.	अध्यक्ष	01	—	01
19.	सचिव	18	01	19
20.	जिला सचिव	08	02	10
21.	राज्य संयुक्त सचिव	01	—	01
22.	राज्य सचिव	10	—	10
23.	राज्य महासचिव	03	02	05
24.	उप सचिव	03	—	03
25.	अपर सचिव	01	—	01
26.	ऑचलिक सचिव	06	—	06
27.	राष्ट्रीय सचिव	01	—	01
28.	इकाई महासचिव	02	—	02
29.	इकाई सचिव	05	—	05
30.	क्षेत्रीय सचिव	04	—	04
31.	संयुक्त सचिव	10	02	12
32.	जिला संगठन सचिव	02	—	02
33.	संगठन सचिव	06	01	07

34.	सहायक सचिव	05	—	05
35.	कार्यालय अधीक्षक	03	—	03
36.	कार्यालय सचिव	04	—	04
37.	महासचिव	28	06	34
38.	सहायक महासचिव	05	—	05
39.	राष्ट्रीय उप सचिव	01	—	01
40.	संगठन सचिव	04	—	04
41.	कोषाध्यक्ष	10	02	12
42.	कार्यकारी समिति सदस्य	07	05	12
43.	कार्यपालक समिति सदस्य	68	34	102
44.	सदस्य	78	29	107
45.	सर्किल संयुक्त सचिव	—	01	01
46.	सचिवालय सदस्य	01	—	01
47.	सदस्य राज्य परिषद	03	01	04
48.	ऑचलिक संगठक	01	—	01
49.	जिला संगठक	01	—	01
50.	अपर अध्यक्ष	02	—	02
51.	खण्ड अध्यक्ष	01	—	01
52.	शाखा सचिव	06	—	06
53.	युवा सचिव	01	—	01
54.	शाखा अध्यक्ष	02	—	02
55.	संगठक	03	03	06
56.	क्षेत्र प्रमुख	01	—	01
57.	प्रतिनिधि	—	01	01
58.	प्रशासनिक अधिकारी	01	—	01
59.	आंतरिक प्रतिभागी	43	05	48
60.	खण्ड कोषाध्यक्ष	01	—	01
61.	खण्ड सचिव	05	—	05
62.	राष्ट्रीय कार्यपालक सदस्य	—	03	03
63.	राज्य कोषाध्यक्ष	02	—	02
64.	समिति सदस्य	01	—	01
65.	युवा अध्यक्ष	01	—	01
66.	उपक्षेत्र अध्यक्ष	02	—	02
67.	समिति सचिव	01	—	01
68.	श्रमिक	04	—	04
69.	कार्यालय सचिव	02	—	02
70.	टाटा मेमोरियल अस्पताल के पदाधिकारी होंडामोटरसाइकिल एण्ड एनपीसीआईएल के पदाधिकारी	79	43	122
	कुल	570	163	733

प्रतिभागियों का राज्यवार विवरण

वर्ष 2017-18 में संस्थान द्वारा आयोजित 32 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 23 राज्यों से आए प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुष	महिला	कुल
1	आंध्र प्रदेश	15	04	19
2	आसाम	08	09	17
3	बिहार	09	04	13
4	छत्तीसगढ़	08	—	08
5	गोवा	02	01	03
6	गुजरात	21	06	27
7	हरियाणा	13	—	13
8	हिमाचल प्रदेश	02	02	04
9	मणिपुर	—	02	02
10	जम्मू एवं कश्मीर	24	02	26
11	झारखण्ड	14	07	21
12	कर्नाटक	13	04	17
13	केरल	10	—	10
14	मध्य प्रदेश (एम.पी.)	66	26	92
15	महाराष्ट्र	203	47	250
16	उड़ीसा	05	04	09
17	पंजाब	11	03	14
18	राजस्थान	18	09	27
19	तमिलनाडु	28	05	33
20	तेलंगाना	22	07	29
21	उत्तराखण्ड	05	02	07
22	उत्तर प्रदेश	50	08	58
23	पश्चिम बंगाल	23	11	34
कुल योग		570	163	733

श्रेणीवार विवरण

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के अधिकाधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यथोचित ध्यान दिया गया। श्रेणीवार विवरण निम्नवत सारणी में है:

क्र.सं.	श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
1.	अनुसूचित जाति	92	38	130
2.	अनुसूचित जनजाति	58	24	82
3.	अन्य पिछड़ी जाति	23	05	28
4.	अन्य	397	96	493
कुल योग		570	163	733

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय गतिविधियों की सांख्यिकीय रूपरेखा

भा.श्र.शि.सं. पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र पूरे वर्ष श्रम कानूनों से संबंधित विषयों को प्रयोगकर्ताओं की शैक्षिक एवं सूचनापरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रहण विकास, प्रोसेसिंग, संग्रहण, सूचना को डिस्प्ले करने की गतिविधियों में लगा रहता है। पुस्तकालय गतिविधियों की सांख्यिकीय रूपरेखा निम्नवत है :-

क्र.सं	पुस्तकालय गतिविधि	अप्रैल, 2017- मार्च, 2018
1.	पुस्तकालय प्रयोगकर्ताओं की संख्या	651
2.	जारी दस्तावेज एवं संदर्भित पुस्तकें	4707
3.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस डी आई) प्रयोगकर्ताओं के लिए सेवा	82 (प्रयोगकर्ता) (173 विषयों पर)
4.	फोटो गैलरी में दर्शकों की संख्या	451
5.	पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या	14881
6.	वर्ष के दौरान समाहित की गई पुस्तकें	06
7.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस.डी.आई.) सेवा के दौरान पुस्तकालय आबंटित विषय/समूह चर्चा	433 (प्रतिभागी) (84 विषयों पर)
8.	अध्ययन सामग्री संदर्भ -विषय	203 (32 प्रशिक्षण कार्यक्रम)
9.	प्रकाशन - आपके तथ्य (मासिक)	12
10.	वर्तमान में जागरूकता सेवाएं (सी.ए.एस.)	27
11.	पी.एच.डी. थिसिस की कुल संख्या	38

दृश्य-श्रव्य साधन

वर्ष 2017-18 के दौरान, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य-श्रव्य साधनों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया।

क्र.सं	दृश्य-श्रव्य साधन	संख्या
1.	कम्प्यूटर/लैपटॉप/एलसीडी/ल्यूमेन्स विज्यूअलॉइजर	263
2.	ओ.एच.पी.	77
3.	वीडियो सी.डी. शो	16

फोटो गैलरी

वर्ष 2017-18 के दौरान पूरे भारत से 451 सदस्यों ने फोटो गैलरी में भेंट दी।

श्रम शिक्षा सेवा

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान से अनुसंधान अधिकारी का पद मुख्यालय में स्थानान्तरित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्लेषण एवं प्रभाव

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान, संस्थान ने 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 733 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। जिसमें कुल 733 में से, 570 पुरुष तथा 163 महिला प्रतिभागी थीं। सभी विषय से संबंधित कार्यक्रमों की प्रतिभागियों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई।

वर्ष भर में 13 विभिन्न संगठनों जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों, बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों के पदाधिकारी जम्मू एवं कश्मीर एवं सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों, उपक्रमों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर बल

भा.श्र.शि.सं. द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-18 के दौरान, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों ने गत 2-3 वर्षों से उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रबंधन समिति की बैठकें

01 नवम्बर, 2017 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की 40वीं प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

महत्वपूर्ण विशेषताएं

- डीटीएनबीडब्ल्यूईडी की वार्षिक आम सभा 21 जून, 2017 को संपन्न हुई। श्री सुधाकर अपराज ने भा.श्र.शि.सं., मुंबई के पुस्तकालय में अपनी भेंट दी। उन्होंने पुस्तकालय व्यवस्थापन की प्रशंसा की।
- 'स्त्री-पुरुष समानता' तथा 'महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं' विषय पर भा.श्र.शि.सं. के लिए आयोजित पाठ्यक्रम में विचार-विमर्श किया गया।
- 12 विभिन्न विषयों पर 'फैक्ट्स फॉर यू' पुस्तकालय द्वारा तैयार किया गया।
- 16 सितम्बर समारोह बड़े पैमाने पर मनाया गया। "श्रमिक शिक्षा" पर आधारित कार्यक्रम से संबंधित सभी अनिवार्य जानकारी पुस्तकालय में उपलब्ध थीं।
- 26 सितम्बर, 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह मनाया गया, उपर्युक्त अवसर पर पूरक जानकारी प्रदान की गई।
- वर्ष के दौरान, आगंतुकों, अनुसंधान छात्रों, प्रबंधन विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय निदेशकों आदि की मांग पर पुस्तकालय द्वारा श्रम तथा इससे संबंधित विषयों पर सूचनात्मक ज्ञानप्रद जानकारी दी गई।
- भा.श्र.शि.सं. द्वारा आयोजित स्व.नि. कार्यक्रमों में पुस्तकालय द्वारा सभी शिक्षा प्रद साहित्य उपलब्ध कराई गई।

संकाय समर्थन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में 02 प्रशिक्षण अधिकारी श्रमिक संघ/प्रबंधन/सरकारी संगठनों आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों से विशेषज्ञ सेवाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन एवं आयोजन किया।

अध्याय-IV

क्षेत्रीय, इकाई एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम

संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का प्रशिक्षण

दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) ने पूरे देश में व्याप्त अपने 50 क्षेत्रीय एवं 07 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखा है:

1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	45 दिवसीय
2.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1 सप्ताह
3.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	3 सप्ताह
4.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम	1/2/3 दिवसीय
5.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद	2 दिवसीय
6.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	1/2/3 दिवसीय
7.	श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम	2/4 दिवसीय
8.	अंशकालीन इकाई स्तर कक्षाएं (प्रति दिन एक घंटा)	45 दिवसीय
9.	अंशकालीन इकाई स्तर कक्षाएं (प्रति दिन एक घंटा)	1 माह
10.	सप्ताहांत इकाई स्तर कक्षाएं	3 माह
11.	पूर्ण कालीन इकाई स्तर कक्षाएं	3 सप्ताह
12.	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद	1 दिवसीय/5दिवसीय (अंशकालीन)
13.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	6 माह (अंशकालीन)
14.	संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद	1 दिवसीय

गत वर्ष की भाँति, नए और उपेक्षित उद्योगों के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय निदेशालयों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि सक्रिय श्रमिकों एवं श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

चयनित श्रमिकों को क्षेत्रीय निदेशालयों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे अपने संगठन में वापस जाकर उद्यम स्तर पर साधारण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलापों को आयोजित करते हैं। प्रशिक्षकों की कार्यक्षमता, प्रभावात्मकता, शिक्षण कौशल, रुचि एवं प्रेरणा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

वर्ष 2017-2018 के दौरान डेढ़ माह के 03 पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों में कोई भी प्रशिक्षक प्रशिक्षित नहीं किए गए। उनमें से कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र एवं कोई भी निजी क्षेत्र के नहीं थे।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों का संघवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

1.	इंटक	-
2.	एटक	-
3.	भारतीय मजदूर संघ	-
4.	हिन्द मजदूर सभा	-
5.	सी.ई.टी.यू.	-
6.	यू.टी.यू.सी.	-
7.	अखिल भारतीय परिसंघ	-
8.	अन्य	-
	<u>कुल</u>	--

यह देखा गया है कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए श्रमिक संघों ने योग्य व्यक्तियों को नामित करने लगा है। इन पाठ्यक्रमों के लिए श्रमिक संघों में पदाधिकारी की हैसियत से दायित्व निभाने वाले व्यक्ति नामित किए गए थे। उनका विवरण निम्न प्रकार है:

1.	अध्यक्ष	-
2.	उपाध्यक्ष	-
3.	सचिव	-
4.	कोषाध्यक्ष	-
5.	कार्यकारी सदस्य	-
6.	प्रतिनिधि	-
7.	अन्य	-
	<u>कुल</u>	--

शैक्षणिक भ्रमण

डेढ़ माह के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों में श्रमिक संघों, औद्योगिक

संबंधों, उत्पादकता तकनीकों, सुरक्षा, कार्य वातावरण आदि से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने में श्रमिकों को मदद करना है। नियोक्ताओं ने अध्ययन भ्रमणों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को अपने-अपने संबंधित संगठनों के नियमों के अनुसार पूर्ण यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता दिया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तत्संबंधित संगठनों के नियमानुसार, किसी भी प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन नहीं किया गया।

स्थानीय भ्रमण

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा प्रधान श्रम संघों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं श्रम विभाग के कार्यालयों में आयोजित स्थानीय भ्रमणों ने उनके क्रियाकलापों को समझने तथा व्यावहारिक महत्व वाले विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने में मदद किया। वर्ष के दौरान प्रशिक्षक प्रशिक्षार्थियों के लिए स्थानीय भ्रमण आयोजित नहीं किया गया।

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम

श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम बोर्ड के लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है जिसकी श्रम संघों द्वारा सराहना की गई। नेतृत्व, गुणवत्ता, संप्रेषण तथा समझौता में प्रवीणता हासिल करने की दृष्टि से श्रमिक संघ अपने सक्रिय श्रमिकों को इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु नामित करते हैं। वर्ष के दौरान 13 प्रतिभागियों के लिए 302 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम

श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों के प्रतिनिधियों को एक आम मंच पर लाने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा प्रबंधन में भागीदारी, उत्पादकता, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्य-संस्कृति, द्विदलीय समितियों में सहभागिता पर चर्चा करने हेतु अल्पावधि के संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

संगठनों से प्राप्त फीडबैक से पता चला कि इन कार्यक्रमों ने प्रबंधकों एवं श्रमिक संघों को कार्यस्थल पर आपसी समझबूझ, सामूहिकता की भावना एक सामूहिक गतिशीलता बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों के लिए माँग निरंतर बढ़ती जा रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधनों तथा श्रमिक संघों के 25912 प्रतिनिधियों के लिए 1005 संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चलाए गए।

आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद

श्रमिक संघ के पदाधिकारियों तथा अन्य श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर गहन और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर तथा इकाई स्तर पर 01, 02 एवं 05

दिवसीय विषयाधारित अथवा आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान **5713** श्रमिकों ने इस प्रकार के **233** कार्यक्रमों में भाग लिया।

स्वयंकोष निर्माण के लिए कार्यक्रम

बोर्ड, नाम मात्र शुल्क लेकर क्षेत्रीय स्तर पर 1/2/3दिवसीय स्वयंकोष निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान **11882** श्रमिकों के लिए **590** कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम

9वीं पंचवर्षीय योजना में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो) द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर दो/चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने, प्रेरणा विकसित करने, व्यक्तित्व का निर्माण करने, पारिवारिक स्तर उँचा उठाने, पड़ोसियों से अच्छे आपसी संबंध बनाए रखे, पर्यावरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करने, टीम कार्य, मानवीय संबंधों, उत्पादकता बोध, कार्य के प्रति लगाव, अनुशासन, आपसी विश्वास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि की भावनाओं को विकसित करने की दृष्टि से आरंभ किया गया। आरंभ से ही यह कार्यक्रम लोकप्रिय बन गया है।

वर्ष **2017-2018** के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित इस तरह के **129** कार्यक्रमों में **4908** श्रमिकों के जीवनसाथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। **129** कार्यक्रमों में से **4908** प्रतिभागियों को, जिसमें संगठित क्षेत्र के लिए आयोजित **19** कार्यक्रमों में **674** श्रमिकों एवं जीवनसाथियों को प्रशिक्षित किया गया जबकि असंगठित क्षेत्र के लिए आयोजित **110** कार्यक्रमों में **4234** श्रमिकों के जीवनसाथियों को प्रशिक्षित किया गया।

संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद

बोर्ड द्वारा बहुत पहले प्रशिक्षित श्रमिक भारत सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति आरंभ करने के बाद हुए नवीनतम विकासों के बारे में अनभिज्ञ हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में बदलते परिदृश्य की दृष्टि में इकाई स्तर की कक्षाओं में बहुत पहले प्रशिक्षित श्रमिकों को अपनी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम क्षेत्र के नवीनतम विकासों की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।

अतः बोर्ड ने इकाई स्तर की कक्षाओं में 1992 से पूर्व प्रशिक्षित हुए श्रमिकों के लिए वर्ष 1997 से संयंत्र स्तर पर एक दिवसीय विशेष परिसंवादों को प्रारंभ किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस प्रकार के **161** कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें **4691** श्रमिक प्रशिक्षित हुए।

इकाई स्तर की कक्षाएँ

प्रशिक्षित प्रशिक्षक अपने संबंधित उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों के लिए इकाई स्तर की कक्षाएँ आयोजित करते हैं। बोर्ड श्रमिक संघवाद, श्रम अर्थशास्त्र, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण इ. विषयों पर एक माह की इकाई स्तर की कक्षाओं को आयोजित करना जारी रखा है। ये कक्षाएं वर्ष 1991-92 में आरंभ की गई हैं। बोर्ड द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सप्ताहांत इकाई स्तर की कक्षाओं को भी जारी रखा गया है। वर्ष के दौरान इकाई स्तर की कक्षाओं के 23 सत्रों में 563 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

शैक्षणिक भ्रमण और स्थानीय भ्रमण

संबंधित प्रबंधनों के सहयोग से इकाई स्तर की कक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए कक्षा में पढ़ाने के अलावा शैक्षणिक भ्रमण तथा स्थानीय भ्रमण भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान इकाई स्तर की कक्षाओं में 02 अध्ययन दौरे आयोजित किए गए। नियोक्ताओं ने उनके संगठन के नियमानुसार श्रमिकों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर कार्यक्रम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने "प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी" विषय की संकल्पना को प्रसारित करने के लिए दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिबो) को एक उपयुक्त माध्यम मान लिया है और तदनुसार श्रम मंत्रालय ने वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड को संयंत्र स्तर पर 23 कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

बोर्ड ने ऐसी संस्थाओं की पहचान करके, जहाँ प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी योजना प्रचलन में है, वहाँ पर इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस प्रकार श्रमिक एवं प्रबंधन के 612 प्रतिनिधियों को बोर्ड ने संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित किया है।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का प्रशिक्षण

असंगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक साधारणतया अनेक श्रम कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उनके अधिकारों तथा हकों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं और उनका शोषण होता है। चूँकि ये श्रमिक छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों में पाये जाते हैं, इसलिए उनके संगठन यदि कार्यरत हों तो भी सामूहिक समझौता करने के लिए कमजोर होते हैं। दत्तोपंत टेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिबो) इन श्रमिकों को कार्यक्षेत्र में उनकी समस्याओं, संरक्षित श्रम कानूनों आदि के प्रति उनमें जागरूकता विकसित करने एवं

इनके समाधान ढूंढने में उन्हें सन्नद्ध करने की दृष्टि से वर्ष 1979 से चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। परंतु बोर्ड की भूमिका मुख्यतया शैक्षणिक व प्रेरणात्मक है।

शिविर के प्रतिभागी हथकरघा, बिजलीकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला उद्योग, रेशम उद्योग, नारियल की जटा, बीड़ी उद्योग, काँच उद्योग, पीतल उद्योग तथा स्लेट उद्योग आदि से संबंध रखते हैं। बोर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय कार्यक्रमों के बदले दो दिवसीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करता आ रहा है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सकें।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए बोर्ड ने दो/चार दिवसीय अवधि के 770 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 28985 श्रमिकों ने भाग लिए। लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकता को पहचानने के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय निदेशालयों एवं अर्ध शहरी स्थानों पर संचालित किए गए थे।

इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण सारणी-V में दिया गया है।

दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

बोर्ड, समाज के दुर्बल वर्ग के श्रमिकों जैसे-सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, अनियत श्रमिकों, नगर विषयक एवं सफाई श्रमिकों, निर्माणकार्य श्रमिकों, घरेलू नौकरों, विकलांग श्रमिकों, रिक्शा चालकों और अन्य प्रकार के श्रमिकों को उनके अधिकार और दायित्व, संगठन का महत्व, फुजूलखर्च से बचाव, पारिवारिक बजट, कल्याणकारी कानून, छोटे परिवार की अवधारणा अपनाने, सामाजिक बुराइयों का विरोध करने आदि के साथ उन्नति के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने की दृष्टि से चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड ने 3131 श्रमिकों के लिए 81 चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रत्येक कार्यक्रम के पहले शिक्षा अधिकारियों द्वारा लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकताओं का सामान्य सर्वेक्षण तथा निर्धारण किया गया है। शिक्षण को अधिकाधिक रोचक व सार्थक बनाने हेतु अनौपचारिक एवं विस्तार पद्धति का प्रयोग किया गया।

इन शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	कुल	
1	महिला श्रमिक	40	-	-	-	-	511	158	875	1544	1544
2	बाल श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	युवा श्रमिक	9	12	7	83	102	74	4	176	254	356
4	विकलांग श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	नागरिक एवं सफाई श्रमिक	6	2	-	-	2	64	-	172	236	238
6	निर्माण कार्य श्रमिक	8	-	-	2	2	102	35	160	297	299
7	सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक	1	-	-	-	-	27	10	3	40	40
8	पत्थर खदान श्रमिक	1	-	-	-	-	27	10	3	40	40
9	अन्य	11	16	17	8	41	94	60	232	386	427
	कुल	81	30	24	93	147	902	267	1815	2984	3131

श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम

बोर्ड, वर्ष 2003-04 से ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के संदर्भ में श्रमिकों में जागरूकता लाने हेतु इन कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है।

वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड ने ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र के 15942 श्रमिकों के लिए 428 श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया।

विशेष कार्यक्रम

असंगठित श्रमिकों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के अलावा भी महिला श्रमिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों के अभिभावकों/बाल श्रमिकों के लिए भी दो दिवसीय विशेषकार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड ने 4570 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 169166 श्रमिकों ने भाग लिया।

पत्थर खदान श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में बोर्ड को निर्देशित करते हुए निर्णय दिया कि बोर्ड, फरीदाबाद जिले में पत्थर खदान तथा पत्थर पीसने का काम करने वाले

श्रमिकों को उनके अधिकार एवं हक के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड वर्ष 1984 से फरीदाबाद जिले में इन श्रमिकों के लिए दो दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन करता आ रहा है। ये शिविर खदानों में काम कर रहे श्रमिक संघों के सहयोग से श्रमिकों के अनुकूल स्थानों/कार्यस्थलों पर आयोजित किये जाते हैं।

इन शिविरों में बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, समान वेतन अधिनियम, 1976, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952, फैक्टरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को दिए गए हक, अधिकार, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान, दो दिवसीय अवधि के 01 शिविर में 40 श्रमिकों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	स्थान	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या		कुल
			पुरुष	महिला	
1.	ग्रीन फील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद	11 एवं 12 जुलाई, 2017	17	23	40

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम

वर्ष 2007-08 के दौरान बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनमें सभी प्रकार के कौशल का विकास करने हेतु तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा उनके अपने संगठन का विकास करने तथा सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रायोगिक आधार पर दस दिवसीय अवधि के व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम नामक एक नए कार्यक्रम का आरंभ किया।

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा श्रमिक संघ संगठनों के परामर्श से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र के 302 श्रमिकों के लिए ऐसे 13 कार्यक्रम आयोजित किए गये।

प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2007-2008 के दौरान बोर्ड ने 05 वर्ष पहले प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए उनके प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद ज्ञान स्तर को बढ़ाने तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करने संबंधी पुनःप्रशिक्षण नामक एक दिवसीय

कार्यक्रम का आरंभ किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस तरह के 185 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके 10017 असंगठित श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

पंचायतीराज संस्थानों के लिए विशेष कार्यक्रम

पंचायतीराज संस्थान ने ग्रामीण संरचना विकास तथा गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी चुने हुए पंचायतीराज सदस्यों को सौंपी है जिसके लिए पंचायतीराज सदस्यों में ज्ञान तथा कौशल होना आवश्यक है। पंचायतीराज की सफलता के लिए, पंचायतीराज के सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने हेतु उनका शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार पंचायतीराज संस्थान के चुने हुए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए, बोर्ड ने वर्ष 2007-08 के दौरान दो दिवसीय अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने पंचायतीराज संस्थान के चुने हुए 952 सदस्यों के लिए 28 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसके अलावा बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 03 दिवसीय अवधि के 09 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 248 पंचायती राज सदस्यों ने भाग लिया।

ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों का प्रशिक्षण

ग्रामीण श्रमिकों को अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण करने के लिए सन्नद्ध करने तथा उन्हें इन समस्याओं का हल ढूँढ निकालने योग्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1977-78 से ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनके स्व-संगठनों को विकसित एवं सशक्त बनाने में तथा उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने में ग्रामीण श्रमिकों को मदद करना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। फिर भी, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका मुख्यतया शैक्षणिक व प्रेरणात्मक है। भूमिहीन श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, जनजाति श्रमिकों, सीमांत श्रमिकों, मछुआरों, ग्रामीण कारीगरों, वन श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करता है।

ग्रामीण जागरूकता शिविर

दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर प्रशिक्षार्थियों के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम हैं, जो प्रशिक्षार्थियों को पारिवारिक बजट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक बुराइयों आदि की जागरूकता देने के अतिरिक्त नये विचारों एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु जानकारी देते हैं। ये शिविर प्रतिभागियों की अभिरुचि के अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान केन्द्रित करने एवं वर्तमान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने की दृष्टि आयोजित किए जाते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित **797** दो दिवसीय जागरूकता शिविरों में **30010** ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया। ग्रामीण श्रमिक के लिए दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर तथा चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का श्रेणीवार विवरण सारणी-II में दिया गया है।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम

ग्रामीण शिविरों की समिति की सिफारिश के अनुसार बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2003-04 से ग्रामीण श्रमिकों के लिए चार-दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया है। अनुकूल सम्बन्धों का वातावरण निर्माण करने के लिए आत्मविश्वास, स्व-सहायता, सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना सशक्तीकरण कार्यक्रमों का उद्देश्य है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-2018 के दौरान, आयोजित **73** सशक्तीकरण कार्यक्रम में **2780** श्रमिकों ने भाग लिया।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए पुनःप्रशिक्षण

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह ही बोर्ड सदृश उद्देश्यों सहित वर्ष 2007-08 के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक दिवसीय अवधि के पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आरंभ किया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस तरह के **151** कार्यक्रमों का आयोजन **7719** प्रतिभागियों के लिए किया गया।

ग्रामीण स्वयंसेवकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में पढ़ाये जाने वाले विषयों पर ग्रामीण स्वयंसेवकों के ज्ञान को अद्यतन करने और ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावशाली रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित कराकर उनकी दक्षता को भी विकसित करने के लिए ग्रामीण जागरूकता शिविरों में लगे ग्रामीण स्वयंसेवकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा एक सप्ताह के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

मनरेगा के अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) के लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जीविका सुरक्षा में वृद्धि प्रत्येक के लिए वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी जिसमें प्रत्येक परिवार के प्रौढ़ सदस्य काम करने को तैयार हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है:-

- 1) **ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम:** ग्रामीण स्तर पर 40 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु.10,000/- प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।
- 2) **खण्ड स्तर पर कार्यक्रम:** खण्ड स्तर पर 100 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु.81,000/- प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।
- 3) **जिला स्तर पर कार्यक्रम:** ग्रामीण स्तर पर 20 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु.55,000/- प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, बोर्ड ने मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 12891 श्रमिकों के लिए कुल 324 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

क्र. स.	कार्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्रामीण स्तर पर	282	10510
2	खण्ड स्तर पर	2	90
	कुल	284	10600

मनरेगा कार्यक्रमों का प्रभाव

सुग्राही प्रणाली में सुधार करने हेतु विषय-वस्तु, पाठ्यक्रम, विषय सूची, विस्तृत समावेश, भौतिक कार्यप्रणाली का अतिथि के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों तथा कुछ प्रशिक्षार्थियों का परिचर्चा एवं परस्पर विचार-विमर्श करके मूल्यांकन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत गाँव/खण्ड/जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का समग्र प्रभाव रहा है, किइस योजना में श्रमिक प्रशिक्षार्थी सच में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी अपने गाँव के श्रमिक साथियों से कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी बाँटने में बहुत उत्सुक थे। अधिकांश प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि, कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान रोजगार पाने के लिए उपयुक्त है तथा यह निश्चय भी किया कि, गाँव के विकास के लिए ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे तथा जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए उत्सुक अनेक जॉब कार्ड धारकों को योजना में उल्लिखितनुसार, निर्धारित दिनों का कार्य मिला।

अध्याय-V

सहायता अनुदान

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) अपनी सहायता अनुदान योजना के माध्यम से श्रमिक संघों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को उन्हें अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारम्भ हुई और तब से बहुत विकसित हो चुकी है। श्रमिक संघों से प्राप्त सुझावों तथा माँगों पर विचार करते हुए इसे समय समय पर परिवर्तित एवं संशोधित किया गया। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सहायता अनुदान निम्नानुसार चार प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये उपलब्ध होता है :

1	पूर्ण कालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
2	पूर्ण कालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
3	अंश कालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	2 से 4 दिवसीय
4	राज्य सतर पर पूर्ण कालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय

सहायता अनुदान कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों और प्रतिभागियों की संख्या में लचीलापन दिया जाता है। यह सहायता अनुदान योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिये भी लागू की गई है।

मार्च, 2018 तक **1586** श्रमिक संघ संगठनों आदि ने बोर्ड से **रु. 2,81,80,771.62/-** सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करके **6,84,287** श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। प्रदत्त सहायता अनुदान और प्रशिक्षित श्रमिकों संबंधी विस्तृत विवरण सारणी-XV में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान, श्रमिक संघ संगठनों को कोई राशि सहायता अनुदान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नहीं दी गई, जिनमें किसी भी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया नहीं गया था। इन कार्यक्रमों में श्रमिक संघवाद, उत्पादकता, श्रमिक संघ एवं प्रबंधन के बीच संबंध, वेतन, बोनस, ग्रामीण श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक सुरक्षा और स्वच्छता, श्रम कानून, जनसंख्या और परिवार कल्याण इत्यादि विषय पढ़ाए गए।

बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों/शिक्षा अधिकारियों ने सहायता अनुदान कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा अनुदानग्राहियों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए।

वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018 के दौरान श्रम संगठनों को दी गई सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संगठन	श्रमिक संघों /संस्थानों की संख्या जिन्हें अनुदानदिया गया		प्रदत्त अनुदान राशि (रुपयों में)	
		2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
	केन्द्रीय संगठन / राष्ट्रीय परिसंघ				
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.) इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (इंटक)	0	0	0	0
2	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक)	2	0	28,260.00	0
3	हिन्द मजदूर सभा	0	0	0	0
4	सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू)	0	0	0	0
5	इन्डिपेंडेंट ट्रेड यूनियन्स	0	0	0	0
6	सोसाइटीज पंजीकृत अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	2	0	31,050.00	0
7.	ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन	0	0	0	0
	कुल	4	0	59,310.00	0

अध्याय-VI

प्रकाशन एवं शैक्षिक सामग्री

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये सरल एवं सुबोधगम्य पाठ्यपुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार कक्षा में प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने तथा शिक्षण को और अधिक रोचक एवं आशयपूर्ण बनाने के लिये सचित्र पुस्तिकाएं, पोस्टर्स, सी.डी., फिल्मस आदि दृश्य-श्रव्य साधन के रूप में भी प्रकाशित किये जाते हैं।

शैक्षिक सामग्री एवं दृश्य-श्रव्य साधनों को मुद्रित करने से पहले श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के बाद समय-समय पर आयोजित कार्यशालाओं में बोर्ड के अधिकारियों से उसकी चर्चा की जाती है। ये पुस्तिकाएं रु. 5/- प्रति पुस्तिका की किफायती दर पर बेची जाती हैं। तथापि, ग्रामीण/ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये रु.1/- प्रति पुस्तिका के दर से सचित्र पुस्तिकाएं बेची जाती हैं। मार्च, 2017 की समाप्ति तक अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी शीर्षक प्रकाशित नहीं किया गया।

श्रमिक शिक्षा पत्रिका

बोर्ड द्वारा "श्रमिक शिक्षा" नामक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें श्रम संघवाद, औद्योगिक संबंध, श्रम अर्थशास्त्र, शिक्षा के उपकरण एवं तकनीक, उत्पादकता, भागीदारी प्रबंधन आदि विषयों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में उच्च कोटि के लेख होते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक शिक्षा पत्रिका का कोई भी अंक प्रकाशित नहीं किया गया।

अध्याय-VII

अन्य गतिविधियाँ

कर्मचारी सशक्तीकरण

बोर्ड ने वर्ष के दौरान अधिकारियों के विकास एवं सशक्तीकरण विषय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये बहुत जोर दिया है। जो उनके ज्ञान एवं कार्यकुशलता और कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों के लिए कौशल विकास की पहल हेतु निम्नलिखित अन्तर प्रभावी प्रवेश एवं अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया है।

क्र.सं.	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	पी.एफ.एम.एस.	34
2.	1	तनाव प्रबंधन	14

लोक शिकायत

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिनांक 28/09/1993 को एक अलग सतर्कता सेल स्थापित किया गया है। सतर्कता अनुभाग को मूलतः विभागीय जाँच संबंधित कार्य सौंपा गया है। निदेशक महोदय के अनुवीक्षण में क्षेत्रीय निदेशक, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड), नागपुर एवं एक वरिष्ठ लिपिक अनुभाग का कार्य देख रहे हैं। जो अपने नेमी कार्यों के अतिरिक्त अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य देखती हैं।

वर्ष 2017-2018 के दौरान उप निदेशक (मुख्या.) प्रभारी, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे पेंशन, किराया, पदोन्नति एवं एमएसीपी मध्यस्थता आदि से संबंधित बोर्ड के मामलों को देख रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उनमें से 13 मामलों का निपटारा किया गया तथा वर्ष 2017-18 के दौरान 19 नए मामलों दाखिल किये गए हैं। चालू वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् दिनांक 31/03/2018 तक 52 मामलों अभियोजन के अधीन हैं।

वर्ष 2017-2018 की अवधि के दौरान 166 लोक शिकायत मामलों प्राप्त हुए और 31.03.2018 की समाप्ति तक 166 मामलों का निपटान कर दिया गया।

31 मार्च, 2018 तक 09 संख्यक विभागीय जाँच प्रक्रियाधीन है जिनमें से 02 मामलों मुख्य सतर्कता आयोग से संबंधित है।

कर्मचारी कल्याण

वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों संगणक एवं वाहन प्रदान नहीं किया गया।

कर्मचारी की स्थिति

बोर्ड में दिनांक 31/03/2018 को वर्ग क,ख,ग एवं एम.टी.एस. के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार थी :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'	वर्ग 'ग'	एम टी एस	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुख्यालय, नागपुर	5	11	37	10	63
2	भा.श्र.शि.सं., मुम्बई	1	5	8	7	21
3	ऑचलिक निदेशालय (6)	6	5	24	6	41
4	क्षेत्रीय निदेशालय (50)	0	265	203	121	589
	कुल	12	286	272	144	714

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई जानकारी

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2017-2018 के दौरान 159 आवेदकों को उनके अनुरोध पर संगत जानकारी प्रदान की और इस संदर्भ में आवेदन शुल्क के रूप में रुपये 560/- प्राप्त हुए।

राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-2018 के दौरान, मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 01 बैठक आयोजित की गई और मुख्यालय, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई तथा सभी ऑचलिक/क्षेत्रीय निदेशालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई।

राजभाषा हिन्दी कार्यशाला

रिपोर्टाधीन वर्ष 2017-2018 के दौरान, निम्नलिखित 02 राजभाषा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

क्र. सं.	कार्यशाला	दिनांक	स्थान	प्रतिभागी
1.	102वीं राजभाषा हिन्दी कार्यशाला	13.12.2017 से 15.12.2017 तक	चेन्नै	अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए
2.	103वीं राजभाषा हिन्दी कार्यशाला	18.12.2017 से 20.12.2017 तक	कोचीन	अधिकारी एवं कर्मचारी के लिए

उपर्युक्त सभी कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को दैनंदिन सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा का आयोजन

मुख्यालय, नागपुर में 14 सितम्बर, 2017 को हिन्दी दिवस तथा 15 से 29 सितम्बर, 2017 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान, मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें सभी कर्मचारियों ने उत्सुकता से भाग लेकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के रूप में क्रमशः रु.300/-, 200/-, 150/- एवं 100/- प्राप्त की।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अंशदान

वर्ष 2017-18 के दौरान, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., मुख्यालय, नागपुर ने अपने अधीनस्थ क्षेत्रीय निदेशालयों के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन समिति को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छःमाही, वार्षिक बैठकें आयोजित करने एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करने, पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए संबंधित रु.12,500/- राशि क्षेत्रीय निदेशालय राँची, जयपुर तथा भा.श्र. शि.सं., मुंबई इत्यादि को स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न दिवसों का आयोजन

मुख्यालय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई तथा बोर्ड के सभी आँचलिक तथा क्षेत्रीय निदेशालयों ने निम्नलिखित दिवसों का आयोजन किया गया:

- आतंकवाद विरोधी दिवस 23 मई, 2017
- योगा दिवस 21 जून, 2017
- स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2017

- सद्भावना दिवस 28 अगस्त, 2017
- हिन्दी पखवाड़ा 15 से 29 सितम्बर, 2017
- हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 2017
- श्रमिक शिक्षा दिवस 16 सितम्बर, 2017
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 05 नवम्बर, 2017
- राष्ट्रीय एकता दिवस (नेशनल यूनिटी डे) 31 अक्टूबर, 2017
- कौमी एकता दिवस 21 नवम्बर, 2017
- संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2017
- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2018
- शहिद दिवस 30 जनवरी, 2018

इस अवसर पर परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रशिक्षार्थियों एवं कर्मचारी सदस्यों को आवश्यकतानुसार शपथ दिलाई गई।

निरीक्षण

निदेशक, के.श्र.शि.बो. ने 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक दौरा पर रहे:

क्र. सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1.	08.04.2017	चेन्नै	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य कार्यालय, चेन्नै में श्री पी. मूर्ती, वरि. शि.अधि. की सुनवाई हेतु उपस्थित।
2.	08.05.2017	दिल्ली	मुख्यालय, स्थानांतरण से संबंधित
3.	21.06.2017	भा.श्र.शि.सं., मुंबई	वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित
4.	21.07.2017	मुख्यालय, नागपुर	मान. कॅट बाम्बे बेंच, नागपुर में श्री एस. के. बेहरा, मामला सं. सीपीसी क्र.43/2016 ओ.ए. क्र. 2154/2008 में उपस्थित
5.	19.09.2017	मुख्यालय, नागपुर	मान. कॅट बाम्बे बेंच, नागपुर में श्री एस. के. बेहरा, मामला सं. सीपीसी क्र.43/2016 ओ.ए. क्र.2154/2008 में उपस्थित
6.	15.10.2017 से 16.10.2017	कोचीन	संसदीय राजभाषा समिति की बैठक में 16.10.2017 को उपस्थित

बोर्ड की प्रशिक्षण गतिविधियों की झलक

क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली में 16 सितम्बर, 2017 को 'श्रमिक शिक्षा दिवस' समारोह के अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री संतोष गंगवार ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।



16 सितम्बर, 2017 को दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मुख्यालय, नागपुर में 'श्रमिक शिक्षा दिवस' के रूप में मनाया गया। डॉ. विकास महात्मे, माननीय सांसद (राज्य सभा) कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दिनांक 24.01.2018 को क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता द्वारा बरुईपुर ब्लॉक, दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित 02 दिवसीय कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष श्री बिमन बंधोपाध्याय, ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।





गोवा राज्य परिवहन सुरक्षा सप्ताह पर 1 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम

कडम्बा परिवहन निगम लिमिटेड, गोवा सरकार द्वारा वासको, दक्षिण गोवा के कर्मचारियों के लिए दिनांक 09.02.2018 को 01 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कडम्बा परिवहन निगम लिमिटेड, वासको के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय विधायक श्री कार्लोस एलमेदिया तथा पुलिस उप आयुक्त मैडम सुनिता सावंत उपस्थित थे। क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल द्वारा अगरतला में दिनांक 10 से 18 मार्च, 2018 तक श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए 05 दिवसीय उत्तर-पूर्व क्षेत्र विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



मनरेगा (ग्रामीण स्तर पर) के दो दिवसीय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पर विशेष रिपोर्ट

मनरेगा (ग्रामीण स्तर) पर ग्राम पंचायत हॉल, पोइनीगुनिम, ब्लॉक कानाकोना, जिला दक्षिण गोवा में दिनांक 20.12.2017 से 21.12.2017 तक 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन। क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा द्वारा किया गया।

क्षेत्रीय निदेशालय, मुंबई द्वारा खोपोली, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र में एस.सी. एस.पी. श्रमिकों के लिए दिनांक 06 एवं 07 जुलाई, 2017 को 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



एस.सी.एस.पी. श्रमिकों के लिए दिनांक 11.12.2017 एवं 12.12.2017 को 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन रामटेक, जिला-नागपुर में क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर द्वारा किया गया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए 07 से 09 मार्च, 2018 को अगरतला में क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल द्वारा 03 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत सिरगाँव पंचायत, ब्लॉक बिचोहोलिम, जिला उत्तर गोवा में क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा द्वारा 8 एवं 9 दिसम्बर, 2017 को श्रम कल्याण और विकास पर 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

अध्याय-VIII

बोर्ड के चुनिंदा कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) ने वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बोर्ड ने तदनुसार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कुछ मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं:

16 सितम्बर, 2017 को बोर्ड ने श्रमिक शिक्षा दिवस मनाया:

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के मुख्यालय, भा.श्र.शि.सं. एवं इसके सभी 50 क्षेत्रीय निदेशालयों में शैक्षणिक परिसंवाद का आयोजन करते हुए 16 सितम्बर को बड़े ही उत्साह के साथ 'श्रमिक शिक्षा दिवस' मनाया। बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों में श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर बहुत उच्च अधिकारी उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

नागपुर: दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व के.श्र.शि.बो.) का स्थापना दिवस 16 सितम्बर, 2017 को श्रमिक शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्य अतिथि द्वारा बोर्ड का ध्वज फहराकर परम्परागत दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

डॉ. विकास महात्मे, माननीय सांसद, राज्य सभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि संगठन के विकास के लिए मानव संसाधन का कौशल विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने आगे और कहा कि श्रमिकों के बीच जागरूकता के क्षेत्र में बोर्ड का सराहनीय प्रयास है और कहा कि श्रमिकों को राष्ट्र विकास के लिए अपने ज्ञान और सकारात्मक अभिवृत्ति के जरिए अपने कौशल को अद्यतन रखना चाहिए और इस दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए।

सम्माननीय अतिथि श्री आर. गणेशन, वरिष्ठ प्रभागीय कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेल, नागपुर ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष अतिथि श्री महेश धमेचा, सहायक आयुक्त (सा.प्रशा.), नगर महापालिका ने कहा कि श्रमिक संगठन की सम्पत्ति हैं, विकासशील श्रमिक किसी भी संगठन के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य सम्माननीय अतिथि श्री अशोक भूताड़, महासचिव, भा.म.स. (विदर्भ प्रदेश) एवं श्री अमरन वझलवार, अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर ने बोर्ड द्वारा वर्षों से किये गये कार्यों के बारे में अपना अनुभव बताया और कहा कि बोर्ड किस प्रकार श्रम बल को मजबूत बनाने के लिए श्रमिकों को मदद

किया है। श्री अमर वज्रलवार ने विशेष जोर देकर कहा कि बोर्ड श्रमिकों को शिक्षित कर रहा है जोकि प्रगति के लिए कार्य कर रहा है।

श्री मिलिंद तारे, कार्यक्रम समन्वयक, वानामती एवं सम्माननीय अतिथि ने मानव संसाधन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने आगे और कहा कि विकासशील क्षमता किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। श्री आर. जे. वानखड़े, उप निदेशक (शिक्षा) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बदलते परिदृश्य में श्रमिक शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे और कहा कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों को विकसित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्रीमती एम. खत्री, क्षेत्रीय निदेशक ने संक्षिप्त भाषण दिया और अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों से की गई सफल सेवा का भी उल्लेख किया। इस अवसर पर बोर्ड के निदेशक श्री सुरेश सिंह द्वारा बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई शुभकामना को भी पदवार सुनाया गया।

बोर्ड के शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। मुख्य क्षेत्रीय निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से कार्यक्रम का सफल आयोजन हो सका।

चण्डीगढ़: क्षेत्रीय निदेशालय, दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, चण्डीगढ़ ने 16 सितम्बर, 2017 को जन शिक्षण संस्थान, मोहाली, जिला मोहाली में 16 सितम्बर, 2017 को श्रमिक शिक्षा दिवस मनाया। पंजाब फैक्टरी के अपर निदेशक श्री सोधी मल्ल, ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 100 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री सोधी, अपर निदेशक ने दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गये कार्यों की बहुत ही प्रशंसा की। प्रतिभागी अपने दैनंदिन जीवन में बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित हुए। प्रतिभागी केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित हुए थे। परिणामस्वरूप विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्रतिभागी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

बरेली: विभागीय रेल मंडल कार्यालय उत्तर-पूर्व रेल बरेली के सम्मेलन कक्ष में 16 सितम्बर, 2017 को श्रमिक शिक्षा दिवस मनाया गया। श्री सतोष कुमार गंगवार जी माननीय मंत्रालय स्वतन्त्र प्रभार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में माननीय मंत्री जी ने बोर्ड के 59वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि बोर्ड राष्ट्र स्तर पर श्रमिकों को शिक्षित करने का सराहनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में श्रमिक

महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों /समाज के गरीब श्रमिकों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर हिन्दी दिवस भी मनाया गया। श्री इतेश कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने राष्ट्र विकास में हिन्दी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विकास में राजभाषा का बहुत ही महत्व होता है। हमें अपने कार्यालयीन कार्य में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए। इस अवसर पर प्रबंधन के प्रतिनिधि/श्रमिक संघ के प्रतिनिधि/ रेल कर्मचारी तथा असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के कुल 150 लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

हिन्दी दिवस का आयोजन

नागपुर : मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 15.9.2017 से 29.9.2017 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। श्री आर. जे. वानखड़े, उप निदेशक (शिक्षा) प्रभारी ने कहा कि "भारतीय भाषाओं में से मात्र हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो लोगों को जाड़ती है, इसलिए हमें इस भाषा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया कि अपने दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा उसका रिकार्ड भी रखें और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ भी उठाएं।"

सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

नागपुर : दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (के.श्र.शि.बो.), मुख्यालय, नागपुर, भा.श्र.शि.सं., मुंबई, आंचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 से 05 नवम्बर, 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने संबंधित कार्यालयों में शपथ ली। इसी प्रकार मुख्यालय एवं भा.श्र.शि. संस्थान, मुंबई तथा सभी आंचलिक/क्षेत्रीय निदेशालयों में 19 से 25 नवम्बर, 2017 तक कौमी एकता दिवस मनाया गया।

स्वच्छ भारत अभियान का कार्यान्वयन

बोर्ड ने दिनांक 01 से 15 मई 2017 तक स्वच्छ पखवाढत्रा से संबंधित दिनांक 04.05.2017 को जारी पत्र सं.डी-31016/3/2014 प्राप्त किया। मुख्यालय तथा अन्य क्षेत्रीय निदेशालय, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, ने दिनांक 01 से 15 मई, 2017 तक निम्नानुसार पखवाड़ा मनाया:

- विभिन्न कप बोर्ड में रखी गई फाइलों को सुव्यवस्थित ढंग से रख गया तथा आलमारी में साफ-सुथरा करके रख गया।
- वाटर कूलर के इर्द-गिर्द क्षेत्र को साफ-सुथरा किया गया।

- अनुभाग के कक्ष एवं सीढियों को साफ-सुथरा किया गया
- परिसर की पूरी सफाई की गई।

इस संबंध में उपर्युक्त पत्र के आधार पर बोर्ड ने मुख्यालय तथा सभी आंचलिक तथा क्षेत्रीय निदेशालयों में दिनांक 01 मई से 15 मई, 2017 तक बड़े उत्साह से नियमित आधार पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। यह कार्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने टीम भावना से निष्पादित किया। इसके साथ ही साथ पुराने रिकार्ड के रखरखाव का भी कार्य किया जा रहा है।

बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम

धनबाद : ग्राम काली मंदिर, टिटकी चापर, ब्लॉक- गण्डे, जिला गिरीडीह में दिनांक 17.12.2017 से 18.12.2017 को क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय विशेष पिरसंवाद आयोजित किया गया कार्यक्रम में सम्मिलित प्रतिभागियों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने का निश्चय किया तथा स्वावलम्बन समूह गठित करने का निर्णय लिया प्रतिभागियों ने आश्वासन दिया कि वे कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान को अपनाएंगे। उन्होंने तम्बाकू खाने एवं शराब पीने जैसी बुरी आदतों को छोड़ने का भी निश्चय किया।

तिनसुकिया: रूंग्लिटिंग एल. पी. स्कूल, ग्रा. - 2 नं. लाइन, रूंग्लिटिंग टी इस्टेट, ब्लॉक - लाहोल, जिला डिब्रूगढ़ में दिनांक 10-11.07.2017 को बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में चर्चा किए गये विषयों जैसे बाल श्रमिकों की समस्याएं एवं इसका निराकरण, बाल श्रमिकों की बुराई एवं निषेध, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाएं आदि की सराहना की। सूचना का अधिकार अधिनियम, श्रम कानून, स्वावलम्बन समूह एवं एनआरएलएम- इसका महत्व आदि का अनुसरण भविष्य में करेंगे। निंगशी सोनारी एम.ई. स्कूल, निंगशी सोनारी गाँव, ब्लॉक साइखोवा, जिला तिनसुकिया में दिनांक 26 एवं 28.12.2017 को बाल श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने बताया कि वे अब बाल श्रम के बुरे प्रभाव के बारे में जान गये और नये विषय जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना एवं एस.डी.आई.एस., मुद्रा लोन आदि जोकि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता कर रहा है। उसके बारे में जान गये।

उदयपुर: माला तलाई, उदयपुर में क्षेत्रीय निदेशालय, उदयपुर द्वारा बाल श्रमिकों एवं उनके अभिभावकों के लिए दिनांक 03 एवं 04 अगस्त, 2017 को 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में 10 श्रम कार्ड को पंजीकृत किया गया और 06 बालक सरकारी स्कूल में दाखिल हुए।

भूपलपुरा, उदयपुर में 01 एवं 02 अगस्त, 2017 को बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 30 नये सदस्य को घरेलू श्रमिक संघ के साथ जोड़ा गया और 10 से 20 प्रतिभागियों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 02 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूँ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया।

मुजफ्फरपुर: ग्राम मदन चापरा, ब्लॉक पारू, जिला— मुजफ्फरपुर में दिनांक 05.01.2018 एवं 06.01.2018 को 40 संख्यक बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री गणेश ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया जबकि श्री मिथिलेश तिवारी, समन्वयक, सुविधा किसान क्लब ने कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम से प्रभावित होकर प्रतिभागियों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रेरित हुए। प्रतिभागी बाल अधिकार, शिक्षा को महत्व, बाल श्रम निषेध एवं उन्मूलन अधिनियम आदि के बारे में जान गये।

बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम:

चण्डीगढ़: एन.सी.एल.पी. स्कूल, बस्ती, डानिश मण्डल, ब्लॉक एवं जिला – जालंधर (पंजाब) में दिनांक 27.06.2017 एवं 28.06.2017 को क्षेत्रीय निदेशालय, चण्डीगढ़ द्वारा बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 33 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री सुखिंदर सिंह, सहायक श्रम आयुक्त, परियोजना निदेशक (एनसीएलपी), जालंधर, पंजाब ने कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने अपने बच्चों को काम पर भेजने के बजाए स्कूल में भेजने का निश्चय किया।

महिला श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

गोवा: ग्राम पट्रेम, ग्राम पंचायत भाटी, ब्लॉक संगुड्म, जिला दक्षिण गोवा में 08.03.2018 से 09.03.2018 को 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम में 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में 29 महिलाएं सम्मिलित हुईं। कार्यक्रम का उद्घाटन भूतपूर्व सरपंच और कार्यकारी पंच सदस्य श्रीमती शालन नाइक ने किया। उन्होंने दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड को धन्यवाद दिया और सराहना की कि बोर्ड ने अपने कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का समावेश किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि महिला समाज की रीढ़ की हड्डी है अर्थात् आधार है। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि अपने बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और कहीं कि अपने संतान में लड़का-लड़की का विभेद न करें और बेटी पढ़ाओ- बेटी बचाओ अभियान पर बल दिया।

कोयम्बतूर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर द्वारा 15 एवं 16 नवम्बर, 2017 को महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन ई-सेवा सेंटर, विरालीयूर, ठोंडमुथुर, कोयम्बतूर में किया गया। प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि, उन्हें, शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना सुझाव, टीकाकरण, बैंक योजनाएं, आधार कार्ड, लिंक, बालकों की देखभाल तथा पोषण, लिंगभेद विकास मूलभूत कानून, कल्याणकारी योजनाएं इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पाने का मौका मिला।

मंगलूर: महिला श्रमिकों के लिए 10.05.17 से 11.05.17 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन अशोक नगर, मंगलूर तालुक, जिला दक्षिण कन्नड में किया गया। सभी प्रतिभागियों ने अधिकाधिक ई-बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने की शपथ ली तथा उनमें से कुछ प्रतिभागियों ने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ जैसे, एसएसवाई, एपीवाई, सीडब्ल्यू डब्ल्यूई इ. में नामांकन किया। कुछ प्रतिभागियों ने स्वयं को अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना इ. में नामांकन हेतु आश्वासन किया तथा कार्यक्रम का प्रभाव यह रहा कि जहाँ आवश्यक हो डीजिटल ट्रांसऑक्शन भी किए गए।

महिला श्रमिकों के लिए 06.06.17 सं 07.06.17 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन कम्युनिटी हॉल, उली गाँव, तालुक बंरवाल, जिला दक्षिण कन्नड में किया गया। कुछ प्रतिभागी, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रायोजित निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने हेतु आश्वस्त हुए। प्रतिभागियों ने कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जाँच करवाने हेतु दी गई सुविधा के लिए उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट की।

महिला श्रमिकों के लिए 08.06.17 से 09.06.17 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन कम्युनिटी हॉल, गाँव कोला, तालुक बंटवाल, जिला दक्षिण कन्नड में किया गया। प्रतिभागियों ने कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जाँच करवाने हेतु की गई सुविधा से उन्होंने अपनी प्रसन्नता प्रकट की।

चण्डीगढ़: महिला श्रमिकों के लिए 25.10.17 से 26.10.17 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन पीएमबी फार्मस् ट्रेनिंग सेंटर, मेहराज, खण्ड-फुल, जिला भटिंडा में किया गया। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री वी. के. गोयल (प्रशिक्षण) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बी.एस. गील, निदेशक, पीएमबी फार्मस् ट्रेनिंग सेंटर, मेहराज ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रतिभागी कार्यक्रम से बेहद प्रेरित होकर उन्होंने बालिकाओं को बचाना तथा अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें पाठशाला में भेजने का निश्चय किया।

भुवनेश्वर: महिला श्रमिकों के लिए 27.6.17 से 28.6.17 तक दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जगन्नाथपुर, रघुनाथपुर, जिला जगत सिंगपुर में किया गया। कार्यक्रम में आरएसबीवाई पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा प्रतिभागियों ने स्वयं को पंजीकृत भी किया तथा बीमा का नवीकरण भी किया और उन्होंने भीम ॲप भी डाउनलोड किया तथा साथ ही भुगतान की प्राप्ति और अंतरण हेतु ई-वे भी सीख लिया।

असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम

मंगलूर: असंगठित श्रमिकों के लिए एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 13.1.18 को मीटींग प्लेस, स्वाती वुमेथ एसएचजी, होसा रामनहली, हंसुरु तालुक, मैसूर में किया गया। सभी प्रतिभागियों ने डीटीएनबीब्ल्यूईडी की गतिविधियों की सराहना की और उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि इस तरह के अधिकाधिक ग्रामीण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। उन्होंने समाज में अपने समग्र विकास हेतु अधिकाधिक शासकीय कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने की शपथ भी ली।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन थन्निरुपंथा गाँव, तालुका बेलथंगडी, जिला दक्षिण कन्नड में 25.1.2018 को आयोजित किया गया। कुछ प्रतिभागियों ने कौशल प्रशिक्षण पाने हेतु पंजीयन करके आश्वस्त किया तथा कुछ प्रतिभागियों ने मनरेगा योजना (एमजीएमआरटीईजीए) इ. के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आश्वस्त हुए।

संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (जे.ई.पी.)

मंगलूर: के.एस. आरटीसी के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन 17.04.2017 को प्रशिक्षण कक्ष, ड्रायवर तथा मैकेनिक प्रशिक्षण संस्थान, केएसआरटी सीलि., मालवली टाउन, जिला मंडया में किया गया। प्रतिभागी तथा प्रबंधन दोनों ने डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के गतिविधियों की सराहना की तथा अपने संबंधित क्षेत्र में अर्जित ज्ञान को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हुए।

धनबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, धनबाद द्वारा 3.5.2017 को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), बीसीसीएल, धनबाद इकाई के लिए एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन भारत कुकींग कोल लि. (बीसीसीएल), धनबाद में किया गया।

फिडबैक सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने 20 पॉइंट में से 17.45 मार्क्स दिए। फिडबैक सत्र के दौरान सीआईएसएफ के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई। उन्होंने आगे कहा कि कार्यक्रम से फोर्स की व्यावसायिकता में निश्चित ही सुधार होगा। डीआईजी एण्ड सीनीयर कमाण्डर ऑफ सी.आई.एस.एफ. ने भी सराहना की। साथ ही उन्होंने धनबाद की प्रिंट मीडिया में भी सराहना की।

जमशेदपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, जमशेदपुर द्वारा 10.08.2017 को एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री एस. पारधी, एजीएम (प्रशिक्षण), टाटा मोटर्स, जमशेदपुर, जिला सिंहभूम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

गोवा: कदंबा ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, गोवा सरकार के कर्मचारियों के लिए 09.2.2018 को एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन अलमेडा, हॉल, वास्को, दक्षिण गोवा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान गोवा राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया। कुल 24 प्रतिभागी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उपर्युक्त अवसर पर माननीय अध्यक्ष, कदंबा ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा विधायक वास्को श्री कार्लोस आलमेडा ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उन्होंने आगे कहा कि, प्रत्येक वर्ष गोवा अपना सड़क सुरक्षा सप्ताह 05 से 11 फरवरी तक मनाता है। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि, वे सड़क पर चलते समय अधिक सावधानी से चले तथा सड़क दुर्घटनाएं टालने हेतु सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। उन्होंने सड़क दुर्घटना निवारण पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि, उचित सुरक्षा गियर्स तथा वाहनों की गति को नियंत्रण में रखने से सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है। मैडम सुनिता सावंत, उप-अधीक्षक पुलिस, गोवा सरकार ने कहा कि, लोगों ने कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखना चाहिए जिससे कार्य पर अधिक ध्यान रहेगा और कार्य निष्पादन में सुधार भी होगा। उन्होंने डीटीएनबीडब्ल्यूईडी की इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु भूरी-भूरी प्रशंसा की तथा सभी सड़क सुरक्षा तथा जीवन की गुणवत्ता प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन का अनुपालन करें। उन्होंने आगे कहा कि, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी ने पुलिस कार्मिकों के लिए भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु अनुरोध किया। कार्यक्रम के दौरान, जीवन की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य-स्वच्छता तथा विभिन्न रोगों के रोकथाम इ. विषय पर चर्चा की गयी। शिक्षा अधिकारी तथा कार्यक्रम प्रभारी ने "जीवन की गुणवत्ता" विषय पर चर्चा की।

मुजफ्फरपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, मुजफ्फरपुर द्वारा 25.05.2017 एवं 26.05.2017 को औद्योगिक श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन एफसीआई, डी.एम. ऑफिस, डीगहा, जिला- पटना में किया गया। श्री सतनीक, क्षेत्र प्रबंधक के हस्ते कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया एवं श्री राजू कुमार, प्रबंधक ने भी अपना वक्तव्य दिया। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किये।

ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम:

अहमदाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, अहमदाबाद द्वारा 11.12.17 से 12.12.17 तक दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर का आयोजन गणेशपुरा, कड़ी में किया गया। इस कार्यक्रम के बाद सभी 38 प्रतिभागियों ने नर्सरी तालिम तथा खेडूत तालिम कथा गणेशपुर, कड़ी में अपना पंजीयन किया।

क्षेत्रीय निदेशालय, अहमदाबाद द्वारा 12.2.2018 से 13.2.2018 तक मठासुर, थडी में दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बाद, प्रतिभागियों ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ कुवरबाई मारेरू, मंगलसुत्र योजना इ. से लाभ प्राप्त किया।

कोषीकोड: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, कोषीकोड द्वारा 19.10.17 से 20.10.17 तक निर्मलूर, बालुस्सेरी, कोषीकोड में दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु सभी प्रतिभागियों ने अनुपूरक आय की आवश्यकता हेतु अभिविन्यस्त हुए।

कानपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, कानपुर द्वारा गाँव रामचौरा, बंयारा, लखनौ में दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमती पूनम शुक्ला नामक महिला ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। वह एक साधारण सी महिला है जो गरीबी में जीवनयापन कर रही है। स्वावलंबन समूह का महत्व जानने के बाद, उस महिला श्रमिके ने गाँव की अन्य 10 महिलाओं को प्रेरित किया और 29 मई, 2017 को राधा स्वावलंबन समूह की स्थापना की। अपनी सहेली श्रीमती प्रियंका अवस्थी (कोषपाल, स्वावलंबन समूह) वह महिला श्रमिक ने आरएसईटीआई में टेडी बियर बनाने का प्रशिक्षण लिया। उसने अपने उत्पादों को लखनौ महोत्सव में बेचने के लिए रखे तथा सभी उत्पाद बेचे गए। लखनौ महोत्सव में हुई बिक्री से प्रेरित होकर महिला श्रमिक ने अपना स्वयं का वेबसाइट खोला और अभी वह महिला श्रमिक और उसके अन्य स्वावलंबन समूह के सदस्य सभी व्यक्तिगत रूप से रु.4000/- से रु.5000/- तक प्रतिमाह कमाने लगे हैं। वह महिला श्रमिको आजीविका के स्रोत तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार इ. हेतु सभी का श्रेय केवल डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, कानपुर को देती है।

मुजफ्फरपुर : दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन 7.11.2017 से 8.11.2017 तक गाँव मधुपुर जिला पटना में किया गया, जिसमें 40 कृषि श्रमिकों ने भाग लिया। श्री बिन्दु कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्मार्ट कार्ड का नवीनीकरण तथा बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करना यह कार्यक्रम का प्रथमतः प्रभाव रहा।

श्रम कल्याण दिवस कार्यक्रम (एल.डब्ल्यू.डी)

जमशेदपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, जमशेदपुर द्वारा 7.11.2017 से 8.11.2017 तक दो दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम (एल.डब्ल्यू एण्ड डी) का आयोजन सामुदायिक भवन बिरा, खण्ड परमदा, जिला सिंहभूम पूर्व में किया गया। इस कार्यक्रम के प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। वे बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक करने हेतु प्रेरित हुए। बैंक खाते के साथ आधार कार्ड लिंक करने हेतु प्रेरित हुए। बैंक खाते के साथ आधार कार्ड को लिंक करने हेतु उनमें जागरूकता लाकर डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, जमशेदपुर राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

मंगलूर: श्रम कल्याण एवं विकास पर 12.6.2017 से 13.06.2017 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन कम्प्यूनीटी हॉल, गाँव कुरुबारहली, सिद्धार्थ नगर, मैसूर में किया गया। मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम में पंजीयन हेतु कुछ प्रतिभागी आश्वस्त हुए। स्व-रोजगार हेतु कुछ प्रतिभागी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज लेने के लिए आश्वस्त हुए। श्रम कल्याण एवं विकास पर 24.2.18 से 25.2.18 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन कम्प्यूनीटी हॉल, भरत नगर, महादेवपुरा रोड, तालुका मैसूर तथा जिला में किया गया। अनेक प्रतिभागियों ने तथा उनके रिश्तेदारों ने केन्द्र तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे, पीएमजेएसवाई, एसएसवाई, एपीवाई, पीएमजेबीवाई, सीडब्ल्यूडब्ल्यूई इ. में अपना पंजीयन किया तथा अपने विकास हेतु उन्होंने सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन के लिए अपनी सहमति भी दी।

कोयम्बतूर: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, कोयम्बतूर द्वारा 25 एवं 26 अक्टूबर, 2017 को श्रम कल्याण एवं विकास पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन एवं विकास पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन पीयूई स्कूल, कोझीकुट्टे, तिरुपुर में किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएँ, श्रमिक कल्याण बोर्ड इ. के विषय में जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने समाज तथा अपने परिवार के प्रति अपनी भूमिका के बारे में जागरूक हुए। प्रतिभागियों ने डेंगू बिमारी से बचने हेतु बचावात्मक उपायों के बारे में भी सचेत हुए।

चण्डीगढ़: श्रम कल्याण एवं विकास विषय पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन 08.06.17 से 09.06.17 तक गाँव नाग्रण, खण्ड- आनंदपुर साहिब, जिला रुपनगर (पंजाब) में किया गया। कार्यक्रम में कुल 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री आनंद मोहन शर्मा, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, मोहाली (पंजाब) ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। श्री जमाईल सिंग, उपाध्यक्ष, खण्ड समिति आनंदपुर साहिब (पंजाब) ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने हेतु प्रतिभागी प्रेरित हुए।

परवाणू: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, परवाणू द्वारा गाँव मालंगर, खण्ड बांगन, जिला उना (हि.प्र.) में 19 से 20 दिसम्बर, 2017 को "श्रम कल्याण एवं विकास" विषय पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रमिकों ने स्वावलंबन समूह का गठन किया और लघु व्यवसाय गतिविधियों प्रारंभ की। कार्यक्रम में बताए गए अनुसार, अनेक ग्रामवासियों ने अपने में ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया।

गोवा: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, गोवा द्वारा गाँव पंचायत हॉल, सिरगाँव, खण्ड बिचोलिम, उत्तर गोवा में 08.12.2017 से 09.12.2017 तक "श्रम कल्याण एवं विकास" विषय पर दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में कुल 39 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, स्वावलंबन समूह तथा पारिवारिक बजट तथा बचत के महत्व, नकद रहित ट्रांसऑक्शन तथा उसके फायदे, शिक्षा का महत्व तथा सकारात्मक विचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान, सामाजिक बुराइयों तथा बुरी आदतें तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री सदानंद गोणकर, सरपंच, गाँव पंचायत, सिरगाँव ने सभी प्रतिभागियों को कूड़ा-कचरा जमा करने थैलियों का वितरण किया तथा उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे सुखा और गीला कचरा अलग-अलग कचरा पेटी में रखे साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी का स्वच्छ भारत का सपना पूरा करने हेतु व्यक्तिगत तथा गाँव स्तर पर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बताए रखें। उपर्युक्त अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने तहे दिल से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु वचन दिया।

श्री सदानंद गोणकर, सरपंच तथा अन्य सदस्य भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। शिक्षा अधिकारी तथा कार्यक्रम प्रभारी ने "पर्यावरण संवर्धन" विषय पर चर्चा की तथा 1) रिसाइकिल 2) रियूज 3) रिफ्यूज, 4) रिड्यूस इत्यादि के प्रभावी उपयोग के बारे में बताया।

आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद

धनबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, धनबाद द्वारा 08.06.2017 से 09.06.2017 तक दो दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्यूरिटी फोर्स, (भारत सरकार, गृह डी.आई.जी. ऑफिस, बोकारो स्टील लि.,(एसए.आई.एल.), इकाई, बोकारों में किया गया। क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम की प्रतिभागी तथा डी.आई.जी. तथा बोकारों इकाई, सीआईएसएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भूरी-भूरी सराहना की। सदस्यों तथा सीआईएसएफ के अधिकारियों में सकारात्मक तथा परिणामोन्मुख प्रभाव देखकर वे बहुत ही प्रभावित हुए। फोर्स सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से उनके जीवन में सकारात्मक तथा तनाव स्तर कम हुआ। साथ ही हर्षोल्लास आया है। सीआईएसएफ के सभी कार्मिकों ने सुझाव दिया कि, फोर्स के सभी सदस्यों के लिए डीआईजी/डेप्यूटी कमांडेंट

को नियमित रूप से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि फोर्स सदस्य तनावमुक्त रहकर प्रभावी रूप से अपनी ड्यूटी को निष्पादित कर सकें। डीआईजी तथा डेप्यूटी कमांडेंट ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्रों का वितरण किया।

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, डीटएनबीडब्ल्यूईडी, इलाहाबाद द्वारा 29.8.2017 से 30.8.2017 तक इंडियन रेलवे टूक मशिन्स ट्रेनिंग सेंटर, पिपलगाँव, इलाहाबाद में दो दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 40 वरिष्ठ अनुभाग अभियंता तथा कनिष्ठ अभियंताओं ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। संप्रेषण, टीम निर्माण तथा सकारात्मक अभिवृत्ति इ. विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रतिभागियों ने प्रशंसा की। मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि, सकारात्मक अभिवृत्ति अपनाना सफलता की कुंजी है, तथा प्रत्येक ने अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सभी प्रतिभागियों ने कहा कि, यह कार्यक्रम निश्चित ही हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। प्रतिभागियों का फिडबैक बहुत अच्छा था तथा क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., इलाहाबाद के द्वारा निभायी गयी भूमिका की सराहना की गई। कार्यक्रम से टिमवर्क की अभिवृत्ति में सुधार हुआ जिससे उनके पारिवारिक जीवन में भी सुधार हेतु सहायक होगा।

नागपुर : क्षेत्रीय निदेशालय, डीटीएनबीडब्ल्यू एण्ड डी, नागपुर द्वारा माणिकगढ़ सीमेंट, गडचांदुर, तहसील कोरपना जिला चंद्रपुर में 15 से 16 मई, 2017 तक दो दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन किया गया। श्री एच.पी. तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (का एवं प्र.) ने परिसंवाद का उद्घाटन किया। प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण के इस दौर में सफलता पाने के लिए बेहतर कार्य-संस्कृति तथा समय प्रबंधन पर उन्होंने प्रकाश डाला।

तिनसुकिया : दो दिवसीय आवश्यकता पर परिसंवाद का आयोजन 26 से 28 अप्रैल, 2017 तक असम चाय मजदूर संघ का कार्यालय के सम्मेलन कक्ष, पानीटोला शाखा, सुभचानी रोड, जिला तिनसुकिया में किया गया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की तथा टी प्लांटेशन फण्ड स्कीम तथा फॅमिली पेंशन इ. संबंधी सभी सन्देह दूर हो गये। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (PMJJBY), सुकन्या, अटल पेंशन योजना (APY) तथा कौशल विकास इ. पर अपने विचार प्रकट किए तथा इस कार्यक्रम से उनके सह श्रमिक में भेदभाव दूर होगा।

मुजफ्फरपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, मुजफ्फरपुर द्वारा 09.06.2017 से 10.06.2017 तक 21 सरकारी कर्मचारियों के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना में दो दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन किया। श्री पी. के. सिन्हा, भूतपूर्व अभियंता ने परिसंवाद का उद्घाटन किया। श्री पी. के. रॉय, सहायक अभियंता (प्रशासन) ने अनुसमर्थन किया। श्री पी. के. रॉय ने बेहद प्रसन्नता अभिव्यक्त की और इस तरह के अधिकाधिक कार्यक्रम के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

उत्तर-पूर्व के श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (उत्तर-पूर्व क्षेत्र)

तिनसुकिया: श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए कॉन्फरन्स हॉल, होटल मारुती, जिला तिनसुकिया में 9 से 11 जनवरी, 2018 तक तीन दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर-पूर्व तीन दिवसीय विशेष श्रम संघ कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि, कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, श्रम कानूनों, विशेषतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा ट्रेड प्लांटेशन लेबर एक्ट इ. से संबंधित सभी संदेह दूर हो गये। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मुख्यत्वे: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) तथा सुकन्या इ. विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। डीजिटल बैंकिंग तथा कॅशलेस ट्रांसएक्शन से भी वे अवगत हुए। उन्होंने इस जानकारी को अपनी सह-श्रमिकों तथा बेरोजगार युवाओं तक पहुँचाने का वचन दिया। जिससे वंछित लाभ गरिबों तक पहुँच सकें। इस तरह का एक उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु द.टें.रा. श्र.शि.वि.बो. का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु अनुरोध भी किया।

श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए कॉन्फरन्स हॉल, होटल मारुती, जिला तिनसुकिया में 08 से 10 मार्च, 2018 तक तीन दिवसीय उत्तर-पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय उत्तर-पूर्व श्रम संघ विशेष कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि, कार्यक्रम में भाग लेने के बाद श्रम कानूनों विशेषतः औद्योगिक विवाद अधिनियम इ. के विषय में संदेह दूर हो गये। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विशेषतः प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (PMJJBY) तथा अटल पेंशन योजना (APY) इ. विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिभागियों ने इस जानकारी को अपने सह-श्रमिकों तक पहुँचाने का वचन दिया ताकि गरिबों तक वांछित लाभ मिल सके। उन्होंने इस तरह का एक उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु डीटीएनबीडब्ल्यूईडी का आभार व्यक्त किया तथा साथ ही भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु अनुरोध भी किया।

सिलिगुड़ी: 1) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "मानव सशक्तीकरण तथा विकास" विषय पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 15.12.2017 से 17.12.2017 तक सेमिनार हॉल, सीपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार बालूकानी, जिला पूर्व सिक्किम, सिक्किम में किया गया। कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई जो कि उनके भविष्य जीवन में भी सहायक होगी।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "मानव सशक्तीकरण तथा विकास" विषय पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सेमिनार हॉल, सीपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार बालूकानी, जिला पूर्व सिक्किम, सिक्किम में 26.1.2018 से 28.1.2018 तक किया गया। कुल 30

प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई जो कि उनके भविष्य जीवन में भी सहायक होगी। प्रतिभागियों ने मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य, नेतृत्व विकास, संप्रेषण कौशल, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ इ. विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए "मानव सशक्तीकरण तथा विकास" विषय पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 22.1.2018 से 24.1.2018 तक सेमिनार हॉल, सीपीडब्ल्यूडी, भारत सरकार बालूकानी, जिला पूर्व सिविकम, सिविकम में किया गया। कुल 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हुई जो कि उनके भविष्य जीवन में भी सहायक होगी। प्रतिभागियों ने मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य, नेतृत्व विकास, संप्रेषण कौशल, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ इ. विषयों पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की।

संयुक्त श्रम विभाग का कार्यालय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सिलिगुड़ी लेबर संस्थान, दागपुर, जिला दार्जिलिंग में 19 से 21 जनवरी, 2018 को आयोजित तीन दिवसीय श्रमिक मेला में क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., सिलिगुड़ी ने भाग लिया।

उत्तर-पूर्व विशेष कार्यक्रम:

तिनसुकिया: गैर-सरकारी संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए पाँच दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष कार्यक्रम का आयोजन 5 से 9 फरवरी, 2018 तक कॉन्फरन्स हॉल, होटल इस्ट एण्ड, न्यू मार्केट, डिब्रूगढ़, जि. डिब्रूगढ़ में किया गया। समापन समारोह के अवसर पर प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। विभिन्न विषयों पर अतिथिवक्ताओं द्वारा किए गए संबोधन बहुत ही अभिरूचीपूर्ण हैं। उन्होंने अतिथिवक्ताओं के चयन की प्रशंसा की। सभी प्रतिभागी सहमत हुए कि वे अपनी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण तरिके से निभाने में कार्यक्रम से निश्चित ही मदद होगी। उन्होंने, इस तरह के उपर्युक्त तथा यथासंभव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु द.ठें.रा.श्र.शि. वि.बो. के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया।

अनु.जाति/अनु.ज.जाति के श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम:

पुणे: अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए "प्रौढ़ साक्षरता शिविर" का आयोजन 12 एवं 13 मार्च, 2018 को फलोद तालुका आंबेगाँव, पुणे में दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनरेगा योजना के तहत कुआँ का पुर्ननिर्माण किया गया। प्रतिभागियों को पेसा अधिनियम, 1996 के बारे में अवगत कराया गया।

नागपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर द्वारा 16 से 17 नवम्बर, 2017 तक अनु.जाति/अनु.जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन वरोरा

तहसील, वरोरा, जिला— चंद्रपुर में किया गया। डॉ. श्रीकांत पाटिल, प्रोफेसर आनंद निकेतन महाविद्यालय, आनंदवन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

भुवनेश्वर: अ.जाति/अनु. जन.जाति के श्रमिकों के लिए 23 एवं 24 जनवरी, 2018 को गाँव बालसिंगा, कामाक्ष्या नगर, जिला टेंकॅनाल में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकांश प्रतिभागी स्वावलंबन समूह के सदस्य थे। जो कुक्कुट पालन, पशु-पालन, मशरूम खेती इ. व्यवसाय अपने स्व-विकास हेतु कर रहे थे। “बेटी पढ़ाओं” अभियान का जागरूकता निर्माण हेतु उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने हेतु सभी बालिकाओं को स्कूल में भेजना सुनिश्चित किया।

जनजातिय (TSP) श्रमिकों के लिए उप-योजना अंतर्गत विशेष कार्यक्रम:

मंगलूर: अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए टीएसपी योजना (TSP) के अंतर्गत 10.5.2017 से 11.5.2017 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन मिटींग प्लेस, महालक्ष्मी स्वावलंबन समूह, गाँव रामानहल्ली, जिला मैसूर में किया गया। पीएमजेएसवाई (PMJSY), पीएमजेडीवाई(PMJDY), एसएसवाई(SSY), सीडब्ल्यूडब्ल्यूई इ. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी योजनाओं में प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया तथा साथ ही उन्होंने अपने विकास हेतु अधिकाधिक विभिन्न ई-बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पाने हेतु सहमत हुए।

कोयम्बतूर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर में टीएसपी के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन 09 एवं 10 अगस्त, 2017 को कम्यूनीटी हॉल, नलपथी, कोयम्बतूर में किया गया। प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कल्याण योजनाएँ, संगठन की आवश्यकता पीएमजेडीवाई, स्वच्छ भारत, अभियान, यूवाई गॅस सिलेंडर का सुरक्षात्मक उपयोग (सेपटी तकनीक) तथा और भी कई योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी कार्यक्रम से प्राप्त की।

क्षेत्रीय निदेशालय, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर द्वारा टीएसपी के लिए अन्य दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन 10 एवं 11 अगस्त, 2017 को बलरामन हाऊस प्रिमाइसेस में किया गया।

टीएसपी (TSP) के अंतर्गत अनु.जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम:

धनबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., धनबाद द्वारा 13.8.2017 एवं 14.8.2017 तक अपग्रेड्ड प्राइमरी स्कूल, पंडाना तंड, खण्ड नवादिह, जिला बोकारो में दो दिवसीय टीएसपी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, कॅशलेस ट्रांसऑक्शन इ. के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी प्राप्त हुई तथा वे अपनी सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु स्वावलंबन समूह से भी प्रभावित हुए तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु सामाजिक बुराइयों से दूर रहें।

नागपुर : क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर द्वारा 23 से 24 अगस्त, 2017 तक अनु. जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन गाँव सोनखरी, तहसील लखारी, जिला- भंडारा में किया गया। श्रीमती नीशा लांजेवार, गाँव की सरपंच ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

मंगलूर: टीएसपी योजना के अंतर्गत अनु. जनजाति के श्रमिकों के लिए 26.10.2017 एवं 27.10.2017 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन मिटींग प्लेस, वूमेन एसोसिएट, नयाकरा बीडी, गाँव मेलाहल्ली, जिला पैसुरु में किया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण लेने हेतु कुछ प्रतिभागी आश्वस्त हुए। कुछ प्रतिभागियों ने एस.एस.वाई.(SSY) में अपनी बालिकाओं का पंजीयन किया, तो कुछ प्रतिभागियों ने स्व-रोजगार करने हेतु आश्वस्त हुए।

कोयम्बतूर: टीएसपी योजना के अंतर्गत अनु. जनजाति के श्रमिकों के लिए पीयूई स्कूल, सारलपथी, कोयम्बतूर में 13 एवं 14 दिसम्बर, 2017 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाएँ तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे में प्रतिभागी अवगत हुए। जनजाति कल्याण विभाग के लिए प्रतिभागियों ने प्रेरित होकर श्रम कल्याण बोर्ड में अपना पंजीयन/नामांकन भी किया और समय-समय पर नवीनीकरण भी किया था।

अनु.जनजाति सब-प्लान (SCSP) श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम:

कोयम्बतूर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर द्वारा 19 एवं 20 जुलाई, 2017 को एसएचजी भवन करियनचेट्टी पालयम, ऊनामलै, कोयम्बतूर में एससीएसपी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने रेशम उद्योग पर स्व-रोजगार प्रशिक्षण श्रम कल्याण बोर्ड तथा विभिन्न सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों इ. के विषय में जानकारी हासिल की तथा डेंगू बूखार से रोकथाम तथा स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक उपायों इ. के बारे में सलाह दी गयी।

मंगलूर: अनु.जाति के श्रमिकों के लिए एससीएसपी योजना के तहत, प्राइमरी स्कूल, गाँव कापूर, तालुका मंगलूर, दक्षिण जिला कर्नाटक में 27.6.2017 एवं 28.6.2017 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मुजफ्फरपुर: अनु.जाति के श्रमिकों के लिए एससीएसपी योजना के तहत, कतारो, ब्लॉक पारु, जिला- मुजफ्फरपुर में 23.10.2017 एवं 24.10.2017 को खेतीहर श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री मिथिलेश तिवारी, समन्वयक, सुविधा किसान क्लब द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। साथ ही श्री मिथिलेश तिवारी, समन्वयक ने सरकार की कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य एवं देखभाल, सूचना का अधिकार एवं मानव अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किये।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यक्रम:

कोयम्बतूर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर द्वारा पंचायत हॉल, मरप्पागुंडपुडुर, कोयम्बतूर में 22 एवं 23 फरवरी, 2018 को मनरेगा पर दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनरेगा, अधिनियम- 2005 के विषय में प्रतिभागी अवगत हुए तथा योजना को अमल में लाना तथा इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों इ. के बारे में भी प्रतिभागी अवगत हुए। केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी प्रतिभागियों में जागरूकता हुई। वे पारित होकर विभिन्न लाभों को पाने हेतु उन्होंने श्रम कल्याण बोर्ड में अपना पंजीयन करवाया।

नागपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर द्वारा ग्राम स्तर पर 02 दिवसीय मनरेगा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गाँव की सरपंच श्रीमती स्मिता डांगे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दिनांक 19 से 20 जूलाई, 2017 को ग्राम काहली, तहसील ब्रम्हपुरी, जिला- चंद्रपूर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से प्रभावित होकर विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं ने निम्न स्तर पर आय सृजित करने संबंधी कार्यक्रमों की शुरुवात की।

मंगलूर: मनरेगा जागरूकता (ग्रामीण स्तर) पर कम्प्यूनीटी हॉल, गाँव मानची तालुका बंटवाल, जिला दक्षिण कन्नड़ में 09.11.2017 से 10.11.2017 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मनरेगा जागरूकता (ग्रामीण स्तर) पर मीटींग प्लेस, शारदा वूमन एसएचसी, गाँव कामेनकेरा हुंडी, तालुक एवं जिला मैसूर में 16.1.2018 से 17.1.2018 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनेक प्रतिभागी तथा रिश्तेदारों ने मनरेगा जॉब कॉर्ड्स तथा अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ जैसेकि, पीएमजेएसवाई, आएसबीवाई, एपीवाई, सीडब्ल्यूडब्ल्यूएफ इ. में अपना पंजीयन करवाया।

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (पीडीपी):

हैदराबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., हैदराबाद द्वारा 29.08.2017 से 18.09.2017 तक भेल (बीएचईएल) के कर्मचारियों के लिए 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि स्वयं तथा संगठनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम अत्यधिक फायदेमंद रहा। कार्यक्रम में तत्संबंधित विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। कार्यक्रम को सूचनात्मक बनाने हेतु अतिथिवक्ताओं ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अनुशासन, कर्मचारियों की भूमिका इ. के बारे में जानकारी हासिल की।

कानपुर : क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., कानपुर द्वारा 27.4.2017 से 17.5.2017 तक द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., कानपुर के प्रशिक्षण कक्ष में 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री आर. पी. मिश्रा, उप निदेशक, श्रम कार्यालय, कानपुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री मिश्रा ने उद्योग के सामने वर्तमान चुनौतियाँ तथा इन चुनौतियों का सामना कैसे करना इ. पर प्रकाश डाला। उन्होंने द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो. द्वारा इस तरह के उच्च कोटी को सूचनाप्रद तथा प्रभावी कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु बोर्ड की भूरी-भूरी प्रशंसा की।

श्री राजीव कुमार, सहायक महा प्रबंधक, आयुध निर्माणी, कानपुर कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री प्रदीप कुदेशिया, क्षेत्रीय निदेशक, द.ठे.रा.श्र.शि.वि. बो., कानपुर ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। अपने समापन भाषण में श्री राजीव कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम उत्कृष्ट और प्रभावपूर्ण रहा। उन्होंने द.ठे.रा.श्र.शि.वि. बो. के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की तथा उन्होंने इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने हेतु अनुरोध किया।

उपर्युक्त कार्यक्रम की भूरी-भूरी प्रशंसा केवल प्रतिभागियों ने ही नहीं की बल्कि अतिथिवक्ताओं ने भी खूब प्रशंसा की।

कानपुर : क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., कानपुर द्वारा कार्यालय के ही प्रशिक्षण कक्ष, कानपुर में 14.12.2017 से 03.01.2018 तक 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम में कुल 32 संख्यक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (डब्ल्यूपीएम)

हैदराबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., हैदराबाद द्वारा आयुध निर्माणी के कर्मचारियों के लिए येडडूमलईपुरम संगारेड्डी, जिला तेलंगाना में 25.09.2017 से 27.09.2017 तक तीन दिवसीय प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रबंधन तथा प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई तथा कुल मिलाकर कार्यक्रम सफल रहा तथा उत्पादकता, न्यूनतम लागत, टीम वर्क, व्यवहार/आचरण व्यक्तित्व/ कौशल विकास इ. से कम्पनी के कर्मचारियों के लिए सहायक होगा।

विजयवाड़: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., विजयवाड़ द्वारा 29.01.2018 से 31.01.2018 तक तीन दिवसीय प्रबंधन में भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन डॉ. एनटीटीपीएस, इब्राहिमपटणम्, जिला क्रिष्णा में कुल 25 संख्यक प्रतिभागी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

नागपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर द्वारा 18 से 20 दिसम्बर, 2017 तक तीन दिवसीय "प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी" विषय पर कार्यक्रम का आयोजन मॉर्डल लिमि., मनसर माईन, तहसील रामटेक, जिला नागपुर में किया गया। श्री डी. एस. कोल्हे, प्रमुख (खान), मनसर माईन्स ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने उद्घाटन पर भाषण में कहा कि, प्रतिभागी कार्यसंस्कृति तथा उद्योग के प्रत्येक मंच पर श्रमिकों के सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया।

कानपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., कानपुर द्वारा 09.01.2018 से 11.01.2018 तक भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमि., झांसी में "प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी" विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

श्री ए. बी. गुप्ता, वरिष्ठ महाप्रबंधक, भेल, झांसी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री आर. एन. झा, महाप्रबंधक, भेल, झांसी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री ए. बी. गुप्ता ने अपने उद्घाटन पर भाषण में कहा कि, उद्योग में श्रमिकों की परिस्थिति को ऊपर उठाने के लिए प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ने केवल औद्योगिक शांति बल्कि उद्योग, श्रमिक और राष्ट्र के लिए आधारभूत है। अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री आर.एन. झा, महाप्रबंधक, ने कहा कि, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी यह श्रमिकों में सुरक्षात्मक उपाय, अनुशासन, कल्याण तथा स्वास्थ्य इ. के बारे में जागरूकता का निर्माण करती है जिससे श्रमिकों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। श्री मणिकांत खरे, प्रधान (मा.सं.), डॉ. आफताब अलम, प्रबंधक (कल्याण) तथा भेल कार्यालय के अन्य गणमान्य भी उपर्युक्त अवसर पर उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। डॉ. आफताब अलम, ने मुख्य अतिथि तथा अन्य गणमान्यों का भी हार्दिक स्वागत किया। श्री ए. बी. गुप्ता, वरिष्ठ महाप्रबंधक, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि ने पारंपारिक दीपक प्रज्वलन किया।

उपर्युक्त तीन दिवसीय कार्यक्रम का समापन दिनांक 11.01.2018 को सम्पन्न हुआ। श्री आर. एन. झा, महाप्रबंधक, भेल, झांसी समापन समारोह के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री मणिकांत खरे, प्रधान (मा.सं.), भेल, झांसी ने समापन सत्र की अध्यक्षता की। अपने समापन भाषण में श्री झा ने कहा कि, भेल कार्यालय, झांसी में मेरे बीस साल की सेवा अवधि के दौरान, उपर्युक्त कार्यक्रम बहुत ही प्रभावपूर्ण तथा उत्कृष्ट है। उन्होंने द.ठे.रा.श्र.शि. वि.बो. के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की तथा इस तरह के कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजन करने हेतु बोर्ड से अनुरोध भी किया। श्री आफताब अलम, प्रबंधक (मा.सं.), भेल, झांसी भी उपर्युक्त अवसर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन पर उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यक्रम की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो. से अनुरोध किया कि त्रैमासिक आधार पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमि., झांसी के प्रबंधक तथा साथ ही प्रतिभागियों ने उपर्युक्त कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के विषय में सकारात्मक फिडबैक भी दिया। प्रबंधन, भेल ने प्रतिभागियों से, कार्यक्रम का पूरा-पूरा लाभ लेने की अपील भी की तथा कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान को, अपने परिवार, सामाजिक जीवन, उद्योग इ. के विकास हेतु अपने दैनंदिन जीवन में अपनाने का भी अनुरोध किया। क्षेत्रीय निदेशक, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., कानपुर ने मार्गदर्शन तथा आयोजन किया।

असंगठित कार्यक्रम:

मुजफ्फरपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., मुजफ्फरपुर द्वारा 14.5.2017 एवं 15.5.2017 को फचबाद, मुजफ्फरपुर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद का आयोजन किया गया। श्री मिथीलेश तिवारी, अध्यक्ष, किसान क्लब ने उपर्युक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीमती रूबी तिवारी, सदस्य, जिला बाल विकास समिति, ने कार्यक्रम का समापन किया। डीजीटल पेमेंट्स, सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य-विज्ञान तथा आधार कार्ड इ. के विषय में जानकारी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम प्रभावात्मक रहा।

असंगठित क्षेत्र के 40 श्रमिकों के लिए 12.10.17 से 13.10.17 तक मीडल स्कूल, वी बलरा, बी बारूली, डी. गोपालगंज में दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री सनी पांडे, सदस्य, जिला बाल कल्याण समिति ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सनी पांडे, जिला बाल कल्याण समिति ने कार्यक्रम का समापन किया। स्व-रोजगार तथा डिजीटलायझेशन पर जानकारी प्रदान की गयी। यह कार्यक्रम प्रभावात्मक रहा।

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., इलाहाबाद द्वारा 29.05.17 से 30.05.17 तक असंगठित श्रमिकों हेतु दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन गाँव बाशमहुआ, खण्ड सहसन, जिला इलाहाबाद में किया गया। यह कार्यक्रम विशेषतः बीड़ी श्रमिकों के लिए ही था। सभी प्रतिभागियों इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। विभिन्न विभागों द्वारा बीड़ी श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लिया। प्रतिभागियों ने डीजिटल इंडिया कार्यक्रम के विषय में जानकारी प्राप्त की तथा वो इस योजना से लाभान्वित भी हो गये।

धनबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., धनबाद द्वारा 09.07.2017 से 12.07.2017 तक कम्यूनिटी हॉल, गैर मजौरा, खण्ड गोमीया, जिला बोकारो में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी प्रतिभागियों ने "आम आदमी बीमा योजना" जीवन बीमा योजना के अंतर्गत रु.10/- प्रतिव्यक्ति हेतु नोडल एजेंसी ग्राम स्वराज्य सेवा केन्द्र (पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन) में पंजीकरण किया।

नागपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर द्वारा 18 से 20 नवम्बर, 2017 तक गाँव देवपायली, तहसील नागभीड़, जिला चंद्रपुर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद का आयोजन किया गया। श्रीमती योगिता देशमुख सरपंच ने कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समामन किया। उपर्युक्त कार्यक्रम का प्रसारण स्थानीय न्यूज चैनल्स पर किया गया।

चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम:

जयपुर: निर्माण एवं समन्वय मजदूर यूनियन, जयपुर के सहयोग से 1.1.2018 से 4.1.2018 तक कम्युनिटी सेंटर, गैटोर रोड, ब्रह्मपुरी, जयपुर में प्रतिभागियों के लिए निर्माण कार्य क्षेत्र के दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री रामकेश गुर्जर, उपाध्यक्ष, निर्माण एवं समन्वय मजदूर यूनियन, आयटक, राजस्थान, जयपुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा श्री डी.के. छांगानी, महासचिव, आयटक, राजस्थान के समापन भाषण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

तिनसुकिया: ग्रामीण श्रमिकों के लिए 21 से 24 अगस्त, 2017 तक छबुआ पुलुंगा गाँव पंचायत, 2 क्र.सं. कुमार गाँव, बधोरा गाँव, 2 क्र.सं. पुलुंगा गाँव, राजबारी गाँव तथा आयगुडी गाँव में चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। कौशल विकास एवं रोजगार हेतु उसका महत्व, श्रम कानून, स्व-रोजगार हेतु लघु अर्थप्रबंध, पशुचिकित्सा विभाग के अंतर्गत योजनाएँ, सामाजिक बुराईयाँ, उनपर प्रतिबंध, माँ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल, महिला सशक्तीकरण, एसआईआरडी (SIRD) के तहत योजनाएँ, शिक्षा का महत्व तथा शिक्षा हेतु शासकीय योजनाएँ, आय वृद्धि की गतिविधियाँ, स्वावलंबन समूह तथा एनआरएलएम, सरकारी योजनाएँ जैसेकि, सुकन्या, आरएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (PMJJBY), अटल पेंशन योजना (APY) इ. कार्यक्रम में पढाये गये विषयों की प्रतिभागियों ने सराहना की तथा मनरेगा समस्याएँ और संभावनाओं इ. को भविष्य में निराकरण करेंगे।

सिलिगुड़ी : दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए 21 जून, 2017 से 24 जून, 2017 तक 40 प्रतिभागियों के लिए कावाखाली, जिला दार्जिलिंग में चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने शिक्षा प्राप्त किया तथा महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, श्रम कानून, जीवन की गुणवत्ता इ. विषय पर प्राप्त जानकारी से वे प्रेरित हो गए।

दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए 10.7.2017 से 13.7.2017 तक 40 प्रतिभागियों के लिए ढंगारा, बिष्णोपुर, जी. पी. भाभन, गाँव ढंगारा, खण्ड चाचल-II, जिला मालदा में चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ढंगारा शाखा ने

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वित्तीय उद्योग विषय पर अपना भाषण दिया तथा सुकन्या समृद्धि योजना की सुविधाओं का लाभ पाने हेतु उन्होंने प्रतिभागियों को प्रपत्र भी वितरित किए।

कोयम्बतूर : क्षेत्रीय निदेशालय, द.टं.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर द्वारा 15 से 18 मई, 2017 तक दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए आंबेडकर प्रशिक्षक केन्द्र, रामास्वामी नगर, उडुमलैपेट्टै, तिरुपुर में चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। विभिन्न सरकारी योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ, श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार, पारिवारिक जीवन तथा परिवार के प्रति उनकी भूमिका इ. के विषय में प्रतिभागियों को जानकारी प्राप्त हुई। प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट जीवन के लिए कार्यक्रम में बताई गई जानकारी से प्रोत्साहित हुए।

चण्डीगढ़: क्षेत्रीय निदेशालय, द.टं.रा.श्र.शि.वि.बो., चण्डीगढ़ द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 17.7.2017 से 20.7.2017 तक गाँव मेहताबाद, खण्ड खेरा, जिला फतेहगढ़ साहेब (पंजाब) में चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री बलजीत सिंह, अध्यक्ष जिला परिषद, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रम संघ संगठन/ स्वावलंबन समूह इ. का गठन करने हेतु तथा अपने अधिकारों की रक्षा हेतु प्रोत्साहित हुए। उन्होंने अपने उज्ज्वल भविष्य हेतु पैसों की अधिक बचत करने का निश्चय भी किया।

राँची : क्षेत्रीय निदेशालय, राँची द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए, क्षेत्रीय निदेशालय, प्रशिक्षण हॉल, राँची में 13.9.2017 से 16.9.2017 तक चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। माननीय मेहमुद कमल खान, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, झारखण्ड ने कार्यक्रम को भेट दी। उनकी उपस्थिति तथा कौशल विकास हेतु पहल से प्रतिभागी प्रोत्साहित हुए तथा विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण हेतु आवेदन भी किए।

गोवा : दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए 10.7.2017 से 13.7.2017 तक श्री दत्ताराम वास्त हॉल, शिरफोड, कुरकोरेम, खण्ड कुपेम, जिला दक्षिण गोवा में चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। माननीय विधायक कुरकोरेम तथा अध्यक्ष गोवा पर्यटन विकास महानिगम, गोवा सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे स्वच्छता को प्राथमिकता दें तथा स्वच्छ भारत अभियान में शामिल भी हों ताकि भारतवर्ष स्वस्थ रहें और स्वच्छता भी रहें, उन्होंने डीटीएनबीडब्ल्यूईडी की गतिविधियों की भी सराहना की तथा साथ ही यह अनुरोध भी किया कि श्रमिक वर्गों तक सही जानकारी पहुँचाने हेतु अधिकतम जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।

कार्यक्रम में कुल 50 प्रतिभागी उपस्थित थे। उपर्युक्त कार्यक्रम के प्रभारी श्री मोहनचंद सेन, शिक्षा अधिकारी थे।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 19.6.17 से 22.6.17 तक चौकवाड़ा, बघवाड़ा के पास, कुरकोरेम, खण्ड कुपेम, जिला दक्षिण गोवा में चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया, 21 जून, 2017 को "योगा दिवस" भी मनाया गया। उपर्युक्त अवसर पर, माननीय विधायक, कुरकोरेम निर्वाचन क्षेत्र तथा अध्यक्ष, गोवा पर्यटन विकास निगम, गोवा सरकार उपस्थित थे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे प्रतिदिन योगा करने की आदत दैनिक में अपनाए जिससे उन्हें अच्छा स्वास्थ्य तथा मन:शांति मिल सकें। श्री गजानन नाईक, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, ने योगा के आसनों को प्रस्तुत करके दिखाया। श्री मोहनचंद सेन, शिक्षा अधिकारी, उपर्युक्त कार्यक्रम के प्रभारी थे। कुल 35 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी।

पंचायती राज कार्यक्रम:

तिनसुकिया: तीन दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष पंचायती राज कार्यक्रम का आयोजन ट्रेनिंग हॉल, बजलटाली गाँव पंचायत, खण्ड गुजन जिला तिनसुकिया में 26 से 28.10.2017 तक किया गया। प्रतिभागियों ने कहा कि कार्यक्रम में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला जैसे, आरएसबीवाई, कौशल विकास उपक्रम, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमबीएसवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), सुकन्या योजना पंचायत राज के इ. के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि, उपर्युक्त से उनके दैनंदिन जीवन में लाभ होगा और भविष्य में वे सेवामुक्त होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रतिभागियों ने डीटीएनबीडब्ल्यूईडी का आभार व्यक्त किया चूँकि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला जोकि जीवनभर उनके लिए फायदेमंद रहेगा।

तीन दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष पंचायती राज कार्यक्रम का आयोजन 21 से 23.11.2017 तक ट्रेनिंग हॉल, गुजन गाँव पंचायत, खण्ड गुजन जिला तिनसुकिया में किया गया। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला जैसे कि, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), कौशल विकास उपक्रमण इ. उन्होंने हार्दिक आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम से उनके दैनंदिन जीवन में लाभ होगा और भविष्य में वे सेवामुक्त होंगे।

चण्डीगढ़: दो दिवसीय पंचायती राज कार्यक्रम का आयोजन 20.12.2017 से 21.12.2017 तक बीडीपीओ कार्यालय, सिरहिंद, जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) में किया गया। कार्यक्रम में कुल 30 प्रतिभागी उपस्थित थे। श्री मोहिंदरजीत सिंह (पीसीएस), बीडीपीओ ने समापन

कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रतिभागी बहुत ही प्रेरित हो गए और उन्होंने मनरेगा श्रमिकों के लिए 100 दिन का रोजगार का प्रावधान निश्चित किया।

जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (क्यूएलपी) - दो और चार दिवसीय :

भुवनेश्वर: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 4 से 7 जनवरी, 2018 को गाँव कर्नाडा, बी हिंदोल, जिला डेंनकॅनाल में चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम को आयोजन किया गया। कुछ प्रतिभागियों ने कंसट्रक्शन लेबर वेलफेयर स्कीम विलेजर्स में अपने घर का पंजीयन कराने का निश्चय किया और स्वच्छ भारत हेतु प्राथमिकता देने का भी निश्चय किया।

मुजफ्फरपुर: चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम का आयोजन 20.02.18 से 23.02.18 तक गाँव सरारी, ब्लॉक दानपुर, जिला पटना में 40 कृषक श्रमिकों के लिए किया गया। श्री अरूण कुमार सिंह, सचिव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा श्री अवधेश कुमार, डीएससी ने कार्यक्रम का समापन किया। बच्चों को स्कूल में भेजना, बच्चों का उचित पालन- पोषण, स्वावलंबन समूह का गठन तथा बैंक से आधार कार्ड जोड़ना इ. कार्यक्रम का प्रभाव रहा।

संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम :

धनबाद : क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा 12.02.2018 को प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, टाटा स्टील लि., जमदोबा कॉलीरीज, जमदोबा, धनबाद में एक दिवसीय संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रतिभागियों ने कहा कि डीटीएनबीडब्ल्यूईडी के कार्यक्रम से प्रेरित होकर उन्होंने उत्पादन लागत में कमी करके तथा कंपनी के उभरजीविता के लिए तथा मार्केट में टिके रहने हेतु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु प्रत्येक कर्मचारियों ने उत्पादकता स्तर में बढ़ोत्तरी करना चाहिए।

जमशेदपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर द्वारा 10.8.2017 को एक दिवसीय संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री विनोद कुमार, प्रबंधक (मासं), मल्टीटेक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, गम्हरिया, खण्ड गम्हरिया, जिला सराईकेला, खरसावान।

स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (एसजीएफ) :

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, इलाहाबाद द्वारा 27.06.2017 से 29.06.2017 तक ट्रेनिंग हॉल, सीईटीआई, नॉर्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में तीन दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं के कुल 14 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के प्रभाव से उनके व्यक्तित्व में निखार आया। सभी प्रतिभागियों ने इस तरह के प्रभावी कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, इलाहाबाद की भूमिका की प्रशंसा की। एनसीएल के प्रबंधक ने कहा कि, भविष्य में भी डीटीएनबीडब्ल्यूईडी द्वारा ऐसा ही सहयोग मिलते रहना चाहिए।

चण्डीगढ़ : क्षेत्रीय निदेशालय, चण्डीगढ़ द्वारा 19.06.2017 से 20.06.2017 तक स्वराज ऑटोमोटीव लिमि., पटियाला (पंजाब) में दो दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम को आयोजन किया गया। उन्होंने 19 एवं 20 जून, 2017 को उनके फैक्टरी में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने हेतु क्षेत्रीय निदेशालय, चण्डीगढ़ के प्रति आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों, श्रमिकों, पर्यवेक्षकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के कुल 20 संख्यक प्रतिभागी कार्यक्रम में उपस्थित थे और यथार्थ सकारात्मक बदलाव के जैसे उत्कृष्ट परिवर्तन हुआ है। कार्यक्रम में सहभागिता से परिपूर्ण था। हम आपके दिए गए साहित्य तथा भाषणशैली की भी सराहना करते हैं।

जमशेदपुर: दो दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम का आयोजन 24.5.2018 से 25.5.2018 तक टिनप्लेट कंपनी इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर में किया गया। श्री तरुण डागा, प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल, टाटा स्टील पूरक कंपनी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, जमशेदपुर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से कंपनी में औद्योगिक शांति बनाए रखने हेतु बहुत मदद हुयी। श्रमिकों के मनस्थिति में अनोखा परिवर्तन आने से उन्होंने द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., जमशेदपुर के प्रयासों तथा पहल की भी भूरी-भूरी प्रशंसा की। आने वाले दिनों में भी हमारे श्रमिकों के लिए इस तरह के समरूप कार्यक्रमों का आयोजन की हम आशा करते हैं।

नागपुर: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर द्वारा 14 एवं 15 जून, 2017 को स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, चंद्रपुर फैरो अलाय प्लांट में दो दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री पी. पी. चक्रवर्ती, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम का आयोजन जीआरएम वरोरा, जिला चंद्रपुर में 22.09.2017 को किया गया। श्री अभिषेक पाटील, प्रधान मासं ने कार्यक्रम का समापन किया जबकि अपने समापन भाषण में उन्होंने संगठन को आगे बढ़ाने हेतु अनुशासन पर बल दिया।

धनबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा 17.02.2018 से 18.02.2018 तक डाक विभाग, इंडिया पोस्ट (डाक मंत्रालय), भारत सरकार, भागलपुर प्रभाग में दो दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 25 संख्यक प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री अरविंद कुमार सिंह, डाक कार्यालय अधीक्षक, भागलपुर, प्रभाग ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम परिणामोन्मुख प्रभाव प्रतिभागियों से जानने के बाद प्रबंधन ने यह महसूस किया कि, डीटीएनबीडब्ल्यूईडी (सीबीडब्ल्यूई) के कार्यक्रम उपयोगी सूचनात्मक तथा ज्ञानप्रद है। इस तरह की ज्ञानप्रद कार्यशाला से संगठन की उत्कृष्टता के लिए कर्मचारियों की मनस्थिति में बदलाव होगा। प्रबंधन ने कहा कि सीबीडब्ल्यूई कार्यक्रमों में डाक कार्यालय, भागलपुर प्रभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित होना है।

अध्याय-IX

प्रभाव एक झलक

द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. (केश्रशिबो) के कार्यक्रमों ने आँखें खोल दी:

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए प्रतिदिन दैनिक भत्ता प्रत्यक्ष बैंक अंतरण (डाइरेक्ट बैंक ट्रांसफर-डी.बी.टी.) के जरिए से दिनांक 01.01.2015 से आरम्भ किया गया है जिसे दिनांक 01.04.2015 से पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया गया है।

कोषिकोड: हम कृषि मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास परिषद से राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, 2018 प्राप्त होने पर कोषिकोड जिला सहकारी अस्पताल, कोषिकोड से प्रशंसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिनांक 21.09.2017 को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया गया। जिला सहकारी अस्पताल, कोषिकोड के सभी कर्मचारियों को हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामों से प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इस उपलब्धि के लिए कोषिकोड जिला सहकारी अस्पताल ने सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास में योगदान देने के लिए दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की भूमिका को रेखांकित किया है। दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, कोषिकोड के अधिकारियों द्वारा दिए गये प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थान के कर्मचारियों की अभिवृत्ति एवं कार्यक संस्कृति के निर्माण में सहायता प्रदान किया है और इस अद्वितीय उपलब्धि के लिए दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, कोषिकोड के प्रयासों की सराहना किया है।

गोवा: विश्व जनसंख्या दिवस पर विशेष रिपोर्ट

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय, पोण्डा द्वारा दिनांक 10.07.2017 से 13.07.2017 तक शिरफोड, कर्चोरेम, ब्लॉक क्यूपेम, जिला दक्षिण गोवा में दुर्बल वर्ग के लिए आयोजित चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर के दौरान दिनांक 11.07.2017 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गयां लगभग 25 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। श्री निलेश कब्राल, उ. विधायक तथा अध्यक्ष, गोवा पर्यटन एवं विकास निगम, गोवा सरकार ने दिनांक 11.07.2017 को कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कर्चोरेम, श्री मोहन राव देसाई, विस्तार प्रशिक्षक उपस्थित थे। माननीय विधायक श्री निलेश कब्राल ने दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की गतिविधियों की सराहना की और कहा कि लोगों तक सही ज्ञान को पहुँचाने में ऐसे

कार्यक्रमों की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने आगे और कहा कि छोटा परिवार सुखी परिवार। उन्होंने परिवार कल्याण के लिए हम दो हमारे दो की अवधारणा को बताया।

श्री मोहनराव देसाई, स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुर्चोरम ने परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन पर भाषण दिया। उन्होंने परिवार नियोजन के विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा की और सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि छोटा परिवार योजना के महत्व पर जागरूकता फैलाएं। श्रीधर आचार्या, विस्तार प्रशिक्षक ने भी जनसंख्या विस्फोट पर भाषण दिया और कहा कि जनसंख्या विस्फोट से बचें और सरकार की अन्य परिवार कल्याण योजनाओं का लाभ उठाएं। शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता के माध्यम से राष्ट्र विकास में कार्य किया जा सकता है। इस अवसर पर माननीय श्री निलेश काब्राल, विधायक एवं गोवा पर्यटन विकास निगम, गोवा सरकार को सबका साथ सबका विकास नामक पुस्तिका भेंट दी गई।

दैनिक समाचारपत्र में बोर्ड के कार्यक्रमों का प्रचार

ग्राम चोकवाड़ा कर्चोरेम, क्यूपेम, ब्लॉक जिला दक्षिण गोवा में क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 22.06.2017 तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर आयोजित किया गया। श्री निलेश काब्राल, विधायक ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया, जिसे दिनांक 31.07.2017 को गोवा दूत मराठी डेली न्यूज में प्रकाशित किया गया था।

तिरंगा यात्रा पर संक्षिप्त रिपोर्ट

भोपाल: द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., ऑचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भोपाल द्वारा विरंगा यात्रा निकाली गई। भारत छोड़ो आंदोलन को 75 वर्ष पूरा करने के अवसर पर भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेश पर 29 अगस्त, 2017 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल तथा द.ठें.रा.श्र.शि. वि.बो., क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय परिसर में विरंगा यात्रा निकाली गई।

श्रीबाबूलाल गौड़ जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री म.प्र. एवं विधायक कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे। श्री आलोक सांजरजी, सांसद, भोपाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने सम्बोधन में श्री बाबूलाल गौड़ और श्री आलोक रंजन, सांसद ने राष्ट्र की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की याद दिलाई। संघर्ष के बाद भारत आजाद हुआ। आज भारत आजद है परन्तु अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से जूझ रहा है। श्री चपलोट जी, प्रभागीय प्रबंधक, जीवन बीमा निगम, श्री शामिनुद्दीन (भा.प्र.से.), निदेशक, पंचायत राज एवं श्री एस. के. सुमन, क्षेत्रीय आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑचलिक कार्यालय एवं श्री

जगदीश टाम्बे एवं क्षेत्रीय कार्यालय के अन्य अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। डॉ. मीनेश शर्मा, जनसम्पर्क अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया। तिरंगा यात्रा में 300 लोग सम्मिलित हुए। श्री संजय केशरी, क्षेत्रीय आयुक्त ने द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., की सक्रिय भूमिका के लिए धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम में 45 असंगठित महिला श्रमिक एवं श्रमिक संघ, भेल ने भी भागीदारी ली। क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक एवं सभी कर्मचारी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

इलाहाबाद: क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., इलाहाबाद द्वारा सार्क कार्यालय, ग्राम अनौला ताकताकपुर, वाराणसी में दिनांक 13.06.2017 और 14.06.2017 को महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती रंजना गौड़, परियोजना प्रबंधक, सार्क, वाराणसी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और कहा कि क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से पिछड़ी नहीं हैं, उन्होंने अनेक उदाहरणों सहित अवगत कराया। इस कार्यक्रम की प्रत्येक महिलाओं ने कहा कि शिक्षा महिलाओं के लिए अनिवार्य है और अच्छा नैतिक मूल्य सकारात्मक व्यक्तित्व की कुंजी है, इसलिए हमें उच्च नैतिक मूल्यों के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी प्रतिभागी केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानते थे।

ग्राम बारामहुआ, ब्लॉक सहसन, जिला— इलाहाबाद में दिनांक 29.05.2017 एवं 30.05.2017 को असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विशेषकर बीड़ी श्रमिकों के लिए था। सभी प्रतिभागियों ने ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना की। सभी प्रतिभागियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की और इस स्कीम से लाभान्वित हुईं। उन्होंने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण श्रमिक एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 2009 के बारे में जानकारी प्राप्त की।

ग्राम मीरापुर, ब्लॉक बहादुरपुर, जिला— इलाहाबाद में दिनांक 18.12.2017 एवं 19.12.2017 को दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के विशेष मुख्य अतिथि श्री मूलचन्द्र दीक्षित, खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड बहादुरपुर ने कहा कि प्रशिक्षण एवं शिक्षा श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने का एक अच्छा उपकरण है। द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., यह कार्य श्रमिक वर्ग के जीवन स्तर को उठाने के लिए पूरे देश में कार्य कर रहा है ताकि बैंक के जरिए भार सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से श्रमिक स्व रोजगार को अपना सकें। सभी प्रतिभागियों ने द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., के प्रयासों की सराहना की और द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो. के अधिकारियों से अनुरोध किया कि इलाहाबाद जिला के प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गाँव के लिए ऐसे अधिकाधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

हुबली : राजापुुरा, हुबली तालुका धरवाड़ जिला में क्षेत्रीय निदेशालय, हुबली द्वारा दिनांक 20.06.2017 एवं 21.06.2017 को असंगठित क्षेत्र के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया।

अस्टीगट्टी, कालगाटिगे तहसील धारवाड़ जिला में दिनांक 06.01.2018 एवं 07.01.2018 को क्षेत्रीय निदेशालय, हुबली द्वारा दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, प्रतिभागी गुड़िया बनाने एवं चूड़ियाँ बनाने में प्रशिक्षण प्राप्त किए थे और इसे उन्होंने उद्यमिता गतिविधि के रूप में लिया।

सिलीगुड़ी: जीटिटी ईस्टेट, नगरकटा, जिला— जलपाईगुड़ी में दिनांक 24.05.2017 एवं 25.05.2017 को आवश्यकता पर आधारित दो दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 29 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों की राय थी कि यह कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होना चाहिए ताकि उद्योग में अनुपस्थितता में कमी आ सके तथा उत्पादकता की वृद्धि में सहायता मिल सकें और जीवन की गुणवत्ता में सुधार आये।

राखलगढ स्वावलम्बन समूह बैठक कक्ष फणसीदेवा ब्लॉक, जिला दार्जिलिंग में दिनांक 28.05.2017 एवं 29.05.2017 तक अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि वे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद सराकर की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएंगे।

कल्याण संघ क्लब, ग्राम लेंबुटोरी, पो.निजबारी, फणसीदेवा ब्लॉक, जिला दार्जिलिंग में दिनांक 13.10.2017 एवं 14.10.2017 को अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया जिसमें 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों ने पहले से ही सोसाइटी बना लया है और इसे सोसाइटीज अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं।

सेमिनार हाल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, बलुआखानी, जिला पूर्व सिक्किम में दिनांक 11.11.2017 से 13.11.2017 तक "मानव सशक्तीकरण एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विकास" विषय पर 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों ने नेतृत्व कौशल, व्यक्तित्व विकास, सकारात्मक कार्य संस्कृति, प्रभावी टीम निर्माण आदि विषयों पर सीखा।

सेमिनार हाल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, बलुआखानी, जिला पूर्व सिक्किम में दिनांक 15.12.2017 से 17.12.2017 तक "मानव सशक्तीकरण एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विकास" विषय पर 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उन्हें विभिन्न

विषयों पर जानकारी प्रदान किया जोकि उनके आगामी जीवन में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करेगा।

सेमिनार हाल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, बलुआखानी, जिला पूर्व सिक्किम में दिनांक 26.01.2018 से 28.01.2018 तक "मानव सशक्तीकरण एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विकास" विषय पर 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों ने मूलभूत अधिकार एवं उनके कर्तव्यों, नेतृत्व व्यक्तित्व विकास, सम्प्रेषण कौशल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि की जानकारी प्राप्त किया।

सेमिनार हाल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार, बलुआखानी, जिला पूर्व सिक्किम में दिनांक 22.01.2018 से 24.01.2018 तक "मानव सशक्तीकरण एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र का विकास" विषय पर 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों ने मूलभूत अधिकार एवं उनके कर्तव्यों, नेतृत्व व्यक्तित्व विकास, सम्प्रेषण कौशल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि की जानकारी प्राप्त किया।

क्षेत्रीय निदेशालय, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., सिलीगुड़ी ने सिलीगुड़ी श्रम संस्थान, डागापुर, जिला-दार्जिलिंग में दिनांक 19 से 21 जनवरी, 2018 को संयुक्त श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यालय में सम्मिलित हुआ।

कोयम्बतूर : सामुदायिक हाल, मूंगीथोझूव, गुडीमंगलम, तिरपुर में दिनांक 12 एवं 13 मार्च, 2018 तक क्षेत्रीय निदेशालय, कोयम्बरतूर द्वद्वाराएस.सी.एस.पी. के अधीन अनुसूचित जाति के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों ने विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं तथा अपनी संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूकता हासिल की। प्रतिभागियों ने सरकार द्वारा प्रायोजित निजी शौचालयों का निर्माण कराने के लिए प्रेरित हुए और श्रम कल्याण बोर्ड में सदस्य के रूप में नामांकन करवाये।

पी.यू.ई. स्कूल, सरलापति, कोयम्बतूर में 13 एवं 14 दिसम्बर, 2017 को क्षेत्रीयच निदेशालय, कोयम्बतूर द्वारा टीएसपी के अधीन अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं एवं केन्द्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। प्रतिभागी आदिवासी कल्याण बोर्ड से पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु प्रेरित हुए। वे श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज कराने तथा समय-समय पर नामांकन कराने के लिए प्रेरित हुए।

जमशेदपुर : जीएमटी गम्हरिया, ब्लॉक - गम्हरिया, जिला सरायकेला खरसावा में दिनांक 22.02.2018 एवं 23.02.2018 तक क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर द्वारा दो दिवसीय संयुक्त

शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस इकाई में श्री ए. के. सिन्हा, महाप्रबंधक ने जानकारी दी कि कर्मचारियों को पर्यवेक्षकों से समस्याएं हैं। यह कार्यक्रम कार्यरत पर्यवेक्षकों एवं प्रबंधकों के लिए आयोजित किया गया है। हमने इस कार्यक्रम के बाद री. ए. के. सिन्हा, महाप्रबंधक से फीड बैक प्राप्त किया है, यह कार्यक्रम प्रतिभागियों पर अब बहुत ही प्रभाव डाला है। अब स्थिति में काफी सुधार आ गया है। अब पर्यवेक्षक अपने कर्मियों को वांछित सम्मान देना प्रारंभ कर दिए हैं और कर्मचारियों ने यह महसूस कर लिया है कि उनके पर्यवेक्षक वास्तव में नेता हैं। बिना उनके पूर्णता नहीं है।

आर एण्ड डी सम्मेलन कक्ष, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, मऊबंदर, ब्लॉक घाटशिला, जिला सिंगभूम पूर्व में दिनांक 10.01.2018 से 12.01.2018 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद निर्णय लेने में भागीदारी की प्रथा विकसित हो गई है। परिणामतः श्री ओमप्रकाश सिंह, महासचिव, हिन्दुस्तान कापर श्रमिक यूनियन को एच.सी.एल. प्रबंधक द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। उन्होंने हिन्दुस्तान कापर लिमि., घाटशिला की वृद्धि एवं विकास के लिए अनुपम सुझाव दिया हैं। श्री ओमप्रकाश सिंह ने द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., क्षेत्रीय निदेशालय, जमशेदपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की।

बरेली: अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक सभागार, दीनदयाल पुरम, बरेली में क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा दिनांक 28.10.2017 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 01 दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण गतिविधियों एवं बोर्ड के कार्यक्रमों को विस्तारित करने की आवश्यकता है। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी ने बी.एम.एस., इंटक, आयटक, सीटू, एच.एम.एस. श्रमिक संघ नेताओं को सम्मानित भी किया तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री का विमोचन भी किया। जरी कार्य से जुड़े असंगठित क्षेत्र के 60 श्रमिक तथा श्रमिक संघ के नेतागण तथा उच्च वर्गीय पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभ बढ़ाई। प्रतिभागियों ने समापन भाषण में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की।

क्षेत्रीय निदेशालय, बरेली द्वारा ग्राम मुहम्मदपुर, ब्लॉक— जूनावाड़ी, जिला सम्भल में 22 एवं 23 जुलाई, 2017 को एस.सी.एस.पी. के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 40 प्रतिभागियों में से 35 प्रतिभागियों ने अपना नाम बैंक में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दर्ज करवाया और सभी 40 प्रतिभागियों ने बैंक में अपना आधार कार्ड लिंक करवाया।

ग्राम मायापुर, गजरौला जिला मन्नामरोह मं 08 एवं 09 नवम्बर, 2017 को श्रम कल्याण विकास पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकासयोजना के अंतर्गत अमरज्योति शिक्षण संस्थान, मायापुरी, गजरौला अमरोहा में 18 से 25 आयु वर्ग की महिलाओं ने कम्प्यूटर लर्निंग कोर्स में अपना एडमिशन करवाया।

शिवपुरी कुवरपुर, बरेली में 07 एवं 08 अक्टूबर, 2017 को एस.सी.-एस.पी. के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राममोहन मेमोरियल पब्लिक स्कूल, शिवपुरी कुवरपुर, बरेली में 30 प्रतिभागियों ने 15 दिवसीय इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स तथा राइट राइटिंग कोर्स में अपना दाखिला करवाया। 07 महिला प्रतिभागियों ने रुपये 6000/- प्रतिमाह व्रतन का रोजगार प्राप्त की।

तिनसुकिया : अलकनन्दा ट. ईस्टेट, एल.पी. स्कूल, अलकनन्दा टी. इस्टेट, ब्लॉक - इटखूली, जिला तिनसुकिया में दिनांक 24-25/04/2017 को आवश्यकता पर आधारित दो दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने श्रमिक संघ का महत्व एवं श्रमिक संघ अधिनियम, 1926, अनुपस्थिति एवं इसका प्रभाव, सामाजिक बुराई, कौशल विकास - इसका महत्व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ज्योति बीमा योजना, सुकन्या योजना, अटल पेंशन योजना एवं डिजिटल इण्डिया श्रमिक संघ तथा प्रशिक्षण के महत्व आदि विषयों पर की गई चर्चा की सराहना की।

ग्राम घोरामोरा गाँव के मोदरखाट गांव पंचायत गृह, ब्लॉक लहोअल जिला डिब्रूगढ़ में दिनांक 22-23.05.2017 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में सरकारी कल्याणकारी योजना - मनरेगा समस्याएं एवं सूचना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या, रेल सुरक्षा बीमा योजना आदि, स्वास्थ्य और सफाई, श्रम कानून, चाइल्ड लाइन 1098 आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा भविष्य में इसका अनुपालन करने का निश्चय किया।

बजलताली गाँव पंचायत, ब्लॉक- गुइजन, जिला जिनसुकिया के प्रशिक्षण कक्ष में 03 दिवसीय उत्तर-पूर्व विशेष पंचायती राज कार्यक्रम दिनांक 26 से 28.10.2017 तक आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने महसूस किया कि वे बहुत कुछ सीख गये। वे राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना, कौशल विकास पहल, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि योजना तथा पंचायती राज संस्थानों आदि की अवधारणा को जान गये। उन्होंने यह कहा उन्हें भविष्य में अपने कर्तव्य निर्वहन में सहायता मिलेगी। प्रतिभागियों ने दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया। वे ऐसे कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख गये जो कि उनके जीवन में लाभकारी रहेगा।

प्रशिक्षण कक्ष, होटल ईस्ट इण्ड, न्यू मार्केट, डिब्रूगढ़, जिला— डिब्रूगढ़ में दिनांक 05.02.2018 से 09.02.2018 तक गैर—सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए उत्तर—पूर्व क्षेत्र के 5 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन समारोह में प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रकट किए कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए बहुत उपयोगी रहा। उन्होंने कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा अतिथिवक्ता चयन करने हेतु सराहना की, जिन्होंने सरल ढंग से व्याख्यान देकर प्रतिभागियों में रुचि पैदा की। इस कार्यक्रम से सभी सहमत हुए कि यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी एवं आशयपूर्ण रहा। उन्होंने द.टै.रा.श्र.शि.वि.बो. को ऐसे उपयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया।

पुणे : तालुका शिरोल, कोल्हापुर में दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, लगभग 250 प्रतिभागी आदर्श महिला बचत गट बैंक द्वारा ग्रामीण बैंक के सदस्य बने। बैंक में 3 लाख की शेयर पूंजी जमा हुई, इका वर्तमान में 10 लाख रुपये को व्यापार हैं उक्त बैंक का गठन श्री बी. जी. कुरवलकर, शिक्षा अधिकारी, उप—क्षेत्रीय निदेशालय, कोल्हापुर के पहल से हुआ।

फालोडे, तालुका अम्बेगांव, पुणे में अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दिनांक 12 एवं 13 मार्च, 2018 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी “प्रौढ़ साक्षरता शिविर” में सम्मिलित हुए जो कि बहुत ही सफल रहा। मनरेगा स्कीम की सहायता से कुआँ का निर्माण प्रारम्भ हुआ था। प्रतिभागी कार्यक्रम से बहुत जानकारी प्राप्त किए।

धनबाद : भारत कूकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, धनबाद यूनिट में औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों के लिए दिनांक 03.05.2017 को 01 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने अपने फीडबैक में कार्यक्रम को 20 में से 17 अंक प्रदान किए। कर्मचारियों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम यूनिट में व्यवसायिकता में निश्चित तौर पर सुधार लाएंगे। इस कार्यक्रम की औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक एवं वरिष्ठ कमाण्डेण्ट के साथ—साथ धनबाद की प्रिण्ट मिडिया ने भी अंग्रेजी—हिन्दी में सराहना की। कामुनिटी हाल, गैर मजरूआ, ब्लॉक— गोममिया जिला बोकारों में दिनांक 09.07.2017 से 12.07.2017 तक क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। जीवन बीमा निगम “आम आदमी बीमा योजना” में पंजीकरण करवाने के लिए सभी प्रतिभागी सहमत हुए तथा नोडल एजेन्सी— ग्राम स्वराज्य सेवा केन्द्र (पंजीकृत एनजीओ.) में पंजीकरण कराने के लिए 10 रुपये भुगतान किए।

भारतीय डाक विभाग, भागलपुर प्रभाग (संचार मंत्रालय) में क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा दिनांक 17.02.2018 से 18.02.2018 को 02 दिवसीय स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 25 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री अरविन्द कुमार सिंह, डाक अधीक्षक,

भागलपुर प्रभाग ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों से परिणामोन्मुख प्रभाव जाननके के बाद प्रबंधन ने महसूस किया कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत उपयोगी, सूचनाप्रद एवं ज्ञानप्रद हैं। ऐसे सीखने वाले कार्यशाला संगठन की उत्कृष्टता के लिए कर्मचारियों के मन को बदल सकते हैं। प्रबंधन ने कहा कि के.श्र.शि.बो. के कार्यक्रमों के अधीन भागलपुर डाक विभाग के सभी कर्मचारी प्रशिक्षित किए जाएंगे।

भुवनेश्वर : ग्राम ऐनी, टिरटाल, जगतसिंहपुर में 21 एवं 22 जुलाई, 2017 को दो दिवसीय एस.सी.एस.पी. कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें 12 प्रतिभागियों ने आय उत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए आजीविका समूह का गठन किया।

मंगलूर : सरकारी आंगनवाड़ी केन्द्र, कुप्पे गांव, मैसूर में दिनांक 08.05.2017 एवं 09.05.2017 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने ई-बैंकिंग सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की शपथ ली और बहुत से लोगों ने सरकारी कल्याणकारी योजना जैसे- सामाजिक सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना आदि में अपना नामांकन करवाया। कुछ प्रतिभागियों ने अटल पेंशन योजना, सुकन्या योजना में स्वयं को नामांकन कराने का निश्चय किया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने आवश्यक डिजिटल लेनदेन कार्यान्वित करने का निश्चय किया।

इम्फाल : क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठन के पदाधिकारियों के लिए दिनांक 20.3.2018 से 24.03.2018 तक 05 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री पी. मल्ललाना गौड़, भा.पु.से., डी.जी.पी. सह प्रबंध निदेशक, एमपीएचसी लि. मणिपुर सरकार कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

चण्डीगढ़ : एन.सी.एल.पी. स्कूल, बस्ती दरतीश मंदन, ब्लॉक एवं जिला जालंधर (पंजाब) में दिनांक 27.06.2017 से 28.06.2017 को क्षेत्रीय निदेशालय, चण्डीगढ़ द्वारा बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। री सुरजिन्दर सिंह, ए.एल.सी. प्रोजेक्ट निदेशक (एन.सी.एल.पी.), जालंधर (पंजाब) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री अवतार सिंह, परियोजना प्रबंधक, एनसीएलपी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने अपने बच्चों को काम पर भेजने के बजाए स्कूल में भेजने का निश्चय किया।

पीएनबी. किसान प्रशिक्षण केन्द्र मेहराज, ब्लॉक फूल, जिला भटिण्डा में दिनांक 25.10.2017 एवं 26.10.2017 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री वी.के.गोयल (प्रशिक्षण) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

श्री बी. एस. गिल, निदेशक, पीएनबी. किसान प्रशिक्षणक केन्द्र, मेहराज ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम से प्रेरित होकर अपनी बच्चियों को उनके बेहतर जीवन के लिए स्कूल में भेजने के लिए निश्चय किया।

इम्फाल: सफल कहानी (श्रमिक संघ का गठन):

पिछले कुछ वर्षों से मणिपुर राज्य मं सड़क पर निर्माण श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई थी। फिर भी ये निर्माण श्रमिक भवन एवं निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन स्थापित मणिपुर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, मणिपुर सरकार के अंतर्गत श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं एवं प्रावधानों के बारे में अनभिज्ञ थे। उपर्युक्त विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को अपाकगर करने की दृष्टि के साथ-साथ श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के अधीन इन श्रमिकों के लिए संगठन गठित करना उद्देश्य था। मयंग लांगजिंग तमंग, इम्फाल पश्चिम जिला, 2) लम्डेंग अवंग लेइकाई, इम्फाल, पश्चिम जिला में दिनांक 26-27/3/2017 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 2 दिवसीय समानान्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया। दोनों कार्यक्रम व्याख्यान से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने श्रमिक संघ गठित करने का निर्णय लिया तथा तदनुसार साथ में बैठकर चर्चा करने के उपरांत "लम्संग भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण संघ" नामक श्रमिक संघ का गठन किया। दिनांक 17.4.2017 को पंजीकरण संख्या 217 का 845 के अंतर्गत गठन हुआ। सभी सदस्यों ने मणिपुर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, मणिपुर सरकार से स्वयं श्रमिक कार्ड प्राप्त किया। लमशंग, इम्फाल पश्चिम के अपने अधिकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को सदस्यता दर्ज कराने के लिए यूनियन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

कोषिकोड : चेरुकारा, पेरिन्थलमन्ना, मल्ललापुरम में दिनांक 11.5.2017 एवं 12.5.2017 को असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनजीओ की सहायता से कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया गया। जोकि लक्ष्य को हासिल करने में सहायक रहेगा।

कानपुर : सफल कहानी : श्रीजन सोसाइटी, कानपुर की सहायता से लकडमण्डी, सादतगंज, लखनऊ में क्षेत्रीय निदेशालय, दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, कानपुर द्वारा असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय निदेशक, कानपुर के मार्गदर्शन में वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी से विचार-विमर्श पर प्रेरित होकर एक प्रतिभागी श्रीमती प्रियंका गुप्ता ने उस क्षेत्र की अन्य महिलाएं श्रीमती सारिका गुप्ता, श्रीमती रूपा देवी, श्रीमती मोती रानी, श्रीमती रजनी, श्रीमती मीना श्रीवास्तवा, श्रीमती अलका प्रजापति, श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती नीलम सैनी, सुनीता देवी एवं पूनम श्रीवास्तवा के साथ मिलन स्वावलम्बन समूह गठित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 अगस्त, 2017 को

बड़ोदा बैंक में खाता खोलीं। वे बैंक जमा था। इस निधि से वे मसाला बनाने का व्यवसाय खोलीं। वे 200 ग्राम, 250 ग्राम की पैकिंग बनाकर बाजार में बेचने के लिए कच्चा माल खरीदीं। स्वावलम्बन समूह गठन के बाद वर्ष के अन्दर प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह रुपये 940/- की आय अर्जित कीं। मिलन स्वावलम्बन समूह की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती सारिका गुप्ता एवं अन्य सदस्यों ने उनके क्षेत्र में दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड द्वारा ऐसे प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करने तथा लघु उद्योग खोलने का सुझाव देने एवं जीवकोपार्जन करने के लिए सुझाव देने हेतु, वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकी है।

अगस्त, 2017 में ए.सी.सी. एतेहपुर, जिला कानपुर के सहयोग से दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, कानपुर द्वारा श्रम कल्याण एवं विकास विषय पर 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निर्माण श्रमिकों ने भाग लिया। उन्होंने भवन सन्निर्माण कामगार बोर्ड के बारे में बताया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान श्रमिक के रूप में अपना पंजीकरण करवाया। उन्होंने गृह निर्माण के लिए रुपये 15000/- ऋण प्राप्त किया। बहुत से श्रमिकों ने साइकिल एवं अन्य उपकरणों का लाभ नियमानुसार उठाया।

अक्टूबर, 2017 में क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा खुशीपुरा, झांसी में श्रम एवं कल्याण विषय पर 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 40 बीड़ी श्रमिकों ने भाग लिया। उन्होंने बीड़ी श्रमिकों के नाम से पहचान पत्र प्राप्त किया। बोर्ड के कार्यक्रम ने न केवल उन्हें पहचान पत्र जारी करवाया बल्कि कार्यक्रम के प्रतिभागी अब स्थानीय निर्धारित अस्पताल से चिकित्सा सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं।

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड को श्रेय:

स्वावलम्बन समूह का गठन:

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वावलम्बन समूह के महत्व पर जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिभागियों ने अपने सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्वावलम्बन समूह का गठन किया। वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिभागियों ने लगभग 138 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया।

सांख्यिकी सारणियाँ

शि.अधि.	शिक्षा अधिकारी
प्र.प्र.पा.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
व्य.वि.का.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
प्र.पु.पा.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
सं.शै.का.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम
आ.आ.प.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद
इ.स्त.क.	इकाई स्तर की कक्षाएं
का.प्रौ.सा.क.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
आ.आ.वि.का.	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम
अ.सं./दु.व.	असंगठित / दुर्बल वर्ग
ग्रा.जा.शि.	ग्रामीण जागरूकता शिविर
बा.श्र. / बा.श्र.अ.	बाल श्रमिक / बाल श्रमिकों के अभिभावक
स्व.को.नि.का.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम
श्र.क.वि.का.	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
ग्रा.श्र.स.शि.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर

वर्ष 2018-19 हेतु लक्ष्य (क्षेत्रीय निदेशालयवार)

क्रं.	क्षेत्रीय निदेशालय का नाम	संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम														असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम														ग्रामीण क्षेत्र के				उ.पू. विशेष		मनरेगा								
		शि.अ. की संख्या	प्र.प्र. (45 दिवसीय)	व्य.वि.का. (21 दिवसीय)	पू.पा. (6 दिवसीय)	स्व.को.नि. (3 दिवसीय)	ज.नि.वि.का.	आ.आ.परि. (2 दिवसीय)	आ.आ.परि. (1 दिवसीय)	सं. शौ. का. (1 दिन)	इ.स्त. क पू. का / अ.का.	सं. शौ. का. (2 दिवसीय)	स्व.को.नि. (2 दिवसीय)	स्व.को.नि. (1 दिवसीय)	प्र.श्र.भा. (3 दिवसीय)	का.प्रौ.सा.क.	जी गु (स) (4 दिवसीय)	जी गु (स) (2 दिवसीय)	सं. स्त. (1 दिवसीय)	स शि अस (4 दिवसीय)	स शि दु (4 दिवसीय)	जी गु (अस) (4 दिवसीय)	जी गु (अस) (2 दिवसीय)	पु प्र अस (1 दिवसीय)	वि का अस (2 दिवसीय)	वि का म श्र (2 दिवसीय)	वि का बा श्र अ (2 दिवसीय)	वि का बा श्र (2 दिवसीय)	वि का जा / अजा (2 दिवसीय)	वि का जा / अजा (2 दिवसीय)	वि का अजा / अजा (2 दिवसीय)	वि का अजा / अजा (2 दिवसीय)	वि का श्र क व वि (2 दिवसीय)	वि का पं रा (2 दिवसीय)	वि का प खा (2 दिवसीय)	ग्रा जा का (2 दिवसीय)	स शि ग्रा हो (4 दिवसीय)	पु प्र ग्रा हो (1 दिवसीय)	रा स्त का (3 दिवसीय)	पं रां (3 दिवसीय)	ग्रा ने वि का (10 दिवसीय) (सा.श्र. वि.प्र. प्र.प्र.)	ग्रा स्त. का (2 दिवसीय)	खां.स्त.कां. (2 दिवसीय)	जि. स्त. का. (2 दिवसीय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	इलाहाबाद	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	8					4	8		257
2	बरेली	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					2	6		170
3	चण्डीगढ़	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	5					8	0		170
4	दिल्ली	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	8					4	8		257
5	फरीदाबाद	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	5					8	0		170
6	गाजियाबाद	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	8					4	8		257
7	गोरखपुर	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	5					4	4		171
8	जम्मू	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	8					12	0		257
9	कानपुर	3	0	1			3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	8					1	11		257
10	परवाणु	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	54	0	8	2		16	2	5					8	0		170
11	आसनसोल	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					6	2		170
12	बैरकपुर	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					6	2		171
13	बैरहामपुर	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					6	2		171
14	भुवनेश्वर	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					6	2		171
15	धनबाद	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					8	0		171
16	जमशेदपुर	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	42	40	12	3		24	3	8					9	3		257
17	कोलकाता	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	52	30	12	3		24	3	8					9	3		257
18	मुजफ्फरपुर	3					3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	8					11	1		256
19	राँची	3					3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	82	0	12	3		24	3	8					11	1		256
20	राऊरकेला	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	3	6	15	12	12		12	42	40	12	3		24	3	8					6	6		257
21	अहमदाबाद	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					8	0		170
22	गोवा	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8		8	34	20	8	2		16	2	5					8	0		170

23	मुम्बई	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	42	40	12	3		24	3	8					6	6	257				
24	पुणे	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					8	0	170				
25	राजकोट	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	54	0	8	2		16	2	5					6	2	170				
26	थाणे	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	48	34	12	3		24	3	8					9	3	257				
27	वडोदरा	1					1	3	1	1	2	5	0			1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	17	10	4	1		8	1	2					2	2	85				
28	बेंगलूरु	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	82	0	12	3		24	3	8					12	0	257				
29	चेन्नै	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	82	0	12	3		24	3	8					12	0	257				
30	कोचीन	4	2				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	8	28	24	0	16	50	30	16	4		32	4	11					16	30	343				
31	कोयम्बतूर	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	52	30	12	3		24	3	8					12	0	257				
32	हुबली	2					2	6	1	2	4	10	2			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	54	0	8	2		16	2	4					8	0	170				
33	हैदराबाद	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	52	30	12	3		24	3	8					12	0	257				
34	कोषीकोड	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	52	30	12	3		24	3	8					12	0	257				
35	मदुरै	4	2				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	8	20	16	16	16	110	0	16	4		32	4	11					16	0	343				
36	मैंगलूरु	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					6	2	170				
37	विजयवाड	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					7	1	171				
38	विशाखपट्टणम्	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	52	30	12	3		24	3	8					12	0	257				
39	गुवाहाटी	2					2	6		2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	4	4	8	0	2	4	6	0		10	2	2	12	8	2	2	4	0	110				
40	इम्फाल	2					2	6		2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	4	4	8	0	2	4	6	0		10	2	2	12	8	2	2	4	0	110				
41	सिलीगुडी	3					3	9		3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	5	5	5	12	0	3	6	9	0		15	3	6	18	12	3	3	6	0	165				
42	तिनसुकिया	3					3	9	0	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	5	5	5	12	0	3	6	9	0		15	3	6	18	12	3	3	6	0	165				
43	भोपाल	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					7	1	171				
44	ग्वालियर	4	2				4	12	1	4	8	20	2			1	4	4	4	4	4	8	20	16	16	16	110	0	16	4		32	4	11					16	0	343				
45	इन्दौर	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					7	1	170				
46	जबलपुर	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					8	0	170				
47	जयपुर	2	1				2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					8	0	171				
48	नागपुर	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	52	30	12	3		24	3	8					12	0	257				
49	रायपुर	3	1				3	9	1	3	6	15	2			1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	52	30	12	3		24	3	8					12	0	257				
50	उदयपुर	2					2	6	1	2	4	10	1			1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	34	20	8	2		16	2	5					7	1	170				
	मुख्यालय																																												
	कुल	127	7	25	0	0	0	127	0	381	46	127	254	635	75	0	0	50	127	127	127	127	127	252	611	494	492	0	468	2411	774	498	117	0	986	127	320	80	40	10	10	402	116	0	10550

सारणी -I

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्रं. सं.	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	*पॉच दिवसीय शिविर		**सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)				दो दिवसीय जागरूकता शिविर @			प्रतिभागियों की संख्या		
				2003-2017		2017-2018		1977-2017	2017-2018	कुल	1977-2017	2017-18	कुल
		कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूमिहीन श्रमिक	328	12846	1248	48775	21	805	20607	573	21180	805122	21511	826633
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त कृषक	969	38520	577	22693	16	636	33860	110	33970	1331688	4179	1335867
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	36	1479	24	949	6	220	849	11	860	33250	417	33667
4	आदिवासी श्रमिक	91	3595	22	855	1	34	1207	9	1216	46959	354	47313
5	ग्रामीण कारीगर	57	2299	66	2568	6	220	1707	21	1728	65356	798	66154
6	वन श्रमिक	17	683	34	1313	7	263	430	10	440	16242	399	16641
7	शिक्षित बेरोजगार	163	6291	79	3119	4	135	2490	19	2509	97139	708	97847
8	बागान श्रमिक	0	0	37	1504	7	275	220	13	233	8829	503	9332
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	290	11656	208	8789	5	192	10723	31	10754	422431	1141	423572
	कुल	1951	77369	2295	90565	73	2780	72093	797	72890	2827016	30010	2857026

कुल योग कॉलम 4+6+8+14 अर्थात् 77369 + 90565 + 2780 + 2857026 = 3027740

** सशक्तीकरण शिविर 2003-2004 से प्रारम्भ

** इस सारणी में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम के ऑकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। (कार्यक्रमों की संख्या 151 तथा प्रतिभागियों की संख्या 7719)

ग्रामीण कार्यक्रमों की कुल संख्या - 797 + 73 + 151 = 1021

ग्रामीण प्रतिभागियों की कुल संख्या - 30010 + 2780 + 7719 = 40509

सारणी -II
2017-2018 के दौरान ग्रामीण श्रमिक शिक्षा
प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्रं. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमिहीन श्रमिक	573	513	371	1557	2441	5313	1339	12418	19070	21511
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त श्रमिक	110	25		302	327	877	177	2798	3852	4179
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	11	13	5	20	38	108	65	206	379	417
4	आदिवासी श्रमिक	9	0	14	0	14	9	284	47	340	354
5	ग्रामीण कारीगर	21	6		91	97	136	4	561	701	798
6	वन श्रमिक	10	25		25	50	127	26	196	349	399
7	शिक्षित बेरोजगार	19	25	0	70	95	113	7	493	613	708
8	बागान श्रमिक	13	10	3	14	27	108	13	355	476	503
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	31	31	7	107	145	316	40	640	996	1141
	कुल	797	648	400	2186	3234	7107	1955	17714	26776	30010

सारणी - III

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (ग्रामीण क्षेत्र)
का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	17	100	0	163	263	224	32	241	497	760
2	बरेली	18	71	0	160	231	244	0	298	542	773
3	चण्डीगढ़	18	26	0	22	48	368	0	274	642	690
4	दिल्ली	35	48	0	184	232	197	7	673	877	1109
5	फरीदाबाद	18	11	0	1	12	403	0	366	769	781
6	गाजियाबाद	32	6	0	295	301	61	0	890	951	1252
7	गोरखपुर	22	1	0	20	21	252	0	576	828	849
8	जम्मू	24	37	2	33	72	329	3	542	874	946
9	कानपुर	29	81	0	239	320	301	0	599	900	1220
10	परवाणू	20	11	0	115	126	149	0	575	724	850
	कुल उ.अं.	233	392	2	1232	1626	2528	42	5034	7604	9230
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	15	31	107	53	191	254	69	117	440	631
12	बैरकपुर	21	38	0	86	124	424	14	329	767	891
13	बैरहामपुर	27	16	51	29	96	408	174	408	990	1086
14	भुवनेश्वर	34	24	0	143	167	416	17	784	1217	1384
15	धनबाद	15	2	0	118	120	60	37	442	539	659
16	जमशेदपुर	13	0	20	52	72	10	196	262	468	540
17	कोलकाता	33	4	0	6	10	639	1	776	1416	1426
18	मुजफ्फरपुर	29	54	0	99	153	419	0	597	1016	1169
19	रौंसी	14	21	27	67	115	57	272	90	419	534
20	राऊरकेला	10	42	3	7	52	48	180	118	346	398
	कुल पू.अं.	211	232	208	660	1100	2735	960	3923	7618	8718
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	20	24	0	39	63	232	0	454	686	749
22	वडोदरा	14	0	0	0	0	273	62	256	591	591
23	गोवा	16	0	2	19	21	0	23	355	378	399
24	मुम्बई	18	8	0	4	12	143	199	370	712	724
25	पुणे	14	0	0	0	0	157	4	337	498	498
26	राजकोट	18	3	0	9	12	222	0	389	611	623
27	थाणे	21	2	10	41	53	79	73	593	745	798
	कुल प.अं.	121	37	12	112	161	1106	361	2754	4221	4382
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु	27	9	0	29	38	198	9	829	1036	1074
29	चेन्नै	13	2	0	11	13	393	0	234	627	640
30	कोचीन	16	0	0	29	29	0	0	599	599	628
31	कोयम्बतूर	29	11	0	93	104	300	4	703	1007	1111
32	हुबली	13	1	0	7	8	82	2	486	570	578
33	हैदराबाद	20	0	0	41	41	130	2	687	819	860
34	कोपिकोड	13	3	0	84	87	30	0	446	476	563
35	मदुरै	46	0	0	8	8	518	0	1351	1869	1877
36	मंगलूरु	19	9	0	17	26	30	1	569	600	626
37	विजयवाड़	10	19	0	3	22	117	19	224	360	382
38	विशाखपट्टणम	15	5	0	33	38	220	1	333	554	592
	कुल द.अं.	221	59	0	355	414	2018	38	6461	8517	8931
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	7	0	0	18	18	26	0	276	302	320
40	इम्फाल	14	0	0	103	103	0	0	428	428	531
41	सिलीगुड़ी	13	4	26	0	30	242	65	196	503	533
42	तिनसुकिया	14	1	0	4	5	7	60	524	591	596
	कुल उ.पू.अं.	48	5	26	125	156	275	125	1424	1824	1980
	मध्य अंचल										
43	भोपाल	38	72	30	173	275	255	183	748	1186	1461
44	ग्वालियर	20	7	0	18	25	479	0	300	779	804
45	इन्दौर	22	0	0	0	0	40	37	736	813	813
46	जबलपुर	12	27	41	85	153	51	110	161	322	475
47	जयपुर	20	0	0	0	0	272	133	396	801	801
48	नागपुर	35	17	84	84	185	282	163	652	1097	1282
49	रायपुर	31	1	2	6	9	195	53	971	1219	1228
50	उदयपुर	9	3	85	14	102	38	208	56	302	404
	कुल म.अं.	187	127	242	380	749	1612	887	4020	6519	7268
	कुल योग	1021	852	490	2864	4206	10274	2413	23616	36303	4050

सारणी – IV

वर्ष 2017-2018 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक

क्र. सं.	श्रमिकों की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या			प्रतिभागियों की संख्या		
		1979-2017	2017-2018	योग	1979-2017	2017-2018	योग
1	हथकरघा	2106	30	2136	74466	1111	75577
2	पावरलूम	196	14	210	7091	541	7632
3	खादी एवं ग्रामोद्योग	392	9	401	15108	354	15462
4	लघु उद्योग	1163	8	1171	44470	317	44787
5	औद्योगिक क्षेत्र	172	11	183	6501	417	6918
6	हस्तशिल्प	405	9	414	15467	352	15819
7	रेशम उत्पादन	75	2	77	2926	80	3006
8	नारियल जटा उद्योग	163	6	169	6268	238	6506
9	बीड़ी उद्योग	726	7	733	40580	259	40839
10	नमक बनाने वाले श्रमिक	25	0	25	1016	0	1016
11	स्वास्थ्य श्रमिक	18	0	18	706	0	706
12	रैग पिकर्स	42	2	44	1630	79	1709
13	सिनेमा श्रमिक	1	0	1	40	0	40
14	शिप ब्रेकिंग श्रमिक	3	0	3	115	0	115
15	अन्य – चार दिवसीय	3828	12	3840	149694	449	150143
	– दो दिवसीय	7852	660	8512	306422	24788	331210
	– एक दिवसीय	1133	185	1318	65182	10017	75199
	कुल	18300	955	19255	737682	39002	776684

सारणी – V
2017-2018 के दौरान असंगठित क्षेत्र में प्रशिक्षित श्रमिक
(प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा)
असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम (4 दिवसीय)

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	
1	हथकरघा	30	20	0	86	106	356	5	644	1005	1111
2	पावरलूम	14	12	0	32	44	144	28	325	497	541
3	खादी एवं ग्रामोद्योग	9	6	0	33	39	72	2	241	315	354
4	लघु उद्योग	8	3	0	18	21	187	9	100	296	317
5	औद्योगिक क्षेत्र	11	0	0	12	12	96	9	300	405	417
6	हस्तशिल्प	9	21	0	58	79	108	20	145	273	352
7	रेशम उत्पादन	2	0	0	5	5	11	0	64	75	80
8	नारियल जटा उद्योग	6	1	0	19	20	18	1	199	218	238
9	बीड़ी उद्योग	7	3	2	8	13	84	10	152	246	259
10	नमक बनाने वाले श्रमिक	0				0				0	0
11	स्वास्थ्य श्रमिक	0				0				0	0
12	रैग पिकर्स	2				0	7	1	71	79	79
13	सिनेमा श्रमिक	0				0				0	0
14	शिप ब्रेकिंग श्रमिक	0				0				0	0
15	अन्य – चार दिवसीय	12	19	16	52	87	93	35	234	362	449
16	– दो दिवसीय	660	401	289	2885	3575	4902	1442	14869	21213	24788
17	असंगठित क्षेत्र के लिये एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम	185	273	22	550	845	3796	611	4765	9172	10017
	कुल योग	955	759	329	3758	4846	9874	2173	22109	34156	39002

सारणी - VI

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
उत्तर अंचल											
1	इलाहाबाद	2	11	0	44	55	3	0	22	25	80
2	बरेली	0			0	0			0	0	0
3	चण्डीगढ़	1			0	0	16		24	40	40
4	दिल्ली	2	8	0	10	18	2	0	48	50	68
5	फरीदाबाद	3	0		1	1	35	0	82	117	118
6	गाजियाबाद	3	1	0	10	11	24	0	81	105	116
7	गोरखपुर	3	6	0	39	45	6	0	63	69	114
8	जम्मू	5	0	0	10	10	40	0	143	183	193
9	कानपुर	3	1	0	0	1	82	0	37	119	120
10	परवाणू	5	34	0	0	34	162	0	0	162	196
	कुल उ.अं.	27	61	0	114	175	370	0	500	870	1045
पूर्व अंचल											
11	आसनसोल	1	2	0	4	6	21	1	11	33	39
12	बैरकपुर	0				0				0	0
13	बैरहामपुर	1	0	0	0	0	29	9	2	40	40
14	भुवनेश्वर	2	1	0	16	17	4	1	58	63	80
15	धनबाद	3	0	0	2	2	36	4	78	118	120
16	जमशेदपुर	2	0	0	8	8	0	18	54	72	80
17	कोलकाता	2	0	0	0	0	15	0	63	78	78
18	मुजफ्फरपुर	3	11	0	1	12	70	0	38	108	120
19	राँची	3	1	7	0	8	44	28	39	111	119
20	राऊरकेला	2	5	9	10	24	10	6	40	56	80
	कुल पू.अं.	19	20	16	41	77	229	67	383	679	756
पश्चिम अंचल											
21	अहमदाबाद	2	1	0	0	1	77	0	0	77	78
22	वडोदरा	3	0	0	17	17	15	0	75	90	107
23	गोवा	1	0	0	7	7	0	0	28	28	35
24	मुम्बई	3	0	0	0	0	33	3	75	111	111
25	पुणे	2	0	0	0	0	46	0	32	78	78
26	राजकोट	2	0	0	0	0	15	0	42	57	57
27	थाणे	1	0	0	19	19	0	0	11	11	30
	कुल प.अं.	14	1	0	43	44	186	3	263	452	496
दक्षिण अंचल											
28	बैंगलूरू	3	0	0	1	1	25	10	76	111	112
29	चेन्नै	3	3	2	8	13	34	4	69	107	120
30	चेचीन	1	0	0	1	1	7	0	32	39	40
31	कोयम्बतूर	4	0	0	6	6	11	0	118	129	135
32	हबली	1	0	0	0	0	0	0	40	40	40
33	हैदराबाद	2	0	0	0	0	9	1	70	80	80
34	कोषिकोड	3	0	0	8	8	8	0	100	108	116
35	मदुरै	2	0	0	0	0	40	0	40	80	80
36	मंगलूरू	1	0	0	0	0	0	0	39	39	39
37	विजयवाड़	0				0				0	0
38	विशाखपट्टणम	0				0				0	0
	कुल द.अं.	20	3	2	24	29	134	15	584	733	762
उत्तर पूर्व अंचल											
39	गुवाहाटी	1	0	0	20	20	0	0	20	20	40
40	इम्फाल	4	0	0	36	36	0	0	119	119	155
41	सिलीगुड़ी	3	0	0	20	20	0	0	96	96	116
42	तिनसुकिया	2	0	0	0	0	33	0	47	80	80
	कुल उ.पू.अं.	10	0	0	76	76	33	0	282	315	391
मध्य अंचल											
43	भोपाल	3	0	0	0	0	34	8	59	101	101
44	ग्वालियर	5	0	0	0	0	12	0	186	198	198
45	इन्दौर	2	0	0	0	0	27	5	44	76	76
46	जबलपुर	2	0	0	25	25	19	0	36	55	80
47	जयपुर	3	0	0	0	0	90	0	26	116	116
48	नागपुर	2	0	0	0	0	12	0	66	78	78
49	रायपुर	1	0	0	0	0	3	20	17	40	40
50	उदयपुर	2	0	0	0	0	27	2	29	58	58
	कुल म.अं.	20	0	0	25	25	224	35	463	722	747
	कुल योग	110	85	18	323	426	1176	120	2475	3771	4197

सारणी - VII

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (विशेष परिसंवाद)
का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	52	454	0	109	563	1272	0	245	1517	2080
2	बरेली	29	15	0	66	81	353	0	715	1068	1149
3	चण्डीगढ़	35	173	0	28	201	821	0	261	1082	1283
4	दिल्ली	70	53	0	436	489	460	21	1337	1818	2307
5	फरीदाबाद	47	82	0	65	147	833	16	846	1695	1842
6	गाजियाबाद	58	126	0	186	312	845	0	1055	1900	2212
7	गोरखपुर	41	38	0	319	357	319	0	846	1165	1522
8	जम्मू	49	19	74	107	200	342	393	995	1730	1930
9	कानपुर	65	228	0	152	380	982	71	1156	2209	2589
10	परवाणू	55	162	78	78	318	918	299	627	1844	2162
	कुल उ.अं.	501	1350	152	1546	3048	7145	800	8083	16028	19076
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	28	16	73	6	95	298	233	448	979	1074
12	बैरकपुर	36	65	0	75	140	737	53	507	1297	1437
13	बैरहामपुर	52	78	92	200	370	444	329	804	1577	1947
14	भुवनेश्वर	27	27	28	312	367	210	27	465	702	1069
15	घनबाद	34	30	24	137	191	251	131	785	1167	1358
16	जमशेदपुर	32	22	52	152	226	65	340	649	1054	1280
17	कोलकाता	48	6	2	1	9	1056	36	763	1855	1864
18	मुजफ्फरपुर	43	125	6	214	345	550	3	780	1333	1678
19	राँची	31	22	185	28	235	183	520	280	983	1218
20	राऊरकेला	24	10	9	52	71	224	239	416	879	950
	कुल पू.अं.	355	401	471	1177	2049	4018	1911	5897	11826	13875
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	38	21	3	66	90	448	74	723	1245	1335
22	वडोदरा	44	48	103	54	205	650	208	640	1498	1703
23	गोवा	42	0	11	38	49	0	249	700	949	998
24	मुम्बई	64	0	10	15	25	688	469	1154	2311	2336
25	पुणे	58	64	3	100	167	1017	113	613	1743	1910
26	राजकोट	44	17	37	23	77	382	106	842	1330	1407
27	थाणे	53	33	40	67	140	511	208	1056	1775	1915
	कुल पं.अं.	343	183	207	363	753	3696	1427	5728	10851	11604
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु	47	7	7	39	53	357	210	1090	1657	1710
29	चेन्नै	75	10	0	402	412	1606	6	934	2546	2958
30	कोचीन	48	20	91	160	271	180	150	1254	1584	1855
31	कोयंबतूर	54	80	0	228	308	523	11	1083	1617	1925
32	हुबली	24	11	1	9	21	129	18	757	904	925
33	हैदराबाद	41	13	2	36	51	575	12	928	1515	1566
34	कोषिकोड	24	6	7	67	80	62	48	713	823	903
35	मदुरै	53	17	0	7	24	523	0	1491	2014	2038
36	मंगलूरु	40	12	11	42	65	41	44	1161	1246	1311
37	विजयवाड	39	49	6	38	93	657	113	675	1445	1538
38	विशाखपट्टणम	48	0	0	163	163	312	138	1266	1716	1879
	कुल द.अं.	493	225	125	1191	1541	4965	750	11352	17067	18608
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	36	33	72	9	114	303	343	653	1299	1413
40	इम्फाल	33	17	0	137	154	10	0	1122	1132	1286
41	सिलीगुड़ी	22	0	19	4	23	17	82	725	824	847
42	तिनसुकिया	34	20	28	58	106	624	184	402	1210	1316
	कुल उ.पू.अं.	125	70	119	208	397	954	609	2902	4465	4862
	मध्य अंचल										
43	भोपाल	32	2	3	28	33	306	112	674	1092	1125
44	ग्वालियर	56	90	71	102	263	539	216	1037	1792	2055
45	इन्दौर	38	7	4	11	22	621	151	554	1326	1348
46	जबलपुर	33	67	48	353	468	114	164	542	820	1288
47	जयपुर	29	0	0	4	4	471	72	523	1066	1070
48	नागपुर	46	4	0	25	29	723	8	1009	1740	1769
49	रायपुर	20	3	7	6	16	268	326	180	774	790
50	उदयपुर	74	36	33	55	124	799	424	1063	2286	2410
	कुल म.अं.	328	209	166	584	959	3841	1473	5582	10896	11855
	कुल योग	2145	2438	1240	5069	8747	24619	6970	39544	71133	79880

सारणी - VIII

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों का अंचलवार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की संख्या			व्य.वि.का. में प्रतिभागियों की संख्या			इकाई स्तर की कक्षाओं में प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या		
		सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
	उत्तर अंचल									
1	इलाहाबाद				0	0	0	5	15	20
2	बरेली							18	12	30
3	चण्डीगढ़							9	11	20
4	दिल्ली									
5	फरीदाबाद									
6	गाजियाबाद									
7	गोरखपुर				5	15	20	7	10	17
8	जम्मू									
9	कानपुर				21	34	55	0	0	0
10	परवाणू									
	पूर्व अंचल									
11	आसनसोल									
12	बैरकपुर									
13	बैरहामपुर									
14	भुवनेश्वर									
15	धनबाद									
16	जमशेदपुर				7	10	17	0	0	0
17	कोलकाता									
18	मुजफ्फरपुर									
19	राँची									
20	राऊरकेला									
	पश्चिम अंचल									
21	अहमदाबाद									
22	वडोदरा				9	18	27	0	0	0
23	गोवा							11	14	25
24	मुम्बई							16	14	30
25	पुणे							30	53	83
26	राजकोट							14	16	30
27	थाणे				6	19	25	0	0	0
	दक्षिण अंचल									
28	बैंगलूरु							35	60	95
29	चेन्नै									
30	कोचीन							13	25	38
31	कोयम्बतूर									
32	हुबली									
33	हैदराबाद				11	19	30	9	16	25
34	कोषिकोड									
35	मद्रै							35	50	85
36	मंगलूरु									
37	विजयवाड									
38	विशाखपट्टणम									
	उत्तर पूर्व अंचल									
39	गुवाहाटी									
40	इम्फाल									
41	सिलीगुड़ी									
42	तिनसुकिया									
	मध्य अंचल									
43	भोपाल				3	16	19	32	18	50
44	ग्वालियर				9	14	24			
45	इन्दौर							6	9	15
46	जबलपुर									
47	जयपुर									
48	नागपुर				13	22	35	0	0	0
49	रायपुर									
50	उदयपुर				12	38	50			
	कुल योग	0	0	0	96	205	302	240	323	563

सारणी – IX

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों का उद्योगानुसार ब्यौरा

क्र. सं.	उद्योग का नाम	प्रशिक्षक			श्रमिक (इकाई स्तर की कक्षाएँ)		
		सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	कृषि				9	15	24
2	चीनी				23	0	23
3	खाद्य एवं पेय				12	0	12
4	खनन (मेटालिक)				10	0	10
5	खनन (नॉन मेटालिक)				25	0	25
6	कपड़ा तथा होजरी				15	0	15
7	जूट				10	0	10
8	अभियांत्रिकी				24	6	30
9	रसायन एवं उर्वरक				0	30	30
10	कागज एवं कागज उत्पाद				0	0	0
11	मुद्रण तथा प्रकाशन				0	0	0
12	सीमेंट				0	0	0
13	ग्लास और मिट्टी के बर्तन				9	0	9
14	चमड़ा उद्योग				7	0	7
15	रबर तथा रबर उत्पादन				0	0	0
16	परिवहन				20	0	20
17	बन्दरगाह एवं गोदी				33	0	33
18	वाणिज्य सेवा				15	0	15
19	सरकारी तथा स्थानीय निकाय				20	0	20
20	विद्युत तथा ऊर्जा				20	0	20
21	पेट्रोलियम				95	0	95
22	इलेक्ट्रॉनिक्स				15	10	25
23	रक्षा				68	0	68
24	विविध				35	37	72
	कुल योग	0	0	0	465	98	563

सारणी - X

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान दुर्बल वर्ग के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
उत्तर अंचल											
1	इलाहाबाद	2	0	0	0	0	27	0	53	80	80
2	बरेली									0	0
3	चण्डीगढ़	1					40			40	40
4	दिल्ली	3	15			15	12	0	70	82	97
5	फरीदाबाद	2				0	46		31	77	77
6	गाजियाबाद	2	2			2	31		45	76	78
7	गोरखपुर	2	3		12	15	1		59	60	75
8	जम्मू	1				0			40	40	40
9	कानपुर	2	4		7	11	13	5	51	69	80
10	परवाणू	2				0	38		42	80	80
	कुल उ.अं.	17	24	0	19	43	208	5	391	604	647
पूर्व अंचल											
11	आसनसोल	1					20	0	20	40	40
12	बैरकपुर	2					67	1	12	80	80
13	बैरहामपुर	2					22	15	41	78	78
14	भुवनेश्वर	2					50	0	30	80	80
15	धनबाद	2					9	0	71	80	80
16	जमशेदपुर	2	1	2	25	28	0	29	23	52	80
17	कोलकाता	1					40			40	40
18	मुजफ्फरपुर	1					4	0	36	40	40
19	राँची	3					61	28	31	120	120
20	राऊरकेला	1	4	5	18	27	1	1	11	13	40
	कुल पू.अं.	17	5	7	43	55	274	74	275	623	678
पश्चिम अंचल											
21	अहमदाबाद	2					64	0	16	80	80
22	वडोदरा	3					23	0	86	109	109
23	गोवा	1	0	0	0	0	0		25	25	25
24	मुम्बई	2					0	80	0	80	80
25	पुणे	3			8	8	29	11	66	106	114
26	राजकोट	2	0			0	17	0	55	72	72
27	थाणे	2					5	4	61	70	70
	कुल प.अं.	15	0	0	8	8	138	95	309	542	550
दक्षिण अंचल											
28	बैंगलूरू	3					47	2	67	116	116
29	चेन्नै	0								0	0
30	चेचीन	3					7	1	112	120	120
31	कोयम्बतूर	3					50	0	65	115	115
32	हबली	0								0	0
33	हैदराबाद	2					43	2	35	80	80
34	कोषिकोड	2							80	80	80
35	मदुरै	3					40		80	120	120
36	मंगलूरू	1							32	32	32
37	विजयवाड़	0								0	0
38	विशाखपट्टणम	0								0	0
	कुल द.अं.	17	0	0	0	0	187	5	471	663	663
उत्तर पूर्व अंचल											
39	गुवाहाटी	1					0	0	40	40	40
40	इम्फाल	3			15	15	8	1	96	105	120
41	सिलीगुड़ी	2				0	0	18	61	79	79
42	तिनसुकिया	2	1		5	6	22	2	50	74	80
	कुल उ.पू.अं.	8	1	0	20	21	30	21	247	298	319
मध्य अंचल											
43	भोपाल	0								0	
44	ग्वालियर	1		15	3	18	0	21	1	22	40
45	इन्दौर	1				0	17	1	22	40	40
46	जबलपुर	1				0	14	0	26	40	40
47	जयपुर	0				0				0	0
48	नागपुर	1				0	1	0	39	40	40
49	रायपुर	1		2		2	0	34	4	38	40
50	उदयपुर	2				0	33	11	30	74	74
	कुल म.अं.	7	0	17	3	20	65	67	122	254	274
	कुल योग	81	30	24	93	147	902	267	1815	2984	3131

सारणी - XI

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद										0
2	बरेली										0
3	चण्डीगढ़										0
4	दिल्ली										0
5	फरीदाबाद										0
6	गाजियाबाद										0
7	गोरखपुर	1	0	0	6	6	3	0	11	14	20
8	जम्मू					0				0	0
9	कानपुर	2	19	3	31	53	0	0	2	2	55
10	परवाणू										0
	कुल उ.अं.	3	19	3	37	59	3	0	13	16	75
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल										0
12	बैरकपुर										0
13	बैरहामपुर										0
14	भुवनेश्वर										0
15	धनबाद										0
16	जमशेदपुर	1	1	1	15	17	0	0	0	0	17
17	कोलकाता										0
18	मुजफ्फरपुर										0
19	राँची										0
20	राऊरकेला										0
	कुल पू.अं.	1	1	1	15	17	0	0	0	0	17
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद										0
22	बड़ोदरा	1	4	2	2	27	0	0	0	0	27
23	गोवा										0
24	मुम्बई										0
25	पुणे										0
26	राजकोट										0
27	थाणे	1	4	0	15	19	3	1	2	6	25
	कुल प.अं.	2	8	2	17	46	3	1	2	6	52
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु										0
29	चेन्नै										0
30	चेचीन										0
31	कोयम्बतूर										0
32	हबली										0
33	हैदराबाद	2	0	0	30	30	0	0	0	0	30
34	कोषिकोड										0
35	मदुरै										0
36	मंगलूरु										0
37	विजयवाड़										0
38	विशाखपटणम										0
	कुल द.अं.	2	0	0	30	30	0	0	0	0	30
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी										0
40	इम्फाल										0
41	सिलीगुड़ी										0
42	तिनसुकिया										0
	कुल उ.पू.अं.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मध्य अंचल										
43	भोपाल	1	3	1	15	19	0	0	0	0	19
44	ग्वालियर	1	4	1	19	24	0	0	0	0	24
45	इन्दौर										0
46	जबलपुर										0
47	जयपुर										0
48	नागपुर	1	1	6	28	35	0	0	0	0	35
49	रायपुर										0
50	उदयपुर	2	13	2	8	23	18	2	7	27	50
	कुल म.अं.	5	21	10	70	101	18	2	7	27	128
	कुल योग	13	49	16	169	253	24	3	22	49	302

सारणी - XII											
अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट											
गतिविधि	कार्यक्रम सं.	पुरुष				महिला				कुल योग	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग		
राष्ट्रीय स्तर											
उत्तर-पूर्व राष्ट्रीय स्तर (5 दिवसीय)	18	23	42	185	250	31	46	213	290	540	
क्षेत्रीय स्तर											
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	0				0				0	0	
व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	13	49	16	188	253	24	3	22	49	302	
प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम(45 दिवसीय)	0				0				0	0	
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	6	10	11	76	97	1	2	18	21	118	
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	219	356	316	3504	4176	128	65	993	1186	5362	
सीटीपीजी सहित स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (3 दिवसीय)	10	28	1	168	197	0	0	4	4	201	
प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (3 दिवसीय)	23	42	11	408	461	7	3	141	151	612	
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	788	1465	567	14722	16754	524	102	3034	3660	20414	
विशेष स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (2/1 दिवसीय) (प्र. क्षे.निदे./आं.निदे)	4	0	0	67	67	0	0	7	7	74	
आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1 दिवसीय)	14	56	72	144	272	32	31	16	79	351	
इकाई स्तर											
इकाई स्तर की कक्षाएं (अंशकालीन) (45 दिवसीय)	22	68	23	440	531	0	0	12	12	543	
इकाई स्तर की कक्षाएं (पूर्णकालीन) (21 दिवसीय)					0				0	0	
इकाई स्तर की कक्षाएं (पूर्णकालीन) (30 दिवसीय)	1	3		17	20	0	0	0	0	20	
इकाई स्तर की कक्षाएं (साप्ताहिक) (90 दिवसीय)					0				0	0	
संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	211	450	296	3861	4607	35	62	676	773	5380	
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (2 दिवसीय)	175	308	254	2636	3198	33	34	188	255	3453	
स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	401	453	160	6911	7524	29	7	594	630	8154	
आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (5 दिवसीय)	0				0				0	0	
कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं (180 दिवसीय)	0				0				0	0	
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	0				0				0	0	
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	19	39	50	248	337	39	50	248	337	674	
संयंत्र स्तर पर कक्षाएं (1 दिवसीय)	161	265	165	3626	4056	101	15	519	635	4691	
कुल	2085	3615	1984	37201	42800	984	420	6685	8089	50889	
असंगठित क्षेत्र											
असंगठित क्षेत्र के लिए सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	110	85	18	323	426	1176	120	2475	3771	4197	
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	42	266	91	448	805	266	71	468	805	1610	
जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	68	381	125	806	1312	383	125	804	1312	2624	
पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (1 दिवसीय)	185	273	22	550	845	3796	611	4765	9172	10017	
उत्तर-पूर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	53	35	75	495	605	62	129	752	943	1548	
एससीएसपी के लिए सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	2				0	60	0	0	60	60	
टीएसपी के लिए सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	0				0				0	0	
अ.जा. एससीएसपी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2133	8963	28	53	9044	69646	275	115	70036	79080	
अ.ज.जा. टीएसपी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	745	3	4694	4	4701	330	21803	166	22299	27000	
दुर्बल क्षेत्र											
दुर्बल वर्ग के लिये सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	81	30	24	93	147	902	267	1815	2984	3131	
पथर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिये कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1	13	0	3	16	17	0	7	24	40	
विशेष परिसंवाद											
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	660	401	289	2885	3575	4902	1442	14869	21213	24788	
महिला श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	435	49	80	15	144	4916	805	10229	15950	16094	
बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	206	301	171	525	997	1760	442	4603	6805	7802	
बाल श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	8			7	7	39	0	203	242	249	
अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	379	1127	451	17	1595	8984	3269	165	12418	14013	
श्रम कल्याण एवं विकास पर विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	428	469	227	1376	2072	3845	896	9129	13870	15942	
पंचायती राज (2 दिवसीय)	28	91	22	244	357	136	116	343	595	952	
निर्माण श्रमिक (2 दिवसीय)	1				0	37	0	3	40	40	
परिवर्तनात्मक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	6	0	0	173	173	0	0	106	106	279	
पंचायती राज (3 दिवसीय)	9	3	4	103	110	7	10	121	138	248	
कुल	5580	12490	6321	8120	26931	101264	30381	51138	182783	209714	
ग्रामीण क्षेत्र											
ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	797	648	400	2186	3234	7107	1955	17714	26776	30010	
ग्रामीण क्षेत्र हेतु सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	73	28	19	176	223	742	106	1709	2557	2780	
पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (ग्रामीण क्षेत्र) (1 दिवसीय)	151	176	71	502	749	2425	352	4193	6970	7719	
मनरेगा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	280	312	51	877	1240	2397	572	6301	9270	10510	
मनरेगा खण्ड स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2	25	0	10	35	36	10	9	55	90	
कुल	1303	1189	541	3751	5481	12707	2995	29926	45628	51109	
कुल योग	8968	17294	8846	49072	75212	114955	33796	87749	236500	311712	

सारणी - XIII

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान मनरेगा के कार्यक्रम का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
उत्तर अंचल											
1	इलाहाबाद	0				0				0	0
2	बरेली	2	8	0	10	18	12	0	50	62	80
3	चण्डीगढ़	7	53	0	8	61	185	0	23	208	269
4	दिल्ली	0				0				0	0
5	फरीदाबाद	8	13	0	24	37	136	0	135	271	308
6	गाज़ियाबाद	3	0	0	29	29	14	0	77	91	120
7	गोरखपुर	8	35	0	74	109	32	0	177	209	318
8	जम्मू	11	14	0	45	59	35	0	337	372	431
9	कानपुर	1	2	0	5	7	23	0	10	33	40
10	परवाणू	2	1	0	12	13	8	0	50	58	71
	कुल उ.अं.	42	126	0	207	333	445	0	859	1304	1637
पूर्व अंचल											
11	आसनसोल	8	3	1	13	17	36	2	264	302	319
12	बैरकपुर	6	10	0	10	20	152	0	67	219	239
13	बैरहामपुर	7	36	8	56	100	12	33	117	162	262
14	भुवनेश्वर	10	7	1	92	100	90	0	193	283	383
15	धनबाद	6	1	11	33	45	30	28	133	191	236
16	जमशेदपुर	0				0	0	0	0	0	0
17	कोलकाता	7	2	0	2	4	149	0	120	269	273
18	मुजफ्फरपुर	12	44	5	72	121	159	2	181	342	463
19	राँची	5	0	15	0	15	1	171	8	180	195
20	राऊरकेला	6	0	1	0	1	71	39	125	235	236
	कुल पू.अं.	67	103	42	278	423	700	275	1208	2183	2606
पश्चिम अंचल											
21	अहमदाबाद	6	3	0	32	35	67	0	114	181	216
22	वडोदरा	4	0	0	0	0	162	0	118	280	280
23	गोवा	4	0	0	21	21	0	0	98	98	119
24	मुम्बई	6	0	0	2	2	5	85	146	236	238
25	पुणे	5	0	0	0	0	74	33	66	173	173
26	राजकोट	7	53	0	24	77	61	0	86	147	224
27	थाणे	5	0	0	0	0	31	19	132	182	182
	कुल पं.अं.	37	56	0	79	135	400	137	760	1297	1432
दक्षिण अंचल											
28	बैंगलूरू	13			4	4	72	5	408	485	489
29	चेन्नै	4	0	0	0	0	130	0	30	160	160
30	चेचीन	15	10	0	36	46	33	10	505	548	594
31	कोयम्बतूर	3			19	19	2	0	86	88	107
32	हुबली	3	0	0	0	0	8	0	111	119	119
33	हैदराबाद	6	9	0	63	72	12	0	146	158	230
34	कोषिकोड	2	0	0	9	9	2	0	65	67	76
35	मदुरै	7				0			265	265	265
36	मंगलूरू	6	0	1	10	11	0	4	187	191	202
37	विजयवाड	0				0				0	0
38	विशाखपट्टणम	7	0	0	11	11	118	0	151	269	280
	कुल द.अं.	66	19	1	152	172	377	19	1954	2350	2522
उत्तर पूर्व अंचल											
39	गुवाहाटी	2	0	0	35	35	0	0	45	45	80
40	इम्फाल	5	0	0	57	57	0	0	141	141	198
41	सिलीगुड़ी	3	0	0	0	0	0	0	117	117	117
42	तिनसुकिया	0				0				0	0
	कुल उ.पू.अं.	10	0	0	92	92	0	0	303	303	395
मध्य अंचल											
43	भोपाल	11	26	0	2	28	19	5	168	192	220
44	ग्वालियर	8	0	0	62	62	0	0	240	240	302
45	इन्दौर	7	0	0	0	0	79	37	145	261	261
46	जबलपुर	4				0	72	34	54	160	160
47	जयपुर	5			1	1	109	0	79	188	189
48	नागपुर	8	0	0	0	0	95	2	203	300	300
49	रायपुर	1	5	2	1	8	10	11	11	32	40
50	उदयपुर	16	2	6	13	21	127	62	326	515	536
	कुल म.अं.	60	33	8	79	120	511	151	1226	1888	2008
	कुल योग	282	337	51	887	1275	2433	582	6310	9325	10600

सारणी – XIV
प्रशिक्षित शिक्षा अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों की संख्या (1958-2018)

योजना/वर्ष	शिक्षा अधिकारी	प्रशिक्षक	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	श्रमिक			श्रमिक			
				इकाई स्तर कक्षाएं	अल्प कालीन कार्यक्रम	ग्रामीण स्वयं सेवक	ग्रामीण जागरूकता शिविर	असंगठित क्षेत्र शिविर	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	अनुदान ग्राहियों द्वारा
दूसरी योजना (1958-61)	100	1070		9070						0
तीसरी योजना (1961-66)	217	6340		309470						2371
वार्षिक योजना (1966-69)	59	9055		419823	105975					9187
चौथी योजना (1969-74)	36	14856		802394	307591					72987
पाँचवी योजना (1974-78)	44	15166		720458	485594		6214			110393
वार्षिक योजना (1978-79)	46	3955		213677	91306		7386			25417
(1979-80)		3927		185891	38563		17671	5241	4149	25911
छठवीं योजना 1980-85	56	15984	3087	667160	32970	589	268556	86691	116551	124106
सातवीं योजना 1985-90	78	6588	19677	279194	170485	236	451936	60027	64749	123121
वार्षिक योजना 1990-91		1209	3957	52385	46041	169	139798	17138	13607	15056
1991-92	24	1305	3904	52424	47504	124	136861	18321	9972	15544
आठवीं योजना 1992-97	75	5721	17397	230281	240562	1054	494239	84909	40258	59424
नौवीं योजना 1997-2002		2737	16495	112171	706939	149	403588	187672	9310	36926
दसवीं योजना 2002-2007	81	1470	10606	28071	336173	0	516765	623111	1698	30369
ग्यारहवीं योजना 2007-2012		1134	7275	15361	279644	0	500276	700630	343	24922
वार्षिक योजना 2012-2013		204	1158	2318	46542		90442	281710	366	2322
वार्षिक योजना 2013-2014		195	988	1757	47169	0	91742	285992	185	2847
वार्षिक योजना 2014-2015		185	1075	2306	43437	0	66564	237208	51	3134
वार्षिक योजना 2015-2016		83	417	1726	43607	0	83696	337099	0	240
वार्षिक योजना 2016-2017	0	16	468	1199	54578	0	58736	216560	0	0
वार्षिक योजना 2017-2018	0	0	302	563	50303	0	51109	209435	0	0
कुल योग	816	91200	86806	4107699	3174983	2321	3385579	3351744	261239	684277

सारणी – XV						
31 मार्च, 2017 तक श्रम संघ संगठनों और अन्य निकायों/संस्थानों को प्रदत्त सहायता अनुदान						
क्र. सं.	संगठन	संघों की संख्या	31 मार्च, 2017 तक प्रदत्त राशि	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2017 तक प्रदत्त राशि	मार्च, 2018 तक प्रदत्त कुल राशि	मार्च, 2018 तक प्रशिक्षित श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
निम्न केन्द्रीय श्रमिक संघों से सम्बद्ध श्रम संघ केन्द्रीय संगठन						
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस)	178	3,550,392.43	-	3,550,392.43	50105
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (इंटक)	363	5,702,939.00	-	5,702,939.00	165577
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक)	162	3,479,053.03	-	3,479,053.03	86831
4	हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)	111	3,103,274.82	-	3,103,274.82	89625
5	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	16	91,564.04	-	91,564.04	2699
6	युनाईटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस	8	30,071.05	-	30,071.05	2522
7	नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डिया ट्रेड यूनियन	15	166,405.67	-	166,405.67	10743
8	नेशनल लेबर आर्गनाइजेशन	27	1,130,237.76	-	1,130,237.76	32848
9	हिन्द मजदूर पंचायत	15	44,062.25	-	44,062.25	2555
10	हिन्द खेत मजदूर पंचायत	1	118,976.00	-	118,976.00	1960
11	नेशनल फेडरेशन्स			-		
	क) ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन	3	71,159.95	-	71,159.95	1458
	ख) ऑल इण्डिया डिफेन्स एम्प्लॉयज फेडरेशन	28	459,934.64	-	459,934.64	20763
	ग) ऑल इण्डिया कैमीकल एण्ड फार्मासुटिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन	1	2,109.75	-	2,109.75	83
	घ) ऑल इण्डिया पी एण्ड टी एम्प्लॉयज फेडरेशन	1	3,177.00	-	3,177.00	225
	ङ) ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन	1	17,106.15	-	17,106.15	519
	च) ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन	2	121,184.23	-	121,184.23	3402
	छ) इण्डियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन	1	26,781.90	-	26,781.90	454
	ज) नेशनल फेडरेशन ऑफ इम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग एण्ड स्टेनरी	1	4,574.70	-	4,574.70	262
	झ) ऑल इण्डिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन	3	8,331.60	-	8,331.60	159
	ञ) ऑल इण्डिया मेडीकल एण्ड हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन, कोलकाता	1	693.00	-	693.00	40
	ट) ऑल इण्डिया इन्धोरेंस कॉर्पोरेशन फेडरेशन	6	48,774.95	-	48,774.95	784
	ठ) ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ सी.जी.ओ. एसोसिएशन	1	1,444.50	-	1,444.50	40
	ड) ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लॉयज फेडरेशन	4	11,894.00	-	11,894.00	1256
	ढ) ऑल इण्डिया कन्टोनमेंट इम्प्लॉयज फेडरेशन	1	3,082.50	-	3,082.50	82
	ण) ऑल इण्डिया न्यूजपेपर इम्प्लॉयज फेडरेशन	1	17,755.90	-	17,755.90	400
	त) एल.पी.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	3	78,345.65	-	78,345.65	2231
12	एस.एल.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	60	406,313.70	-	406,313.70	26600
13	स्वतंत्र श्रमिक संघ	309	4,453,860.10	-	4,453,860.10	116261
14	शैक्षणिक संस्थाएं	15	74,089.41	-	74,089.41	7196
15	सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	248	4,953,181.94	-	4,953,181.94	56607
	कुल	1586	28,180,771.62	-	28,180,771.62	684287

वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के कार्यक्रमों में संगठित क्षेत्र के
प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए अल्पकालीन कार्यक्रम

1. उद्यम स्तर पर नए सदस्यों की संयुक्त परिषद के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	5380
2. उद्यम स्तर पर नए सदस्यों की संयुक्त परिषद के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	20414
3. उद्यम स्तर पर नए सदस्यों की संयुक्त परिषद के लिए संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	118
4. आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	5362
5. स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	11882
6. श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (4 दिवसीय)	0
7. श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	674
8. संयंत्र स्तर पर विशेष कार्यक्रम (1 दिवसीय)	4691
9. प्रबंधन में श्रमिकों की भूमिका	612
10. राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष परिसंवाद (3/5 दिवसीय)	540
11. प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	0
12. आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1 दिवसीय)	351
13. नवाचारी कार्यक्रम (1 दिवसीय)	279
कुल	50303

असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम

1. महिला एवं बाल श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए शिविर (4 दिवसीय)	4197
2. दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए शिविर (4 दिवसीय)	3131
3. असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	24788
4. महिला श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	16094
5. बाल श्रमिकों एवं उनके अभिभावकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	8051
6. अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	14013
7. एससीएसपी/टीएसपी श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	106140
8. श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम (2 दिवसीय)	15942
9. पत्थर फोड़ने वाले श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	40
10. पंचायती राज के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	952
11. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पंचायती राज श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (3 दिवसीय)	248
12. श्रमिकों एवं उनकी पत्नी के लिए जीवन की गुणवत्ता विषय पर कार्यक्रम (4 दिवसीय)	1610
13. श्रमिकों एवं उनकी पत्नी के लिए जीवन की गुणवत्ता विषय पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	2624
14. एक दिवसीय पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम (असंगठित)	10017
15. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए राज्य स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रम (3 दिवसीय)	1548
16. रिक्षा चालक के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	0
17. निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)	40
	0
कुल	209435

वार्षिक लेखा

वित्तीय वर्ष

2017–2018



दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा
एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
वी.एन.आई.टी गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,
नागपुर- 440 033

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,
बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई- 400 051
दूरभाषः(022) 2657 2578, फ़ैक्स: 2657 2451
इपीएबीएक्स: 2657 1750 / 41 / 42 / 36, फ़ैक्स: 657 2951 / 657 2451

सं.म.नि.ले.प.(के.) / ना.एवं.स्वा.नि. / एस.ए.आर. / 17-18 / डीटीएनबीडब्ल्यूईडी नागपुर / दि.13.09.2019

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001

विषय: वर्ष 2017-18 के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन...

महोदय,

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संसद के दोनों सदनों की पटल पर प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

- 1) वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखे
- 2) अनुबंधक सहित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-सह-लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र।

कृपया संसद में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियाँ एवं सदनों में उनकी प्रस्तुती की तिथि के संबंध में सूचना इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,

हस्ता/-

संलग्नक: यथोपरि।

उप निदेशक / ना.एवं.स्वा.नि.

सं.म.नि.ले.प.(के.) / ना.एवं.स्वा.नि. / एस.ए.आर. / 17-18 / डीटीएनबीडब्ल्यूईडी नागपुर / 693 दि.13.09.2019

सेवा में,

निदेशक

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर - 440 033

अनुबंधक के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। संसद में दस्तावेजों की प्रस्तुती की तिथि एवं उनकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

हस्ता/-

उप निदेशक / ना.एवं.स्वा.नि.

संलग्नक: उपर्युक्त।

डी.ओ.सं. डीजीए(सी)/सी एण्ड एबी/एसएआर/डीटीएनबीडब्ल्यूईडी/17-18/691,
दिनांक: 13.09.2019

प्रिय श्री वैद्य,

मैंने दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा किया है तथा दिनांक 13.09.2019 के पत्रानुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित गौण त्रुटियाँ जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश नहीं की गई थीं, इसलिए आपके सुधारक तथा उपचारी कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया जा रहा है:-

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकाय के लिए बोनस का भुगतान करने के संदर्भ में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, फिर भी बोर्ड ने वर्ष के दौरान, अपने सभी कर्मचारियों के लिए रु.19.58 लाख राशि के रूप में तदर्थ बोनस का भुगतान किया है। मंत्रालय से विनिर्देशन आदेश प्राप्त न होने से यह तदर्थ बोनस अनियमित रूप में है।
2. उद्दिष्ट/स्थायी निधि (अनुसूची-3) रु. 7.25 लाख राशि प्रतिदेय के रूप में तथा एमजीनरेगा हेतु राशि रु.9.48 लाख तथा मेगा इवेंट हेतु राशि इ. क्रमशः तीन वित्तीय वर्ष से अधिक समय बितने पर भी बहिखाते में ही अव्ययित रूप में पड़ी है। अनुदान में बताए गए शर्तों के अनुसार, बोर्ड ने उपर्युक्त राशि को ध्यानाकर्षण करके तथा इस राशि के भुगतान के लिए उचित रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए।
3. चालू देयताएँ तथा प्रावधान (अनुसूची-7) में, ठेकेदारों से प्राप्त जमा राशि रु. 28.23 लाख बहुत काफी समय से बही-खाते में ही बकाया है। बोर्ड ने उपर्युक्त समरूप को प्रस्तुत नहीं किया है, जैसे कि, कब से समरूप राशि लंबित है तथा साथ ही इसके अनिर्णय का कारण क्या है इ. को लेखा परीक्षा में दर्शाना आवश्यक है।
4. वर्ष 2013-14 से भी आयकर प्रतिदेय लंबित तथा बोर्ड ने वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विवरणी अर्ज तक दाखल नहीं की है।
5. बोर्ड ने चालू खाते के अंतर्गत रु. 12.95 करोड़ बृहत राशि शेष रखी है। बोर्ड ने अधिकाधिक प्रतिदेय निधि पाने के उद्देश्य से निवेश पॉलीसी भी नहीं की है।
6. तत्संबंधित खाता बही के अनुसार, बोर्ड ने अब तक व्यवसाय कर के रूप में अपने कर्मचारियों से वसूली की गई राशि क्रमशः रु.4.07 लाख राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं की गई। फिर भी, तुलन पत्र (अनुसूची- 7 चालू देयताएँ अन्य जमा राशि) रु. 1.42 लाख व्यवसाय कर के रूप में देय दर्शाती है। रु. 1.38 लाख राशि मात्र चालू वर्ष से संबंधित है तथा वर्ष 01.04.2017 के पहले रु. 2.88 लाख राशि शेष अदत्त राशि के

रूप में है। वार्षिक लेखा के अनुसार, बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान रु. 0.20 लाख मात्र का ही भुगतान किया है। बही खाते में दर्शाये गए आँकड़े, तुलनपत्र में दर्शाए गए आँकड़ों से समरूप नहीं है, और इस विसामान्यता के लिए बोर्ड के पास कोई कारण नहीं है।

7. बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के निवेश पर टीडीएस के रूप में रु. 14.49 लाख व्यय दर्शाता है। लेखाकरण नीतियों के अनुसार टीडीएस सहित ब्याज की समग्र राशि को आय के रूप में दर्शाया जाए तथा टीडीएस, जो चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम है, इसे प्राप्य समझा जाए। सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा में आय को रु. 14.49 लाख को तत्संबंधित चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम इ. से कम दर्शाया गया है।
8. चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7) में सामान्य भविष्य निधि अग्रिम रु.2.99 लाख क्रमशः राशि विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को प्रेषित की गई थी परंतु संवितरण नहीं किया गया। वर्ष 2012-13 से संवितरण हेतु इस राशि को देयता के रूप में निरंतर दर्शाया गया है और बोर्ड द्वारा इस संबंध में समाधान नहीं किया गया है।
9. बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक में, पेंशन संवितरण हेतु पेंशन खाता को प्रकट नहीं किया है, 31.3.2018 तक इस पेंशन खाते में रु. 0.90 लाख राशि शेष है।
10. बोर्ड ने संशोधित प्रारूप में (जीएफआर-प्रपत्र-12-क) प्रयोज्यता प्रमाणपत्र नहीं बनाया है।
11. वर्ष के दौरान, वर्ष में चार बार, टीडीएस को 08 दिन तक भी विलंब से सरकार के खाते में भेजा जा सकता है। वेतल बील के अनुसार, टीडीएस रु. 6.77 लाख है, फिर भी, बही खाते के अनुसार, रु. 9.23 लाख राशि का समायोजन नहीं किया गया है।
12. आय एवं व्यय लेखा के व्यय विवरण (अनुसूची-20) के अंतर्गत "अप्राप्त व्यय" में रु.3.87 करोड़ राशि को जोड़ा गया है। बोर्ड ने समेकित व्यय आँकड़ों को दर्शाने के बजाय संगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत व्यय को वर्गीकृत किया है ताकि, लेखा में स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहें। बोर्ड ने वार्षिक लेखा में न ही किसी प्रकार का कोई प्रकटन किया है और न ही व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।
13. बोर्ड ने समग्र/पूँजीगत निधि (अनुसूची-1) जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के तहत रु.2.49 करोड़ राशि मंत्रालय को सुपुर्द की है। परंतु बोर्ड ने लेखा में इस संदर्भ में कोई खुलासा नहीं किया है।

सादर,

आपका,

(गुलजारी लाल)

श्री हर्ष वैद्य,

निदेशक,

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड,

उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपुर- 440 033

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2018 को दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2017-18 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनुरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।
3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।
4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:
 - i.) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के पैरा डी-13 में उल्लिखितनुसार जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
 - ii.) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।
 - iii.) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बोर्ड के नियम एवं विनियम के नियम 20(i) के अधीन यथा अपेक्षित बनाये रखे गये हैं जैसा कि हमने अचल आस्ति रजिस्टर के अलावा ऐसी पुस्तकों को देखा है।
 - iv.) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. तुलन पत्र

क1. देयताएं

क1.1. चालू देयताएं एवं प्रावधान (रुपये 4.97 करोड़)

क1.1.1 स्वीकृत किए गये रुपये 4.97 करोड़ का अव्ययित जमा शेष बोर्ड द्वारा अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत कारण बताया जाना अपेक्षित है। फिर भी उपर्युक्त राशि उद्दिष्टित निधि में परिलक्षित हो रही है। परिणामस्वरूप चालू देयताएं एवं प्रावधान सहित रुपये 4.97 करोड़ उद्दिष्टित निधि को अधिक बताया गया है।

ख. आय एवं व्यय लेखा

ख.1. व्यय (रुपये 69.15 करोड़)

ख.1.1 बोर्ड गैर-लाभोन्मुख स्वायत्त निकाय होने से आयकर भुगतान से छूट प्राप्त है, इसके आय के ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की जा रही है और सकल ब्याज की आय को बोर्ड के आय के रूप में समाविष्ट किया जाता है। लेखा सिद्धांत के अनुसार लेखा में प्राप्त होने योग्य रुपये 1.18 करोड़ की स्रोत पर कर कटौती को नहीं दिखाया गया है। इसलिए चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम में रुपये 1.18 करोड़ की कमी आई है।

ग. प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

ग.1. प्राप्तियाँ

बोर्ड ने पिछले वर्ष जमा की गई रुपये 1.87 करोड़ की राशि को चालू वर्ष की आवतियों के रूप में अव्ययित राशि को दर्शाया है। उपर्युक्त राशि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में भुगतान के रूप में परिलक्षित हो रही है। परिणामस्वरूप व्यय किए गये रुपये 1.87 करोड़ के साथ-साथ प्राप्तियों को अधिक बताया गया है।

घ. सामान्य

1. बोर्ड द्वारा अंगीकृत स्रोत पर कर कटौती का लेखाकरण बर्ताव यथार्थ नहीं है। स्रो पर कर कटौती की वापस की गई राशि न तो आय है न ही इसे उद्दिष्टित निधि माना जाएगा। स्रोत पर कर कटौती सहित सकल राशि, सम्बन्धित वर्ष में चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम के अधीन प्राप्त होने वाली राशि को आय के रूप में समाविष्ट करना अपेक्षित है, बोर्ड द्वारा अपनाई गई लेखाकरण प्रथा यथार्थ नहीं है क्योंकि स्रोत पर की गई कर कटौती द्वारा आय पर ब्याज को छिपाया गया है। फिर भी लेखा परीक्षा में पिछले 03 वर्षों के लिए तथ्य को बोर्ड के ध्यान में लाया गया है। लेखा समाशोधन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

2. बोर्ड ने एस 12 के अधीन निर्धारित सरकारी अनुदान के लेखाकरण के संबंध में नीति के दृष्टिकोण/पद्धति को प्रकट नहीं किया है।

3. बोर्ड ने लेखाकरण मानक 15 की शर्तों में यथा अपेक्षित बीमांकिक आधार पर पेंशन, ग्रेच्यूटि एवं छुट्टी भुगतान जैसे सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान नहीं बनाया है।

4. लेखा परीक्षा द्वारा पूर्णतः जमा विवरण प्रक्रिया के संबंध में मांगी गई जानकारी को बोर्ड ने प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि के.लो.नि.वि. द्वारा शेष राशि बोर्ड को अभी वापस की जानी/लौटाई जानी है। कार्य की प्रकृति, के.लो.नि.वि. में जमा राशि, पूरा कार्य करने में कुल व्यय एवं के.लो.नि.वि. में जमा राशि की जानकारी लेखा परीक्षा द्वारा मांगी गई थी जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. मेसर्स ऑनलाइन कम्प्यूटर्स के मामले में मध्यस्थता के लिए माननीय जिला न्यायालय में जमा की गई राशि रुपये 3.44 करोड़ को समाविष्ट करते हुए चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) के अधीन प्राप्त होने वाले दावे (रुपये 3.49 करोड़) को दिखाया गया

है। रुपये 5.00 लाख एनपीएस को प्राप्त होने वाली राशि को दिखाया गया है। जमा, चालू आस्तियों, ऋण एवं अग्रिम में जमा की गई राशि में से न्यायालय ने रुपये 59.17 लाख मेसर्स ऑनलाइन कम्प्यूटर्स का भुगतान कर दिया है जिसका सही रूप से विवरण नहीं दिया गया है।

इसके बाद बोर्ड ने एन.पी.एस. को प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी, एन.पी.एस. के अधिक भुगतान का कारण एवं गैर-समायोजन आदि के कारण को नहीं बताया गया है जो कि वर्ष 2012-13 से लंबित है।

6. निम्नलिखित अभिलेख/दस्तावेज लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गये:

(i) अचल आस्ति रजिस्टर, (ii) पुस्तकालय रजिस्टर एवं वर्ष 2017-18 के लिए पुस्तकालयीन पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाण पत्र, (iii) अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र, (vi) के.लो.नि.वि. में जमा विवरण की जानकारी और (v) एन.पी.एस. खाता में अधिक निधि अंतरित करने का कारण एवं निधि अंतरण का विवरण, (vi) सरकारी खाता में बोर्ड द्वारा वसूल की गई स्रोत पर कर कटौती के संबंध में अभिलेख/चालान।

घ) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान बोर्ड ने रुपये 73.73 करोड़ कुल अनुदान (70.50 करोड़ राजस्व व्यय के लिए तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए 1.00 करोड़) एवं पिछले वर्ष अग्रणित अव्ययित राशि रुपये 1.87 करोड़) में से बोर्ड ने 68.42 करोड़ राशि उपयोग में लाया है परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2018 तक रुपये 4.97 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया।

रुपये 35.62 लाख आंतरिक आय हुई, जिनमें से राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए रुपये 1.57 लाख को उपयोग में लाया गया और शेष अधिशेष रुपये 34.05 लाख को समग्र निधि/पूंजीगत निधि में अंतरित किया गया। वर्ष के दौरान, बोर्ड ने अपने समग्र निधि का रुपये 2.49 करोड़ मंत्रालय को अंतरित किया।

प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज रुपये 11.70 लाख को प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा में दर्शाया गया है। जिसे अनुदान लेखा में जमा नहीं किया गया है और इसके बावजूद इसे बोर्ड द्वारा अर्जित आंतरिक राजस्व में दर्शाया गया है।

इ) प्रबंधन पत्र

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।

v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणी के साथ संलग्न उपर्युक्त विवरण तथा स्रोत पर कर कटौती की गलत लेखाकरण से संबंधित डी-3 टिप्पणी सं. में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलें एवं अचल आस्तियाँ तथा पुस्तकालय पुस्तक रजिस्टर को सही नहीं बनाए रखा गया था। साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों की दृष्टि में सत्य एवं सही विचार देने के लिए उपर्युक्त लेन-देन एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा

इस लेखा परीक्षा के साथ संलग्न अनुलग्नक की यथार्थता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

क. जहाँ तक 31 मार्च, 2018 तक द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड, नागपुर के क्रियाकलापों की स्थिति का तुलनपत्र के संबंध में तथा

ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति के लिए उस तिथि तथा आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष के संबंध में ।

कृते एवं की ओर से
भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

हस्ता/-
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय), मुंबई

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13.09.2019

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता:

बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 50 क्षेत्रीय निदेशालय, 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालय तथा शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान (आई.आई.डब्ल्यू.ई.) मुंबई में कार्यरत हैं। फिर भी वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकांश कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता:

बोर्ड की समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और निम्नलिखित कारणों के लिए बोर्ड के आकार एवं प्रकृति उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती है:

1) बोर्ड आयकर भुगतान से मुक्त है फिर भी, सामान्य भविष्य निधि में निवेश राशि की आय से कर कटौती की जाती है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा कर कटौती के संबंध में अपनायी गयी लेखाकरण नीति गलत है।

2) लेन-देन को मानक अभिलेखित करने के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष के साथ अलग से अनुमोदित लेखाकरण मैनुअल नहीं है।

3. आवधिक आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन:

बोर्ड ने आवधिक आस्तियाँ/पुस्तकालय रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया है तथा वर्ष 2014-15 से आस्तियों तथा पुस्तकालय की किताबों का भी प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

4. स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन:

बोर्ड में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।

5. सांविधिक देय भुगतान नियमित रूप से करना।

बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है। बोर्ड 08 से 22 दिन तक टीडीएस/एनपीएस में विलंब होने से भी छूट देता है। 31.3.2018 तक रुपये 4.07 लाख सरकारी खाते में भुगतान नहीं किए गए जबकि पिछले वर्ष की देयताएँ भी सम्मिलित हैं।

हस्ता/—

प्रधान लेखा परीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जवाब
(1)	(2)
<p>हमने 31 मार्च, 2018 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (केश्रशिबो) के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2017-18 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।</p> <p>1. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।</p> <p>2. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के</p>	

<p>साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।</p> <p>3. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:</p> <p>i.) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के पैरा डी-13 में उल्लिखितनुसार जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। 1) वार्षिक वित्तीय विवरण में परिलक्षित होने वाले समेकित आकड़ों पर विस्तृत जानकारी संबंधी गुपिंग शेड्यूल 2) ओ. टी. रजिस्टर 3) किराया रजिस्टर 4) वर्ष 2015-16 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट सहित पुस्तकालय रजिस्टर।</p> <p>ii.) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।</p> <p>iii.) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बोर्ड के नियम एवं विनियम के नियम 20(i) के अधीन यथा अपेक्षित बनाये रखे गये हैं जैसा कि हमने अचल आस्ति रजिस्टर के अलावा ऐसी पुस्तकों को देखा है।</p>	
<p>क. तुलन पत्र</p> <p>क1. देयताएं</p> <p>क1.1. चालू देयताएं एवं प्रावधान (रुपये 4.97 करोड़)</p> <p>क1.1.1 स्वीकृत किए गये रुपये 4.97 करोड़ का अव्ययित जमा शेष बोर्ड द्वारा अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान के अंतर्गत कारण बताया जाना अपेक्षित है। फिर भी उपर्युक्त राशि उद्दिष्टित निधि में परिलक्षित हो रही है। परिणामस्वरूप चालू देयताएं एवं प्रावधान सहित रुपये 4.97 करोड़ उद्दिष्टित निधि को अधिक बताया गया है।</p>	<p>वर्ष 2015-16 से पहले बोर्ड चालू देयताएं एवं प्रावधान के अधीन अव्ययित सहायता अनुदान की जमा शेष राशि सही रूप से प्रदर्शित कर रहा था, परन्तु वर्ष 2011-12 में लेखा परीक्षा आपत्ति होने के कारण सहायता अनुदान में अव्ययित जमा शेष राशि उद्दिष्टित निधि के अधीन दिखाया जाना चाहिए। बोर्ड ने वर्ष 2015-16 से उद्दिष्टित निधि के अधीन अव्ययित जमा शेष राशि दिखाना प्रारंभ किया है। वर्ष 2018-19 के लिए लेखा तैयार करते समय उपर्युक्त को चालू देयताएं के अधीन दिखाया जाएगा।</p>

<p>ख. आय एवं व्यय लेखा</p> <p>ख.1. व्यय (रुपये 69.15 करोड़)</p> <p>ख.1.1 बोर्ड गैर-लाभोन्मुख स्वायत्त निकाय होने से आयकर भुगतानसे छूट प्राप्त है, इसके आय के ब्याज पर बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती की जा रही है और सकल ब्याज की आय को बोर्ड के आय के रूप में समाविष्ट किया जाता है। लेखा सिद्धांत के अनुसार लेखा में प्राप्त होने योग्य रुपये 1.18 करोड़ की स्रोत पर कर कटौती को नहीं दिखाया गया है। इसलिए चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम में रुपये 1.18 करोड़ की कमी आई है।</p>	<p>आगामी वर्षों में लेखा तैयार करते समय लेखा परीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट किया गया।</p>
<p>ग. प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा</p> <p>ग.1. प्राप्तियाँ</p> <p>बोर्ड ने पिछले वर्ष जमा की गई रुपये 1.87 करोड़ की राशि को चालू वर्ष की आवतियों के रूप में अव्ययित राशि को दर्शाया है। उपर्युक्त राशि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में भुगतान के रूप में परिलक्षित हो रही है। परिणामस्वरूप व्यय किए गये रुपये 1.87 करोड़ के साथ-साथ प्राप्तियों को अधिक बताया गया है।</p>	<p>संशोधित प्राक्कलन 2017-18 के अनुसार स्वीकृत एवं प्राप्त अनुदान राशि एवं वर्ष 2016-17 के लिए अव्ययित राशि को यथार्थ रूप से प्रदर्शित करने के क्रम में मंत्रालय को प्रदर्शित करने के क्रम में मंत्रालय को वापस की गई/समायोजित राशि रुपये 1.87 करोड़ को प्राप्त अनुदान के रूप में दर्शाया गया है और उपर्युक्त राशि मंत्रालय को वापस किए गये अनुदान के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्राप्तियाँ तथा व्यय को रुपये 1.87 करोड़ तक अधिक नहीं बताया गया है।</p>
<p>घ. सामान्य</p> <p>1. बोर्ड द्वारा अंगीकृत स्रोत पर कर कटौती का लेखाकरण बर्ताव यथार्थ नहीं है। स्रो पर कर कटौती की वापस की गई राशि न तो आय है न ही इसे उद्दिष्टित निधि माना जाएगा। स्रोत पर कर कटौती सहित सकल राशि, सम्बन्धित वर्ष में चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम के अधीन प्राप्त होने वाली राशि को आय के रूप में समाविष्ट करना अपेक्षित है, बोर्ड द्वारा अपनाई गई लेखाकरण प्रथा यथार्थ नहीं है क्योंकि स्रोत पर की गई कर कटौती द्वारा आय पर ब्याज को छिपाया गया है। फिर भी लेखा परीक्षा में पिछले 03 वर्षों के लिए तथ्य को बोर्ड के ध्यान में लाया गया है। लेखा समाशोधन के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।</p> <p>2. बोर्ड ने एस 12 के अधीन निर्धारित</p>	<p>आगामी वर्षों में लेखा तैयार करते समय लेखा परीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट किया गया।</p> <p>आगामी वर्षों में लेखा तैयार करते समय लेखा परीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के</p>

<p>सरकारी अनुदान के लेखाकरण के संबंध में नीति के दृष्टिकोण/पद्धति को प्रकट नहीं किया है।</p>	<p>लिए नोट किया गया।</p>
<p>3. बोर्ड ने लेखाकरण मानक 15 की शर्तों में यथा अपेक्षित बीमांकिक आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटि एवं छुट्टी भुगतान जैसे सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान नहीं बनाया है।</p>	<p>वेतन घटक के अधीन इन व्ययों के लिए मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान राशि पर बोर्ड पूरी तरह निर्भर है। ऐसा प्रावधान बनाने के लिए वेतन घटक के अधीन अनुदान पर्याप्त नहीं है। इसलिए वेतन घटक के अधीन प्राप्त अनुदान से ग्रेच्युटि एवं छुट्टी का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे प्रावधान करते समय बोर्ड को मंत्रालय से अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी जिससे भारत सरकार पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।</p>
<p>4. लेखा परीक्षा द्वारा पूर्णतः जमा विवरण प्रक्रिया के संबंध में मांगी गई जानकारी को बोर्ड ने प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि के.लो.नि.वि. द्वारा शेष राशि बोर्ड को अभी वापस की जानी/लौटाई जानी है। कार्य की प्रकृति, के.लो.नि.वि. में जमा राशि, पूरा कार्य करने में कुल व्यय एवं के.लो.नि.वि. में जमा राशि की जानकारी लेखा परीक्षा द्वारा मांगी गई थी जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p>	<p>विभिन्न प्रयासों के बावजूद बोर्ड केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सिविल), नागपुर से वर्ष 2006-07 से अब तक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत), नागपुर एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली से वर्ष 2016-17 से अब तक प्रपत्र 65 में कार्य-विवरण तथा वर्षवार जमा एवं व्यय का विवरण प्राप्त नहीं कर सका है। फिर भी आगामी लेखा परीक्षा के लिए विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।</p>
<p>5. मेसर्स ऑनलाइन कम्प्यूटर्स के मामले में मध्यस्थता के लिए माननीय जिला न्यायालय में जमा की गई राशि रुपये 3.44 करोड़ को समाविष्ट करते हुए चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) के अधीन प्राप्त होने वाले दावे (रुपये 3.49 करोड़) को दिखाया गया है। रुपये 5.00 लाख एनपीएस को प्राप्त होने वाली राशि को दिखाया गया है। जमा, चालू आस्तियों, ऋण एवं अग्रिम में जमा की गई राशि में से न्यायालय ने रु. 59.17 लाख मेसर्स ऑनलाइन कम्प्यूटर्स का भुगतान कर दिया है जिसका सही रूप से विवरण नहीं दिया गया है। इसके बाद बोर्ड ने एन.पी.एस. को प्राप्त होने वाली राशि की जानकारी, एन.पी.एस. के अधिक भुगतान का कारण एवं गैर-समायोजन आदि के कारण को नहीं बताया गया है जो कि वर्ष 2012-13 से लंबित है।</p>	<p>रुपये 3.44 करोड़ व्यय नहीं किया गया है बल्कि माननीय जिला न्यायालय, नागपुर में मध्यस्थता के उद्देश्य से जमा किया गया है। न्यायालय ने बैंक गारंटी के एवज में 59.17 लाख आहरित कर लिया है। इसलिए माननीय न्यायालय में जमा में कटौती के रूप में व्यवहार में नहीं लाया गया है। दिनांक 31.03.2019 तक न्यायालय में जमा का विवरण वार्षिक लेखा 2018-19 में प्रकट किया जाएगा। वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड ने एनपीएस खाताधारकों के सम्बन्ध में एन.एस.डी.एल. के एन.पी.एस. खाते में ब्याज सहित जमा की गई राशि को अंतरित किया है। यह पाया गया कि एनपी.एस. को अंतरित होने वाली राशि में कमी आई है। इसलिए कमी आई हुई राशि को कर्मचारी अंशदान</p>

<p>6. निम्नलिखित अभिलेख/दस्तावेज लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गये:</p> <p>(i) अचल आस्ति रजिस्टर, (ii) पुस्तकालय रजिस्टर एवं वर्ष 2017-18 के लिए पुस्तका-लयीन पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाण पत्र, (iii) अक्टूबर, 2017 से मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र, (iv) के.लो.नि.वि. में जमा विवरण की जानकारी, (v) एन.पी.एस. खाता में अधिक निधि अंतरित करने का कारण एवं निधि अंतरण का विवरण, (vi) सरकारी खाता में बोर्ड द्वारा वसूल की गई स्रोत पर कर कटौती के संबंध में अभिलेख/चालान।</p>	<p>एवं नियोक्ता अंशदान के रूप में अनुदान लेखा से अंतरित किया गया है। इस राशि का 50% कर्मचारी अंशदान के रूप में एन.पी.एस. लेखा से प्राप्त होने योग्य राशि समझी जाए और 50% राशि बोर्ड के अंशदान खाता पर व्यय के रूप में समझी जाए।</p> <p>इसलिए एन.पी.एस. लेखा से प्राप्त होने योग्य राशि रुपये 5 लाख एन.पी.एस. खाता में कोई आय नहीं है इसे पिछले वर्षों के लिए व्यय के रूप में और बोर्ड के व्यय से अधिक आय से कम/समायोजित समझी जाए।</p> <p>जी.एफ.आर. के अनुसार आस्ति रजिस्टर मुख्यालय में तैयार होने वाला ही है। आस्तियों पर प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट तथा इसके साथ-साथ पुस्तकालय पुस्तकों का विवरण एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जमा एवं कार्य संबंधी जानकारी अगली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर भी स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र जो उपलब्ध थे बैंक द्वारा चिन्हित अनुसार उसे लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया था।</p>
<p>घ) सहायता अनुदान</p> <p>वर्ष के दौरान बोर्ड ने रुपये 73.73 करोड़ कुल अनुदान (70.50 करोड़ राजस्व व्यय के लिए तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए 1.00 करोड़) एवं पिछले वर्ष अग्रनित अव्ययित राशि रुपये 1.87 करोड़) में से बोर्ड ने 68.42 करोड़ राशि उपयोग में लाया है परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2018 तक रु. 4.97 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं किया गया।</p> <p>रुपये 35.62 लाख आंतरिक आय हुई, जिनमें से राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए रुपये 1.57 लाख को उपयोग में लाया गया और शेष अधिशेष रुपये 34.05 लाख को समग्र निधि/पूंजीगत निधि में अंतरित किया गया। वर्ष के दौरान बोर्ड ने अपने समग्र निधि का रुपये</p>	<p>कुल 73.73 करोड़ सहायता अनुदान में से (रुपये 70.50 करोड़ राजस्व व्यय के लिए एवं वर्ष के दौरान प्राप्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए रुपये 1.0 करोड़ तथा पिछले वर्ष से अग्रनित अव्ययित अनुदान रुपये 1.87 करोड़) बोर्ड ने अनुदान से रुपये 68.40 करोड़ उपयोग में लाया, परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2018 तक रुपये 4.97 करोड़ अनुदान को उपयोग में नहीं लाया गया। राजस्व व्यय के लिए रुपये 4.57 लाख उपयोग में लाने के बाद शेष जमा आय रुपये 34.05 लाख समग्र/व्यय से अधिक आय में अंतरित किया गया था।</p>

<p>2.49 करोड़ मंत्रालय को अंतरित किया।</p> <p>प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज रुपये 11.70 लाख को प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा में दर्शाया गया है। जिसे अनुदान लेखा में जमा नहीं किया गया है और इसके बावजूद इसे बोर्ड द्वारा अर्जित आंतरिक राजस्व में दर्शाया गया है।</p>	<p>अनुदान लेखा पर प्राप्त ब्याज रुपये 11.70 लाख को विविध आय के रूप में समझा गया था और व्यय से अधिक आय के अनुमान का कारण बताया गया है।</p>
<p>ड़) प्रबंधन पत्र</p> <p>लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।</p> <p>v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप हैं।</p> <p>vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणी के साथ संलग्न उपर्युक्त विवरण तथा स्रोत पर कर कटौती की गलत लेखाकरण से संबंधित डी-3 टिप्पणी सं. में उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलें एवं अचल आस्तियाँ तथा पुस्तकालय पुस्तक रजिस्टर को सही नहीं बनाए रखा गया था। साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों की दृष्टि में सत्य एवं सही विचार देने के लिए उपर्युक्त लेन-देन एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखा परीक्षा के साथ संलग्न अनुलग्नक की यथार्थता को सत्यापित नहीं किया जा सका।</p> <p>क. जहाँ तक 31 मार्च, 2018 तक द.ठं.रा.श्र.शि. वि.बोर्ड, नागपुर के क्रियाकलापों की स्थिति का तुलनपत्र के संबंध में तथा</p> <p>ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति के लिए उस तिथि तथा आय एवं व्यय लेखा के अधिशेष के संबंध में ।</p>	

संलग्नक

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जवाब
<p>1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता:</p> <p>बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 05 ऑचलिक, 50 क्षेत्रीय निदेशालय कार्यरत हैं। फिर भी अधिकांश कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है। क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर में वर्ष 2005 से बरेली में वर्ष 2013 से तथा गोरखपुर में वर्ष 2006 से आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।</p>	<p>वित्तीय सलाहकार, लेखा अधिकारी, लेखापाल, कर्मचारीगण इ. नियमित रिक्त पदों के कारण तथा रिक्त पदों की भर्ती न करने से, आंतरिक लेखा परीक्षा अपर्याप्त है तथा बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। फिर भी, सीएजी तथा मंत्रालय के आंतरिक लेखा विंग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही हैं। उनके द्वारा बोर्ड के सभी इकाई तथा सूची को अद्यतन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी बजट विंग तथा आंतरिक लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता है। इस विंग के सृजन के लिए, लेखा नियंत्रक का एक पद, लेखा अधिकारी के एक अतिरिक्त पद के साथ, लेखापाल के दो पद, उच्च श्रेणी लिपिके के दो पद तथा एक पद आशुलिपिक तथा एक पद एमटीएस इ. पदों के सृजन की आवश्यकता है। इस संबंध में, प्रशासन अनुभाग द्वारा प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा। लेखाकरण इकाइयों के लिए पुनर्गठन हेतु प्रयास जारी है।</p>
<p>2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता:</p> <p>बोर्ड की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए समरूप प्रक्रिया की अनुपस्थिति में संगठन की आकार एवं प्रकृति उपर्युक्त प्रतीत नहीं होती है। वेतन निर्धारण में त्रुटियों की गई है और इस लेखा में वर्ष के दौरान रुपये 20.65 लाख की वसूली दिखाई गई है। तथापि लेन-देन को मानक अभिलेखित करने के लिए कूटबद्ध लेखा शीर्ष के साथ अलग से अनुमोदित लेखाकरण मैनुअल नहीं है।</p>	<p>आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के सृजन मात्र से ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ होगी। हमने, सामान्य भविष्य निधि में निवेश राशि से टीडीएस की कटौती नहीं किए जाने के संबंध में, दि. 30.8.2019 को पत्र संख्या: डीटीएनबीडब्ल्यूईडी/लेखा/पीडीए/एसएआर/2017-18/530 के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक को अनुरोध किया कि, इस संबंध में बैंक ने यह सूचित किया कि नए वित्तीय वर्ष में अर्थात् 2019-20 में किसी भी प्रकार का टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी (प्रति संलग्न की है।)</p> <p>प्रशासनिक नियमावली जिसमें लेखा अभिलेख निहित है, इस प्रति को लेखा परीक्षा को दर्शायी गयी।</p>
<p>3. स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन:</p> <p>वर्ष 2015-16 से स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। आस्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।</p>	<p>मुख्यालय, सभी क्षेत्रीय निदेशालयों तथा भा.श्र. शि.सं., मुंबई में डेड स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है। जीएफआर के अनुसार आस्तियाँ रजिस्टर भी मुख्यालय में बनाया जा रहा है। आस्तियाँ के साथ ही</p>

	पुस्तकालय की किताबों की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट तथा सीपीडब्ल्यूडी के कार्यों की सूचना को भी अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा।
4. स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन: संस्थान में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।	शून्य
5. सांविधिक देय भुगतान नियमित रूप से करना। बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।	<p>वर्ष 2017-18 के लिए प्रोफेशन टैक्स लेजर को लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया जिसमें केवल मुख्यालय से संबंधित व्यवहार को ही बताया गया है। खाताबही के अनुसार रु. 287786/- राशि अथ शेष है। इसके अलावा भी, वसूली की गई राशि रु. 117910/- तथा रद्द किए गए चेक की राशि रु. 20,200/- इ. को भी जोड़ा गया है। बोर्ड ने, मई, 2017 के दौरान, रु. 18800/- राशि बैंक में जमा की है, बैंक ने भी इस राशि को स्वीकृत किया गया है। दिनांक 1.6.2017 का रु. 9400/- का चेक तथा दिनांक 30.6.2017 का रु. 10800/- का चेक बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया तथा बोर्ड द्वारा इन दो चेकों को रद्द किया गया। इस तरह, अथ शेष राशि रु. 287786/- तथा रु.117910/- जमा राशि, बोर्ड ने वास्तविक रूप में रु.18800/- राशि मात्र जमा की है। इसलिए रु.386896/- मात्र राशि अंत शेष है। अप्रैल, 2018 तक मुख्यालय ने प्रोफेशन टैक्स का सांविधिक देय का भुगतान तत्परता से किया है। रु. 386896/-में से रु.99710/- केवल मुख्यालय से संबंधित राशि तथा रु.287786/- राशि क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित है, जिसे टैली खाता बही में दर्शाया गया है। वर्ष 2011-12, नवम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 तक का वेतन मुख्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भुगतान किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने तत्संबंधित लेखा खातों से वसूली भी अदा की है। मुख्यालय के लेखा खाता तैयार करने के लिए अथ शेष और अंत शेष को ध्यान में लिए बिना, बोर्ड, लेखाकरण के उद्देश्य से टैली खाता बही में केवल प्राप्तियाँ एवं भुगतान ही करता है। बोर्ड का समेकित वार्षिक लेखा को तैयार करने हेतु सभी आंचलिक तथा भाश्रशिसं, मुंबई के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा खाता में ही बोर्ड के मुख्यालय का लेखा खाता का विलयन किया गया है। अर्थपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत, अनुसूची- 24 में इस तथ्य को प्रकट किया गया।</p>

प्रबंधन पत्र - (लेखाकरण अभिलेख/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आदि में नोटिस में लाई गई कमियाँ)

क्र. सं.	प्रबंधन पत्र में टिप्पणी	जवाब
1.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकाय के लिए बोनस का भुगतान करने के संदर्भ में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया, फिर भी बोर्ड ने वर्ष के दौरान अपने सभी कर्मचारियों के लिए रु.19.58 लाख राशि के रूप में तदर्थ बोनस का भुगतान किया है। मंत्रालय से विनिर्देशन आदेश प्राप्त न होने से यह तदर्थ बोनस अनियमित रूप में है।	सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन अर्थात् 01.01.2006 से महुँगाई भत्ता, अन्य भत्ते, तदर्थ बोनस, पेंशनरों को महुँगाई भत्ता इ. के लिए स्वायत्त निकाय के लिए मंत्रालय से किसी भी प्रकार का अलग से आदेश जारी नहीं किया गया है। बोर्ड की वेतन संरचना, केन्द्र सरकार के कर्मचारीगण के समान ही है। केन्द्र सरकार के कर्मचारीगण को लागू सेवानिवृत्ति के समान ही बोर्ड पेंशन का भुगतान करता है। प्राप्त अनुदानों से या स्वयंकोष निर्माण पर प्राप्त ब्याज की राशि से तदर्थ बोनस भुगतान किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रालय में भेजा गया। चूँकि यह राशि रु.19.50 लाख, अनुदान सहायता राशि रु.73.38 करोड़ तथा रु. 90.30 लाख राशि जो स्वयंकोष निर्माण पर प्राप्त ब्याज राशि से बहुत ही कम है। पत्र की प्रति संलग्न की है।
2.	उद्दिष्ट/स्थायी निधि (अनुसूची-3) रु. 7.25 लाख राशि प्रतिदेय के रूप में तथा एमजीनरेगा हेतु राशि रु.9.48 लाख तथा मेगा इवेंट हेतु राशि इ. क्रमशः तीन वित्तीय वर्ष से अधिक समय बितने पर भी बहिखाते में ही अव्ययित रूप में पड़ी है। अनुदान में बताए गए शर्तों के अनुसार, बोर्ड ने उपर्युक्त राशि को ध्यानाकर्षण करके तथा इस राशि के भुगतान के लिए उचित रूप में कार्रवाई की जानी चाहिए।	रुपये 7.25 लाख राशि तथा रु.9.48 लाख राशि पर तीन वर्ष का अधिक समय बीतने पर भी दावा नहीं किया गया तथा आगामी वर्ष के लिए लेखा तैयार करते वक्त व्यय पर अधिक आय को जोड़ा गया।
3.	चालू देयताएँ तथा प्रावधान (अनुसूची-7) में, टेकेदारों से प्राप्त जमा राशि रु. 28.23 लाख बहुत काफी समय से बहिखाते में ही बकाया है। बोर्ड ने उपर्युक्त समरूप को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसेकि, कब से समरूप राशि लंबित है तथा साथ ही इसके अनिर्णय का कारण क्या है इ. को लेखा परीक्षा में दर्शाना आवश्यक है।	पूर्व के लेखा परीक्षा तथा इस वर्ष की लेखा परीक्षा को टैली खाता बही के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए गए। कुछ मामलों में ईएमडी को वापस की गई, जो कि विवादित है तथा निर्णयाधीन है तथा कुछ मामलों में कोई दावा नहीं/न ही कार्य संपन्नता का कोई प्रमाणपत्र लेखा शाखा को प्राप्त हुआ है। कार्य/मामले का निपटान के पश्चात/यह ईएमडी वापस की जाएगी अथवा आय के रूप में समझा जाएगा।

4.	वर्ष 2013-14 से भी आयकर प्रतिदेय लंबित तथा बोर्ड ने वर्ष 2012-13 तथा 2016-17 वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विवरणी अर्ज तक दाखल नहीं की गई है।	उस समय के लेखा अधिकारी की राय के अनुसार सेक्शन 10(23 सी) के तहत बोर्ड की आय छूट प्राप्त है। वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अवधि समाप्त हो गयी। और इसे अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, आयकर विभाग से प्राप्त सूचना पर ही वर्ष 2013-14 के लिए आयकर विवरणी दखल की जाएगी। वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विवरणी भेजी गई तथा आयकर विभाग से प्रतिदेय के लिए दावा किया गया। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए अर्थात् शेष वर्षों के लिए सनदी लेखाकार की सहायता से यह मामला प्रक्रियाधीन है।
5.	बोर्ड ने चालू खाते के अंतर्गत रु. 12.95 करोड़ बृहत राशि शेष रखी है। बोर्ड ने अधिकाधिक प्रतिदेय निधि पाने के उद्देश्य से निवेश पॉलीसी भी नहीं की है।	बोर्ड के अनुदान राशि त्रैमासिक प्राप्त होती है, जिसे, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन, व्यय सभी 52 इकाईयों तथा मुख्यालय हेतु वेतन भुगतान सहित इ. के लिए संवितरण की जाती है। इस अनुदान राशि को, बोर्ड की स्थिति को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वेतन, सेवानिवृत्ति, हितलाभ का भुगतान इ. के लिए 2-3 महिनों के भीतर ही व्यय की जाती है। इसलिए, इस प्राप्त अनुदान राशि का निवेश नहीं किया जा सकता। तथापि, निवेश के उद्देश्य से अनुदान राशि प्राप्त नहीं होती है।
6.	तत्संबंधित खाता बही के अनुसार, बोर्ड ने अब तक व्यवसाय कर के रूप में अपने कर्मचारियों से वसूली की गई राशि क्रमशः रु.4.07 लाख राशि को सरकारी खाते में जमा नहीं की गई। फिर भी, तुलन पत्र (अनुसूची- 7 चालू देयताएँ अन्य जमा राशि) रु. 1.42 लाख व्यवसाय कर के रूप में देय दर्शाती है। रु. 1.38 लाख राशि मात्र चालू वर्ष से संबंधित है तथा वर्ष 01.04.2017 के पहले रु. 2.88 लाख राशि शेष अदल राशि के रूप में है। वार्षिक लेखा के अनुसार, बोर्ड ने चालू वर्ष के दौरान रु. 0.20 लाख मात्र का ही भुगतान किया है। बही खाते में दर्शाये गए आँकड़े, तुलनपत्र में दर्शाए गए आँकड़ों से समरूप नहीं है, और इस विसामान्यता के लिए बोर्ड के पास कोई कारण नहीं है।	वर्ष 2017-18 के लिए प्रोफेशन टैक्स लेजर को लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया जिसमें केवल मुख्यालय से संबंधित व्यवहार को ही बताया गया है। खाताबही के अनुसार रु. 287786/- राशि अथ शेष है। इसके अलावा भी, वसूली की गई राशि रु. 117910/- तथा रद्द किए गए चेक की राशि रु. 20,200/- इ. को भी जोड़ा गया है। बोर्ड ने, मई, 2017 के दौरान, रु. 18800/- राशि बैंक में जमा किए है, बैंक ने भी इस राशि को स्वीकृत किया गया है। दिनांक 1.6.2017 का रु. 9400/- का चेक तथा दिनांक 30.6.2017 का रु. 10800/- का चेक बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया तथा बोर्ड द्वारा इन दो चेकों को रद्द किया गया। इस तरह, अथ शेष राशि रु. 287786/- तथा रु.117910/- जमा राशि, बोर्ड ने

		<p>वास्तविक रूप में रु. 18800/- राशि मात्र जमा की है। इसलिए रु.386896/- मात्र राशि अंत शेष है। अप्रैल, 2018 तक मुख्यालय ने प्रोफेशनल टैक्स का सांविधिक देय का भुगतान तत्परता से किया है। रु. 386896/- में से रु.99710/- केवल मुख्यालय से संबंधित राशि तथा रु. 287786/- राशि क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित है, जिसे टैली खाता बही में दर्शाया गया है। वर्ष 2011-12, नवम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 तक का वेतन मुख्यालय द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भुगतान किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने तत्संबंधित लेखा खातों से वसूली भी अदा की है। मुख्यालय के लेखा खाता तैयार करने के लिए अथ शेष और अंत शेष को ध्यान में लिए बिना, बोर्ड, लेखाकरण के उद्देश्य से टैली खाता बही में केवल प्राप्तियाँ एवं भुगतान ही करता है। बोर्ड का समेकित वार्षिक लेखा को तैयार करने हेतु सभी ऑंचलिक तथा भाश्रशिसं, मुंबई के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा खाता में ही बोर्ड के मुख्यालय का लेखा खाता का विलयन किया गया है।</p> <p>प्रोफेशनल टैक्स का भुगतान केवल ऑनलाईन से ही होता है, जिसके लिए ऑन लाईन पंजीकरण की आवश्यकता है। अनेक अथक प्रयासों के बावजूद भी ऑनलाईन पंजीकरण नहीं हो पाया है। यह मामला प्रोफेशनल टैक्स विभाग की तरफ से सुलझाया जाएगा अथवा सनदी लेखाकार द्वारा इस मामले का निपटारा किया जाएगा। लेखा परीक्षा की टिप्पणी को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।</p>
7.	<p>बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के निवेश पर टीडीएस के रूप में रु. 14. 49 लाख व्यय दर्शाता है। लेखाकरण नीतियों के अनुसार टीडीएस सहित ब्याज की समग्र राशि को आय के रूप में दर्शायी जाए तथा टीडीएस, जो चालू आस्तियाँ, ग्रहण तथा अग्रिम है, इसे प्राप्य समझा जाए। सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा में आय को रु. 14. 49 लाख को तत्संबंधित चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम इ. से कम दर्शाया गया है।</p>	<p>लेखा का भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।</p>
8.	<p>चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची-7) में सामान्य भविष्य निधि अग्रिम रु.2.99 लाख क्रमशः राशि विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को</p>	<p>अनुसूची-7 के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से दर्शायी गयी रु.2.99 राशि का समाधान करने की आवश्यकता है। वर्ष 2017-18</p>

	प्रेषित की गई थी परंतु संवितरण नहीं किया गया। संवितरण हेतु वर्ष 2012-13 से इस राशि को देयता के रूप में निरंतर दर्शाया गया है और बोर्ड द्वारा इस संबंध में समाधान नहीं किया गया है।	के लिए लेखा को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रमाणीकरण के तहत है। इन आँकड़ों के समाधान को आगामी वर्ष में संपन्न किया जाएगा।
9.	बोर्ड ने भारतीय स्टेट बैंक में, पेंशन संवितरण हेतु पेंशन खाता को प्रकट नहीं किया है, 31.3.2018 तक इस पेंशन खाते में रु. 0.90 लाख राशि शेष है।	पेंशन के खाते को बैंक द्वारा रखरखाव किया जाता है। पेंशन के खाते की शेष राशि को भविष्य में लेखा की टिप्पणी में प्रकट किया जाएगा।
10.	बोर्ड ने संशोधित प्रारूप में (जीएफआर-प्रपत्र-12-क) प्रयोक्ता प्रमाणपत्र नहीं बनाया है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
11.	वर्ष के दौरान, वर्ष में चार बार, टीडीएस को 08 दिन तक भी विलंब से सरकार के खाते में भेजा जा सकता है। वेतल बिल के अनुसार, टीडीएस रु. 6.77 लाख है, फिर भी, बही खाते के अनुसार, रु. 9.23 लाख राशि का समायोजन नहीं किया गया है।	टीडीएस, नियत तारीख के पहले ही जमा किया जाता है, जब वेतन का भुगतान विलम्ब से हो या प्रशासकीय बाध्यता हो, टीडीएस को वेतन बिल से वसूली की जाती है तथा खाता बही में रु. 9,23,492/- शेष है।
12.	आय एवं व्यय लेखा के व्यय विवरण (अनुसूची-20) के अंतर्गत "अप्राप्त व्यय" में रु. 3.87 करोड़ राशि को जोड़ा गया है। बोर्ड ने समेकित व्यय आँकड़ों को दर्शाने के बजाय संगत व्यय शीर्ष के अंतर्गत व्यय को वर्गीकृत किया है ताकि, लेखा में स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहें। बोर्ड ने वार्षिक लेखा में न ही किसी प्रकार का कोई प्रकटन किया है और न ही व्यय का विस्तृत विवरण दर्शाया गया है।	बकाया व्यय के विवरण को लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भविष्य में अनुपालन हेतु नोट किया गया।
13.	बोर्ड ने समग्र/पूंजीगत निधि (अनुसूची-1) जनरल फाइनेंसियल रूल्स, 2017 के तहत रु. 2.49 करोड़ राशि मंत्रालय को सुपुर्द की है। परंतु बोर्ड ने लेखा में इस संदर्भ में कोई खुलासा नहीं किया है।	समग्र पूंजीगत निधि/व्यय से अधिक आय ही बोर्ड की देयता है। रु.2.49 करोड़ राशि विविध प्राप्तियाँ/स्वयंकोष आय, व्यय से अधिक आय है तथा इसलिए इसे प्राप्तियाँ तथा भुगतान लेखा में साथ ही तुलन पत्र के अनुसूची-1 में भी दर्शाया गया है।

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
31.03.2018 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

समग्र / पूँजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
समग्र / पूँजी निधि	1	118,226,289.21	147,108,247.42
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
उद्दिष्ट / स्थायी निधि	3, 3(क), 3(ख) & 3(ग)	321,043,174.44	265,626,240.51
प्राप्त ऋण एवं उधार	4		
अप्राप्त ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित उधार देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	66,331,173.49	79,859,132.32
कुल		505,600,633.14	492,593,620.25
आस्तियाँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
अचल आस्तियाँ	8	64,054,806.36	71,410,820.36
निवेश-उद्दिष्टित / स्थाई निधि से	9	15,214,295.00	13,705,758.00
निवेश - अन्य	10	-	-
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	426,331,531.78	407,477,041.89
विविध व्यय (बट्टे में नहीं डाली गयी अथवा समायोजित नहीं की गयी)			
कुल		505,600,633.14	492,593,620.25
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	25		

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान / सहायिकी	13	684015180.57	685387365.64
शुल्क / अंशदान	14	-	-
निवेशों से आय	15	-	-
(निधि में हस्तांतरित उद्दिष्टित/स्थायी निधि से निवेश पर आय)			
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	2513.00	11629.00
अर्जित ब्याज	17	1,169,673.00	1,324,729.00
अन्य आय	18	2,380,206.02	2,993,247.83
समायोजित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जमा मूल्यहास	19	9879.00	36939.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास		7,359,514.00	8699103.18
		0.00	0.00
कुल (क)		694936965.59	698453013.65
व्यय			
गैर-योजना व्यय	20	684171989.32	593048917.81
योजना व्यय	21	0.00	92338447.83
आई.एल.ओ. व्यय	22	-	-
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य राजस्व व्यय	23	-	-
मूल्यहास (अनुसूची-8 के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर निवल योग)		7,359,514.00	8699103.18
पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास		0.00	0.00
कुल (ब)		691531503.32	694086468.82
व्यय से आय अधिक होने से शेष (क-ख) विशेष आरक्षित में हस्तांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/को हस्तांतरण		-	-
अधिशेष/ (घाटा) होने से समग्र/ पूँजी निधि में रखा गया शेष		3405462.27	4366544.83
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24	-	-
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणी	25	-	-

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 1-समग्र/पूँजी निधि:	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	147108247.42		145894912.05	
जोड़ें : समग्र / पूँजी निधि में अंशदान				
1. भवन	-		-	
2. मोटर एवं अन्य वाहन	-		-	
3. फर्नीचर्स			26,104.00	
4. कार्यालय उपकरण			347,474.20	
5. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	3,500.00		458,159.00	
6. पुस्तकालय पुस्तकें			2,935.00	
7. दृश्य-श्रव्य-साधन			36,000.00	
8. पिछले वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा				
9. वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम			240,000.00	
10. भवन निर्माण के लिए जमा			2,956,717.00	
11. आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित निवल आय शेष	3,405,462.27		4,366,544.83	
12. पिछले वर्षों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा	1,515,443.52	150,517,209.60	1,515,443.52	155,844,289.60
कुल	150,517,209.60	150,517,209.60	155,844,289.60-	155,844,289.60
घटाएं :				
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा समायोजित/वापसी	9,879.00		36,939.00	
2. पिछले वर्ष के लिए मूल्यहास				
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियाँ				
4. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	7,359,514.00		8,699,103.00	
5. व्यय से अधिक आय				
6. पिछले वर्ष के लिए सहायता अनुदान समायोजन	-		-	
7. पिछले वर्ष के लिए राजस्व व्यय	24,921,531.48		-	
कुल	32,290,924.48	32,290,924.48	8,736,042.18	8,736,042.18
वर्ष के अन्त में शेष	118,226,285.21	118,226,285.21	147,108,247.42	147,108,247.42

हस्ता /-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता /-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता /-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता /-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष	चालू वर्ष की राशि		पिछले वर्ष की राशि	
1. आरक्षित पूँजी : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. विशेष आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4. सामान्य आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3-उद्दिष्ट/स्थायी निधि	निधिवार ब्यौरा- चंदा		निधिवार ब्यौरा-स्वयंकोष निर्माण		कुल	कुल
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष ख) निधि में जोड़:	2029726.88	1899844.88	1556346362.22	147712472.22	149612317.10	149612317.10
i) चंदा/अनुदान/निधि ii) ब्याज iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें) iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि v) प्रोद्भूत ब्याज vi) प्रोद्भूत आय vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त	129963.00	130712.00	8412819.00	8084829.00	8215541.00	8215541.00
vi) घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष) vii) घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)	94748.00	88829.00	3891828.00	4474478.00	4563307.00	4563307.00
	88829.00	89659.00	4474478.00	4637143.00	4726802.00	4726802.00
कुल (क+ख)	2165608.88	2029726.88	163464805.22	155634636.22	165630414.10	157664363.10
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय 1. पूँजी व्यय - स्थिर आस्तियाँ - अन्य कुल 2. राजस्व व्यय - वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ. - किराया - अन्य प्रशासनिक व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ ख+ग)	2165608.88	2029726.88	163464805.22	155634636.22	165630414.10	157664363.10

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(क) – उद्दिष्ट/स्थायी निधि	गृह निर्माण अग्रिम लेखा		अन्य- सीटीपी लेखा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष ख) निधि में जोड़:	15201635.38	14178124.38	72379657.00	58762217.75	87581292.38	72940342.13
i) चंदा/अनुदान/निधि			6999441.00	8779927.00	6999441.00	8779927.00
ii) ब्याज	1,270,735.00	937,270.00	4871915.50	3735198.25	6142650.50	4672468.25
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	954,053.00	968,521.00	2750993.00	2997093.00	3705046.00	3965614.00
vi) प्रोद्भूत आय			1007909.00	738600.00	1007909.00	738600.00
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त घटाएं: पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि						
vi) घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	968,521.00	882,280.00	2,997,093.00	1,567,779.00	3965614.00	2450059.00
vii) घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)			738,600.00	1,065,600.00	738600.00	1065600.00
कुल (क+ख)	16457902.38	15201635.38	84274222.50	72379657.00	100732124.88	87581292.38
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ ख+ग)	16457902.38	15201635.38	84274222.50	72379657.00	100732124.88	87581292.38

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(ख) – उद्दिष्ट/स्थायी निधि	सहायता अनुदान		मनरेगा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष ख) निधि में जोड़:	18707240.03	16463667.08	725077.00	725077.00	19432317.03	17188744.08
i) चंदा/अनुदान/निधि ii) ब्याज iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें) iv)बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि v) प्रोद्भूत ब्याज vi) प्रोद्भूत आय vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त घटाएं:पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि vi)घटाएं:प्रोद्भूत ब्याज(पिछले वर्ष) vii)घटाएं:प्रोद्भूत आय(पिछले वर्ष) viii)घटाएं: मंत्रालय द्वारा उपयोग /समायोजन	733700000.00	733700000.00			733700000.00	708142894.08
	18688139.29	18688139.29			18688139.00	16444566.29
कुल (क+ख)	708161994.87	708161994.87	725077.00	725077.00	734444178.03	708887071.87
ग)निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय 1. पूँजी व्यय – स्थिर आस्तियाँ – अन्य कुल 2. राजस्व व्यय –वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ. – किराया – अन्य प्रशासनिक व्यय	3,500.00 0.00 563356808.75 120658371.82	870672.20 3196717.00 552994665.00 132392700.64			3,500.00 0.00 563356808.75 120658371.82	870672.20 3196717.00 552994665.00 132392700.64
कुल (ग)	684018680.57	689454754.84	-	-	684018680.57	689454754.84
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ ख+ग)	49700420.46	18707240.03	725077.00	725077.00	50425497.46	19432317.08

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोडे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(ग) – उद्दिष्ट/स्थायी निधि	मेगा आयोजन		मनरेगा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतशेष ख) निधि में जोड़:	948268.00	948268.00	3289200.00		4237468.00	948268.00
i) चंदा/अनुदान/निधि ii) ब्याज iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें) iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि v) प्रोद्भूत ब्याज vi) प्रोद्भूत आय vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त घटाएं: पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि vi) घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष) vii) घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष) viii) घटाएं: मंत्रालय द्वारा उपयोग / समायोजन			17670.00		17670.00	
कुल (क+ख)	948268.00	948268.00	3306870.00	0.00	4255138.00	948268.00
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय 1. पूँजी व्यय – स्थिर आस्तियाँ – अन्य कुल 2. राजस्व व्यय – वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ. – किराया – अन्य प्रशासनिक व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ग)	-	0.00	-	-	0.00	0.00
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ ख+ग)	948268.00	948268.00	3306870.00	0.00	4255138.00	948268.00

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 : प्राप्त ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. केन्द्र सरकार				
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)				
3. वित्तीय संस्थान				
क) मियादी ऋण				
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
4. बैंक				
क) मियादी ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण				
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र				
7. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 : अप्राप्त ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान 4. बैंक : क) मियादी ऋण ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) 5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण 6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र 7. मियादी जमा 8. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय		

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 : आस्थगित उधार देयताएं	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूँजीगत उपकरण एवं अन्य आस्तियों की मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	शून्य
ख) अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय		

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 : चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क. नई पेंशन योजना खाते में नई पेंशन योजना राशि अंतरणीय	0.00		0.00	
ख. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम परिव्यय देयताएं	298,829.00		298,829.00	
ग. अवितरित राशि	8,593,347.29		6,725,293.12	
घ. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं वसूली / वसूल की गई राशि	3,738,436.00		7,277,112.00	
ङ. अन्य जमा	5,901,568.79		5,877,696.79	
च. विविध ऋणदाता (उपदान / सेवानिवृत्ति लाभ)	47,158,709.00		59,206,562.00	
छ. एम.ए.सी.पी. सवितरण करने हेतु प्रावधान	0.00		0.00	
ज. बोर्ड द्वारा गृह निर्माण अग्रिम में अंतरित गृ.नि.अ. वसूली	640,283.41		473,639.41	
		66,331,173.49		79,859,132.32
कुल (क)	66,331,173.49	66,331,173.49	79,859,132.32	79,859,132.32
ख) प्रावधान				
1. कराधान हेतु				
2. उपदान				
3. अधिवर्षिता / पेंशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. संचित छुट्टी भुगतान				
5. व्यापार प्राधिकरण / दावे - मैचिंग अनुदान				
कुल (क + ख)	66,331,173.49	66,331,173.49	79,859,132.32	79,859,132.32

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 8: अचल आस्तियों का विवरण	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	आरंभ में लागत /मूल्यांक	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के दौरान मूल्यांकन	प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष तक कुल	चालू वर्ष में	पिछले वर्ष में
क. अचल आस्तियाँ										
1. भूमि	4,229,521.00	-	-	4,229,521.00					4,229,521.00	4,229,521.00
2. भवन 10%	53,336,156.01	-	-	53,336,156.01	5,333,616.00			5,333,616.00	48,002,540.01	53,336,156.01
दिल्ली भवन 10%	-	-	-	-	-			-	-	-
3. मोटर एवं अन्य वाहन 15%	699,033.17	-	-	699,033.17	104,855.00			104,855.00	594,178.17	699,033.17
4. फर्नीचर्स 10%	6,016,982.92	-	-	6,016,982.92	601,698.00			601,698.00	5,415,284.92	5,016,982.92
5. कार्यालय उपकरण 15%	5,461,020.24	-	-	5,461,020.24	819,153.00			819,153.00	4,641,867.24	5,461,020.24
6. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स 60%	409,303.36	3,500.00	-	412,803.36	247,682.00	2,100.00		249,782.00	163,021.36	409,303.36
7. पुस्तकालय पुस्तकें 60%	136,865.00	-	-	136,865.00	82,119.00			82,119.00	54,746.00	136,865.00
8. दृश्य-श्रव्य साधन 15%	1,121,938.66	-	-	1,121,938.66	168,291.00			168,291.00	953,647.66	1,121,938.66
योग: चालू वर्ष	71,410,820.36	3,500.00	-	71,414,320.36	7,357,414.00	2,100.00	-	7,359,514.00	64,054,806.36	70,410,820.36
पिछले वर्ष										
प्रगति में कार्य पूँजी	-									
कुल	71,410,820.36							7,359,514.00	64,054,806.36	70,410,820.36

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 : उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	शून्य	शून्य
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें): पब्लिक सेक्टर बंधपत्र /		
निवेश:		
1) स्व.को.नि.	4,129,586.00	3,716,888.00
2) सीटीपी लेखा	7,147,409.00	6,433,118.00
3) गृह निर्माण अग्रिम खाता	3,937,300.00	3,555,752.00
कुल	15,214,295.00	13,705,758.00

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोडे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10: निवेश : अन्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर	शून्य	शून्य
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें) पब्लिक सेक्टर बंधपत्र / राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा		
निवेश :		
कुल	0.00	0.00

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमि क शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क) 1. वस्तु सूची : क. भण्डार एवं अतिरिक्त ख. अबद्ध उपकरण स. व्यापार में माल – तैयार माल – कार्य प्रगति – कच्चा माल 2. विविध ऋणी : क. छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण ख. अन्य 3. हाथ रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित) 4. बैंक में शेष : क. अनुसूचित बैंकों में : – चालू खाता पर – जमा खाता पर (अतिरिक्त धन सहित) – बचत खाता पर ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में : – चालू खाता पर – जमा खाता पर – बचत खाता पर 5. पारगमन में प्रेषित धन 6. अं.श्र.सं. से देय राशि 7. बोर्ड के विशेष कार्यक्रम से देय राशि	191673.30	191673.30	101382.55	101382.55
	129498528.17		83471538.55	
	222278450.00		198906320.00	
	965705.47	352742684.64	872299.97	283250158.82
	1910231.84	1910231.84	51634778.82	51634778.82
	-	-	-	-
	-	-	-	-
कुल (क)	354844589.78	354844589.78	334986319.89	334986319.89

हस्ता / –
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / –
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / –
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / –
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2018 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ख. 1. ऋण				
क. कर्मचारी (1) वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम	953,159.00	953,159.00	1374767.00	1374767.00
ख. गतिविधियों / उद्देश्यों में समाहित अन्य समरूप अस्तित्व				
स. अन्य (उल्लेख करें)				
2. नकद एवं माल के रूप में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि				
क. पूँजीगत लेखा पर	26,873,034.00		26882913.00	
ख. पूर्व भुगतान				
स. अन्य	21,250.00	26,894,284.00	21250.00	26904163.00
3. प्रोद्भूत आय :				
क. उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर	7,709,292.00-	-	-	-
ख. निवेशों पर – अन्य (गृ.नि.अ.)				
ग. ऋण एवं अग्रिम पर				
घ. अन्य (प्रबंधनों से स्व.को.नि./सीटीपी लेखा) (अप्राप्य देय आय रु.सहित)	1,007,909.00	8,717,201.00	738600.00 42073421.00	738600.00
4. प्राप्त होने वाले दावे				
क. सामान्य भविष्य निधि				
ख. नई पेंशन योजना				
ग. अनुदान, स्व.को.नि., गृ.नि. एवं सी.टी.पी. खाता	34,922,298.00	34,922,298.00	3473192.00	43473192.00
ड. मंत्रालय से प्राप्त मैचिंग अनुदान				
कुल (ख)	71,486,942.00	71,486,942.00	72,490,722.00	72,490,722.00
कुल (क+ख)	426,331,531.78	426,331,531.78	407,477,041.89	407,477,041.89

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोडे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
	शून्य	शून्य
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) अभिकरण आढ़त एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवा (उपस्कर / सम्पत्ति)	-	-
ङ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
विज्ञापन प्राप्ति		
कुल	शून्य	शून्य

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर		
2017-18 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची		
		(राशि रु. में)
अनुसूची 13 – अनुदान/ सहायिकी	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
क) योजना		112,028,852.29
ख) गैर – योजना	-	655,500,000.00
ग) वेतन	563,200,000.00	-
घ) सामान्य	95,000,000.00	
ङ) एससीएसपी	32,550,000.00	
च) टीएसपी	16,950,000.00	
छ) उत्तर-पूर्व	16,000,000.00	
ज) उत्तर-पूर्व व्यय	10,000,000.00	-
	733,700,000.00	767,528,852.29
जोड़ें : पिछले वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान		
	-	-
	-	-
घटाएं : 1) अगले वर्ष हेतु चालू शेष		
2) चालू वर्ष हेतु अव्ययित शेष	49,681,319.43	18,688,139.24
3) पूँजी व्यय	3,500.00	4,067,139.24
4) (i) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता योजना अनुदान	-	21,269,710.25
(ii) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता गैर-योजना अनुदान	-	38,116,247.96
कुल	684,015,180.57	685,387,365.64

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोडे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिये आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. परिसंवाद / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : प्रत्येक मद हेतु लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी है		

हस्ता / -
 (एस. के. बेहरा)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (आर.वी.बानुबाकोडे)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सुभाष कुमार)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (हर्ष वैद्य)
 निदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/ वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में.)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	उद्दिष्टित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(निधि हेतु अंतरित उद्दिष्टित / स्थायी निधि से निवेश पर आय)				
1. ब्याज क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बंधपत्रों/ ऋण पत्रों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. लाभांश क. शेयरों पर ख. म्युच्युअल फण्ड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उद्दिष्टित/ स्थायी निधि में अंतरित				

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) प्रकाशनों से आय	2,513.00	11,629.00
2) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	2,513.00	11,629.00

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आवधिक जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों से ख) अन-अनुसूचित बैंकों से ग) संस्थानों से घ) अन्य 2. बचत खाते पर : क) अनुसूचित बैंकों से ख) अन-अनुसूचित बैंकों से ग) डाक कार्यालय बचत खाता घ) अन्य 3. ऋण पर : क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग ख) अन्य 4. कर्जदारों तथा अन्य स्वीकार्य पर ब्याज	1,169,673.00	1,324,729.00
कुल	1,169,673.00	1,324,729.00
टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।		

हस्ता/-
 (एस. के. बेहरा)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (आर.वी.बानुबाकोर्डे)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सुभाष कुमार)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (हर्ष वैद्य)
 निदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) आस्तियों की बिक्री / विक्रय पर लाभ : क) अनुदानों से अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध प्राप्तियाँ	2,380,206.02	2,993,247.83
4) पिछले वर्षों की विविध आय से व्यय की गई राशि	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रयोग में लाई गई राशि	-	-
कुल	2,380,206.02	2,993,247.83

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 –तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास) तथा प्रगति में कार्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	रु.	रु.
क) अंतिम स्टॉक – तैयार माल – प्रगति में कार्य लो.नि.वि. जमा समायोजित/ धन वापसी	9,879.00	36,939.00
ख) घटाएं : आरम्भिक स्टॉक – तैयार माल – प्रगति में कार्य		
निवल वृद्धि / (ह्रास) (क – ख)	9,879.00	36,939.00

हस्ता/—
 (एस. के. बेहरा)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (आर.वी.बानुबाकोडे)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (सुभाष कुमार)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (हर्ष वैद्य)
 निदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 - योजना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) कार्यालय व्यय :	राशि	राशि
1. वेतन	529,056,274.75	516,157,185.00
2. सामान्य (कार्यालय व्यय एवं सामान्य)	78,993,104.17	96,216,955.74
3. एससीएसपी	19,832,912.53	17,275,215.33
4. टीएसपी	6,925,413.87	6,095,185.02
5. उत्तर पूर्व	10,682,466.00	13,790,016.75
6. सामान्य आस्तियाँ		3,196,717.00
5. उत्तर पूर्व आस्तियाँ		
	645,490,171.32	652,737,274.84
घटाएं : स्थिर आस्तियाँ		
क. कार्यालय उपकरण	-	347,474.20
ख. फर्नीचर	-	26,104.00
ग. पुस्तकालय की पुस्तकें		2,935.00
घ. दृश्य-श्रव्य साधन		36,000.00
ङ. संगणक	3,500.00	458,159.00
च. भवन		
छ. भूमि और भवन/डब्ल्यूआई.पी. के लिए जमा		2,186,249.00
ज. मोटर वाहन		
झ. ऋण एवं जमा		1,010,468.0
		0
घटाएं : स्थिर आस्तियाँ एवं अग्रिम	3,500.00	4,067,389.20
कुल	645,486,671.32	648,669,885.64
जोड़ें : बकाया व्यय	38,685,318.00	36,717,480.00
कुल योग	684,171,989.32	685,387,365.64

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 - योजना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) कार्यालय व्यय :	राशि	राशि
	शून्य	शून्य
	645,490,171.32	652,737,274.84
		0
कुल		

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोडे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) व्यय	-	-
ख) अव्ययित राशि से व्यय	-	-
कुल	-	-
टिप्पणी : इंदराजों के नाम, उनकी गतिविधियों सहित अनुदान/ सहायिकी राशि प्रकट करें।		

हस्ता / -
 (एस. के. बेहरा)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (आर.वी.बानुबाकोडे)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सुभाष कुमार)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (हर्ष वैद्य)
 निदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 23 – के.लो.नि.वि. रखरखाव व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एवं मुख्यालय भवन के रखरखाव के लिए किया गया व्यय	-	-
कुल	-	-

हस्ता/—
 (एस. के. बेहरा)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (आर.वी.बानुबाकोड़े)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (सुभाष कुमार)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (हर्ष वैद्य)
 निदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2016-2017 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 समागम लेखाकरण

पारम्परिक समागम लागत, यदि निश्चित नहीं हो तो, तथा लेख की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

2 स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियों का अर्जन मूल्य बताया गया है जिसमें अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा आनुषंगिक व प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।

3 मूल्यह्रास

आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार सरल प्रणाली में मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

4 निवेश

पारम्परिक लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया गया है।

5 अनुदान

सरकारी अनुदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 12 का प्रयोग किया गया।

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2017-2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 आकस्मिक देयताएं – शून्य

2 चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधक के मतानुसार चालू आस्तियाँ, ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य तभी है जब सामान्य व्यवसाय में उनकी वसूली अथवा कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल योग राशि समान हो।

3 कराधन

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय नहीं होने की दृष्टि से आयकर के प्रावधान को विचारार्थ नहीं लिया गया है।

4 जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को पुनः समूहित/क्रमबद्ध किया गया है।

5 दिनांक 31.03.2018 तथा उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार बनी तुलनपत्र के साथ संबंधित 1-25 अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

31.3.2018 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान

(रु. में)

प्राप्ति	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I. रोकड़ जमा			I. बच		
क) हाथ रोकड़	101,382.55	146,972.84	क) नै-योजना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	645,486,671.32	648,669,885.64
ख) बैंक रोष			ख) योजना व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)		
1. चारू खाते में	83,471,538.55	25,988,015.11	च) अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन व्यय (एच.आई.वी. परियोजना)		
2. जमा खाते में	212,612,078.00	191,098,695.00	घ) यू.बी.आई. - मन्रेगा कार्यक्रम		
3. बचत खाते में	872,299.97	717,746.72	ड) विविध लेनदारों को प्रदत्त (संगठित लाभ एवं सीपीसी बकाया)	50,733,171.00	15,527,660.00
4. पारमन राशि	51,634,778.82	1,088,410.50	च) विविध लेनदार को प्रदत्त		
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये भुगतान की गई राशि		
क) भारत सरकार से	733,700,000.00	767,528,852.29	प्रत्येक परियोजना की राशि पूरे विवरण सहित साथ ही परियोजना एवं निधि के नाम का उल्लेख करें)		
ख) राज्य सरकार से			III. निवेश एवं जमा		
च) अन्य स्त्रोतों से (विवरण) जैसे ओ.एन.जी.सी.	-	-	क) उद्दिष्ट/ स्थायी निधि से		
			ख) स्वयं निधि से (निवेश अन्य)		
III. से निवेशों पर आय			IV. स्थिर आस्तियों एवं भूजगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) उद्दिष्ट/ स्थायी निधि	14,685,432.50	12,888,009.25	क) स्थिर आस्तियों को खरीद :	3,500.00	870,672.20
ख) स्वयं निधि (अन्य निवेश)					
विक्रम प्राप्ति			ख) भूजि कार्य प्रगति पर व्यय :		2,956,717.00
IV. प्राप्त ब्याज			V. अवशेष धन / ऋणों की वापसी		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार को / अव्ययित वापसी	18,688,139.00	16,444,566.29
ख) ऋण, अग्रिम इ.			ख) राज्य सरकार को	24,921,531.48	
V. अन्य आय (बीरा दे)			VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
स्वयंकोष निर्माण (एस.जी.एफ.)			VII. अन्य भुगतान (बीरा दे)		
धन			क) सामान्य भविष्य निधि में जमा की गई सा.म.नि. वसूतियाँ	48,421,426.00	36,500,000.00
सीटीपी लेखा	6,999,441.00	8,779,927.00	ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम जमा भुगतान	24,421,718.00	51,856,904.00
विक्रम प्राप्ति	2,382,719.02	3,004,876.83	ग) गृह निर्माण अग्रिम संवित्तित		
सीपीडब्ल्यूई/ आईटीआईड लि. द्वारा वापसी	9,879.00	36,939.00	घ) जमा वेतन (गु.नि.अ.खता)		
VI. गृहीत राशि			ड) बोर्ड द्वारा गु.नि.अ. निधि में जमा की गई गु.नि.अ. वसूतियाँ		
VII. अन्य कोई प्राप्ति (बीरा दे)			घ) अदेय भुगतान वितरित	816,418.00	1,707,043.21
1. वेतन कटौतियाँ	588,252.00	940,851.00	च) विविध लेनदारों को प्रदत्त		
2. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं अग्रिम वसूली	44,882,750.00	45,358,960.00	च) सी.टी.पी. खाते में जमा वेतन		2,000,000.00
3. संवितरण के लिये प्राप्त राशि	25,860,804.00	36,278,366.50	घ) संवितरण के लिये प्राप्त राशि प्रदत्त	25,836,932.00	28,188,924.00
4. केन्द्रों द्वारा जमा की गई सामान्य भविष्य निधि राशि	24,421,718.00	51,856,904.00	च) संवितरित वाहन/ समगक अग्रिम		240,000.00
5. प्राप्त अदेय भुगतान	2,684,472.17	4,569,553.19	द) स्व.को.नि. खाते में जमा वेतन		
6. अनुदान खाता में बैंक द्वारा जमा ब्याज	1,169,673.00	1,324,729.00	घ) नई पैशन योजना के अंतर्गत टिप्पर - 1 वसूतियाँ	3,734,150.00	3,459,719.00
7. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (गु. नि. अ. लेखा)	3,289,200.00		ड) एस.बी.आई. गु.नि.अ. खाते से टी.डी.एस. कटौती		
8. गृह निर्माण अग्रिम कोष खाता			घ) एस.बी.आई. दान खाते से टी.डी.एस. कटौती		
क) गृह निर्माण अग्रिम खाते में जमा गृह निर्माण अग्रिम वसूतियाँ		#VALUE!	ग) एस.बी.आई. स्व.को.नि. खाते से टी.डी.एस. कटौती		
ख) गृह निर्माण अग्रिम परिष्करी कोष			घ) एस.बी.आई. सी.टी.पी. खाते से टी.डी.एस. कटौती		
ग) कर्जदार/ बैंक से प्राप्त ब्याज			घ) शुल्क वापसी संबंधी सी.टी.पी. - बी.डी.		
9. केन्द्र द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की प्राप्ति/जमा			8. अंत रोष		
10. अंशदायी भविष्य निधि हेतु वसूल की गई राशि (नई पैशन योजना)	3,756,123.00	3,506,361.00	क) हाथ रोकड़	191,673.30	101,382.55
11. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (सा.म.नि. लेखा)			ख) बैंक रोष		
12. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (यू.बी.आई.)			1) चारू खाते में (अनुदान)	129,498,528.17	83,471,538.55
13. सामान्य भविष्य निधि वेतन वसूली			2) बचत खाते में	965,706.47	872,299.97
14. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (स्व.को.नि. लेखा)		2,000,000.00	ग) जमा खाता	237,492,745.00	212,612,078.00
			घ) पारमन राशि	1,910,231.84	51,634,778.82
	1,213,122,541.58	1,157,114,169.23	कुल :	1,213,122,541.58	1,157,114,169.23

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2017-2018 के लिए सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018	राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
	अथ शेष			बैंक कमीशन	1,593.00
831,161.02	बचत खाता	1,332,778.52		चन्दा खाते में	0.00
263,748,830.00	जमा खाता	254,468,218.00		अंतरित राशि	-
			1,529,105.00	टी.डी.एस. कटौती	1,448,630.30
20,111,536.00	प्राप्त ब्याज	19,369,916.00	7,379,539.50	बोर्ड के खाते में अंतरित राशि	3,098,80.00
36,524,000.00	प्राप्त अभिदान बोर्ड से	48,421,426.00	56,505,886.00	प्रत्याहरण	26,598,859.00
	कर्मचारी से	72,000.00		अंत शेष	
	के.श्र.शि.बो. के खाता में अनुदान	3,240,639.00	1,332,778.52	बचत खाता	8,576,312.52
			254,468,218.00	जमा खाता	287,045,577.70
				ट्रांसिट जमा	135,200.00
321,215,527.02	कुल	326,904,977.52	321,215,527.02	कुल	326,904,977.52

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
सामान्य भविष्य निधि आय व्यय विवरण लेखा
वर्ष 2017-2018

व्यय			आय		
राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018	राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
20,248,349.00	प्रदत्त ब्याज	21,160,116.00	20,111,536.00	प्राप्त ब्याज	19,369,916.00
1,529,105.00	टी.डी.एस. कटौती	1,448,630.30			
	बैंक कमीशन	1,593.00	7,225,609.00	जोड़ें: प्रोदभूत ब्याज	6,787,663.00
			6,824,323.00	घटाएँ: प्रोदभूत ब्याज (पिछले वर्षों में)	7,225,609.00
	व्यय से अधिक आय		1,264,632.00	आय से अधिक व्यय	3,678,369.30
21,777,454.00	कुल	22,610,339.30	21,777,454.00	कुल	22,610,339.30

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र
वर्ष 2017-2018

देयताएँ				आस्तियाँ			
राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018	राशि 2017-2018	राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018	राशि 2017-2018
1	2	3	4	5	6	7	8
रु.		रु.		रु.		रु.	रु.
6,639,730.01	पिछले वर्ष तक व्यय से अधिक आय	5375098.01		1332778.52	बैंक शेष		8576312.52
	जोड़ें : वर्ष के दौरान						135200.00
	घटाएं : वर्तमान वर्ष हेतु	342682.00	2039410.71	254468218.00	अनुलग्नक 4 के अनुसार निवेश		287045577.70
1,264,632.00	घटाएं : पिछले वर्ष हेतु	3678369.30					
5,375,098.01							
257,385,044.00	सा.म.नि. अभिदान निधि	266486467.00					
36,524,000.00	जोड़ें : पिछले वर्षों हेतु	44954750.00		7225609.00	प्रोदभूत ब्याज		6787663.00
8,834,960.00	बोर्ड से प्राप्त होने वाला अंशदान						
56,505,886.00	घटाएं : प्रत्याहरण	26598859.00					
20,248,349.00	जोड़ें : प्रदत्त ब्याज	21160116.00	305659792.00		बोर्ड के सा.म.नि. खाते में जमा		
266486487.00	जोड़ें : अंशदायी भविष्य निधि से	342682.00					
0.00	बोर्ड खाते में अदितरित भुगतान			8834960.00	प्राप्त होने वाली राशि	8834960.00	5154450.00
	घटाएं : अनवितरित				जोड़ें वर्ष के दौरान	3680510.00	
0.00					घटाएं : प्राप्त		
0.51	स्वयं कोष निर्माण में अंतरणीय		0.51				
7,379,539.50	बोर्ड के खाते में अंतरणीय	0.00					
	जोड़ें : वर्ष के दौरान	0.00					
7,379,539.50	घटाएं : अंतरणीय अभिदान	0.00					
7,379,539.50							
0.00	अंशदायी भविष्य निधि में बोर्ड का अंशदान						
	जोड़ें : बोर्ड से प्राप्त होनेवाली राशि						
271861565.52	कुल		307699203.22	271861565.52	कुल		307699203.22

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
जमा और बचत खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	ब्यौरा	31.3.2018 को	31.3.2018 को	31.3.2017 को	31.3.2017 को
		बचत खाता	जमा खाता	बचत खाता	जमा खाता
1	चन्दा	1,599.88	2,069,261.00	1,541.88	1,939,356.00
2	गृ.नि.अ. निधि	68,488.38	18,153,015.00	66,228.38	16,884,540.00
3	स्वयंकोष निर्माण	313,575.71	134,117,058.00	302,315.71	125,715,499.00
4	सीटीपी लेखा	582,042.00	79,864,211.00	502,214.00	68,072,683.00
5	टीडीएस वापसी	0.00	3,289,200.00		
	कुल	965,706.47	237,492,745.00	872,299.97	212,612,078.00

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2018 को जमा गृह निर्माण अग्रिम विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	गृ.नि. अ.	भारतीय स्टेट बैंक	35749771382	01 वर्ष	6.90 %	3,201,135.00	05.05.2017	05.05.2018	184,008.00
2	गृ.नि. अ.	भारतीय स्टेट बैंक	35751766061	01 वर्ष	6.90 %	8,915,072.00	06.05.2017	06.05.2018	510,821.00
3	गृ.नि. अ.	भारतीय स्टेट बैंक	35490011740	01 वर्ष	6.25 %	2,099,508.00	06.01.2018	06.01.2019	27,883.00
4	गृ.नि. अ.	भारतीय स्टेट बैंक	31684092595	555 दिन	6.75 %	3,937,300.00	21.04.2017	28.10.2018	231,341.00
			कुल योग			18,153,015.00			954,043.00

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2018 को जमा चन्दा का ब्यौरा

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	30155784880	01 वर्ष	6.90%	143,529.00	9.4.2017	10.4.2018	15,372.00
2	अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	35976362610	01 वर्ष	6.75%	1,925,732.00	31.7.2017	31.7.2018	79,376.00
			कुल योग			2,069,261.00			94,748.00

हस्ता / -
 (एस. के. बेहरा)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (आर.वी.बानुबाकोडे)
 प्रभारी लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सुभाष कुमार)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (हर्ष वैद्य)
 निदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2018 को जमा स्वयंकोष निर्माण का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	31669981389	555 दिन	6.75%	4,129,586.00	11.4.2017	18.10.2018	249,966.00
2	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35743289098	1 वर्ष	6.90%	5,335,226.00	2.5.2017	2.5.2018	309,619.00
3	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35743290149	1 वर्ष	6.90%	5,228,523.00	2.5.2017	2.5.2018	303,427.00
4	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35745606061	1 वर्ष	6.90%	5,335,227.00	3.5.2017	3.5.2018	308,640.00
5	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35745604586	1 वर्ष	6.90%	5,228,522.00	3.5.2017	3.5.2018	302,467.00
6	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35747156585	1 वर्ष	6.90%	3,435,706.00	4.5.2017	4.5.2018	198,123.00
7	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34053240121	1 वर्ष	6.75%	3,987,505.00	13.8.2017	13.8.2018	155,212.00
8	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	33207734557	1 वर्ष	6.75%	1,875,780.00	13.8.2017	13.8.2018	73,014.00
9	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197907570	1 वर्ष	6.75%	944,120.00	1.9.2017	1.9.2018	33,915.00
10	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197905062	1 वर्ष	6.75%	944,120.00	1.9.2017	1.9.2018	33,915.00
11	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197905890	1 वर्ष	6.75%	944,120.00	1.9.2017	1.9.2018	33,915.00
12	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35197903961	1 वर्ष	6.75%	944,120.00	1.9.2017	1.9.2018	33,915.00
13	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	36086335204	1 वर्ष	4.25%	10,553,699.00	8.9.2017	8.9.2018	229,801.00
14	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	36077357274	1 वर्ष	4.25%	10,553,699.00	8.9.2017	8.9.2018	229,801.00
15	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	36079868628	1 वर्ष	4.25%	10,553,699.00	8.9.2017	8.9.2018	229,801.00
16	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	36091268636	1 वर्ष	4.25%	10,553,698.00	8.9.2017	8.9.2018	229,801.00
17	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	36094119421	1 वर्ष	6.75%	3,027,491.00	8.9.2017	8.9.2018	105,138.00
18	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34434706816	1 वर्ष	6.25%	4,069,358.00	15.11.2017	15.11.2018	86,611.00
19	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	33498509345	1 वर्ष	6.25%	8,931,994.00	15.11.2017	15.11.2018	190,106.00
20	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35410594066	1 वर्ष	6.25%	5,674,490.00	14.12.2017	14.12.2018	95,653.00
21	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35410594282	1 वर्ष	6.25%	5,560,999.00	14.12.2017	14.12.2018	93,741.00
22	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408087094	1 वर्ष	6.25%	5,674,490.00	14.12.2017	14.12.2018	95,653.00
23	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408096756	1 वर्ष	6.25%	5,560,999.00	14.12.2017	14.12.2018	93,741.00
24	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35408096756	1 वर्ष	6.25%	7,685,486.00	14.12.2017	14.12.2018	129,553.00
25	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35412957940	1 वर्ष	6.25%	292,740.00	14.12.2017	14.12.2018	4,888.00
26	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	35412956924	1 वर्ष	6.25%	292,740.00	15.12.2017	15.12.2018	4,888.00
27	स्वयंकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	34740902209	1 वर्ष	6.25%	6,798,921.00	26.2.2018	26.2.2019	36,524.00
			कुल योग			134117058.00			3891828.00

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोई)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को सामान्य भविष्य निधि निवेश का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	निवेशित राशि
1	2	3
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा	39,349,925.00
2	राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा	247.695,652.70
	कुल	287,045,577.70

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/03/2018 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	खाता संख्या	निवेशित राशि
1	2	3	4
1	विशेष जमा	एस.डी.एस. - 6	39,349,925.00

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2018 को सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोदभूत ब्याज
1	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	31693038150	555 दिन	6.75%	7,508,164.00	27.4.2017	3.11.2018	433,159.00
2	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	1034106000032221	1 वर्ष	6.40%	6,761,166.70	6.5.2017	6.5.2018	448,432.00
3	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35032720579	1 वर्ष	6.90%	6,304,248.00	27.6.2017	27.6.2018	304,313.00
4	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35032718628	1 वर्ष	6.90%	6,304,248.00	27.6.2017	27.6.2018	304,313.00
5	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35976362610	1 वर्ष	6.75%	3,409,093.00	31.7.2017	31.7.2018	140,517.00
6	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456988924	1 वर्ष	4.25%	10,155,363.00	31.7.2017	31.7.2018	262,119.00
7	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456989767	1 वर्ष	4.25%	10,155,363.00	31.7.2017	31.7.2018	262,119.00
8	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32456975368	1 वर्ष	6.75%	3,131,690.00	31.7.2017	31.7.2018	129,083.00
9	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35980280253	1 वर्ष	6.75%	5,228,130.00	1.8.2017	1.8.2018	214,573.00
10	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35121878365	1 वर्ष	6.75%	140,616.00	1.8.2017	1.8.2018	5,770.00
11	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34174367627	1 वर्ष	6.75%	8,893,164.00	9.9.2017	9.9.2018	307,324.00
12	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34303159385	1 वर्ष	6.50%	4,918,199.00	13.10.2017	13.10.2018	135,279.00
13	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34303154343	1 वर्ष	6.50%	4,918,199.00	13.10.2017	13.10.2018	135,279.00
14	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	479003030092410	1 वर्ष	6.75%	7,489,754.00	19.10.2017	19.10.2018	521,176.00
15	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	479003030092409	1 वर्ष	6.75%	7,489,753.00	19.10.2017	19.10.2018	521,176.00
16	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	479003030088198	1 वर्ष	6.75%	7,754,566.00	19.10.2017	19.10.2018	539,602.00
17	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406052593	1 वर्ष	6.25%	5,136,359.00	11.11.2017	11.11.2018	112,618.00
18	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34406016269	1 वर्ष	6.25%	6,142,797.00	11.11.2017	11.11.2018	134,684.00
19	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35399979647	1 वर्ष	6.25%	5,674,456.00	9.12.2017	9.12.2018	100,058.00
20	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35399981001	1 वर्ष	6.25%	5,560,967.00	9.12.2017	9.12.2018	98,056.00
21	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412932696	1 वर्ष	6.25%	885,202.00	10.12.2017	10.12.2018	15,470.00
22	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35401177532	1 वर्ष	6.25%	5,674,482.00	13.12.2017	13.12.2018	96,534.00
23	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35401177893	1 वर्ष	6.25%	5,560,992.00	13.12.2017	13.12.2018	94,604.00
24	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412933316	1 वर्ष	6.25%	885,280.00	14.12.2017	14.12.2018	14,922.00
25	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34506666485	1 वर्ष	6.25%	3,031,889.00	14.12.2017	14.12.2018	51,108.00
26	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35405683964	1 वर्ष	6.25%	5,674,490.00	14.12.2017	14.12.2018	95,653.00
27	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35405684991	1 वर्ष	6.25%	5,560,999.00	14.12.2017	14.12.2018	93,741.00
28	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35412934229	1 वर्ष	6.25%	885,301.00	15.12.2017	15.12.2018	14,786.00
29	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	32718970013	1 वर्ष	6.25%	7,153,540.00	19.12.2017	19.12.2018	115,033.00
30	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36331360154	1 वर्ष	6.25%	5,211,953.00	20.12.2017	20.12.2018	83,002.00
31	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36331339814	1 वर्ष	6.25%	5,318,320.00	20.12.2017	20.12.2018	84,696.00
32	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36335536317	1 वर्ष	6.25%	5,318,322.00	21.12.2017	21.12.2018	83,871.00
33	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	36335489233	1 वर्ष	6.25%	5,211,956.00	21.12.2017	21.12.2018	82,193.00
34	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35439359734	1 वर्ष	6.25%	5,674,603.00	28.12.2017	28.12.2018	83,322.00
35	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35439360422	1 वर्ष	6.25%	5,561,110.00	28.12.2017	28.12.2018	81,656.00
36	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442537566	1 वर्ष	6.25%	885,609.00	29.12.2017	29.12.2018	12,866.00
37	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35431254117	1 वर्ष	6.25%	5,674,603.00	29.12.2017	29.12.2018	83,322.00
38	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35431255031	1 वर्ष	6.25%	5,561,110.00	29.12.2017	29.12.2018	81,656.00
39	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442539290	1 वर्ष	6.25%	885,609.00	29.12.2017	29.12.2018	12,866.00
40	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35426667915	1 वर्ष	6.25%	5,674,603.00	29.12.2017	29.12.2018	83,322.00
41	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35426668635	1 वर्ष	6.25%	5,561,110.00	29.12.2017	29.12.2018	81,656.00
42	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442538854	1 वर्ष	6.25%	885,609.00	29.12.2017	29.12.2018	12,866.00
43	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35424672983	1 वर्ष	6.25%	5,674,603.00	28.12.2017	29.12.2018	83,322.00
44	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35424673908	1 वर्ष	6.25%	5,561,110.00	28.12.2017	29.12.2018	81,656.00
45	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	35442538297	1 वर्ष	6.25%	219,341.00	29.12.2017	29.12.2018	3,186.00
46	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	34552534703	1 वर्ष	6.25%	2,328,806.00	29.12.2017	29.12.2018	34,194.00
47	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37615580230	1 वर्ष	6.40%	3,098,805.00	27.3.2017	27.3.2018	2,425.00
48	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37614735323	1 वर्ष	6.40%	5,000,000.00	26.3.2018	26.3.2019	4,695.00
49	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37614735753	1 वर्ष	6.40%	6,000,000.00	26.3.2018	26.3.2019	5,634.00
50	सा.म.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	37614716923	1 वर्ष	6.40%	4,000,000.00	26.3.2018	26.3.2019	3,756.00
			कुल योग			247695652.70			6787663.00

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत टेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2018 को राष्ट्रीयकृत बैंक सहित सी.टी.पी. लेखा जमा का विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35746991323	1 वर्ष	6.90%	6,402,272.00	4.5.2017	4.5.2018	369,192.00
2	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35749772126	1 वर्ष	6.90%	7,364,713.00	5.5.2017	5.5.2018	423,340.00
3	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	33049854690	1 वर्ष	6.90%	7,386,395.00	10.6.2017	10.6.2018	378,855.00
4	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35970177372	1 वर्ष	6.75%	5,334,814.00	24.7.2017	24.7.2018	225,782.00
5	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	33989292878	1 वर्ष	6.75%	3,716,393.00	24.7.2017	24.7.2018	157,286.00
6	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	33989290676	1 वर्ष	6.75%	639,671.00	24.7.2017	24.7.2018	27,071.00
7	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35972410490	1 वर्ष	6.75%	5,228,119.00	25.7.2017	25.7.2018	220,354.00
8	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35115108213	1 वर्ष	6.75%	3,430,434.00	31.7.2017	31.7.2018	141,397.00
9	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35121870739	1 वर्ष	6.75%	943,722.00	01.08.2017	01.08.2018	38,732.00
10	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	36138526677	1 वर्ष	6.75%	4,690,588.00	29.9.2017	29.9.2018	146,080.00
11	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	31669956953	555 दिन	6.75%	7,147,409.00	11.4.2017	11.4.2018	432,638.00
12	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	37288026437	1 वर्ष	6.25%	3,500,000.00	8.11.2017	8.11.2018	78,425.00
13	सीटीपी-जी	विजया बैंक	5.06703E+14	1 वर्ष	6.50%	5,507,025.00	10.1.2018	10.1.2019	80,829.00
14	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	36548640588	1 वर्ष	6.25%	3,510,160.00	16.2.2018	16.2.2019	24,403.00
15	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	37614679015	1 वर्ष	6.40%	3,500,000.00	26.3.2018	26.3.2019	3,286.00
16	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35664282843	1 वर्ष	6.40%	4,540,155.00	30.3.2018	30.3.2019	1,421.00
17	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	35664284432	1 वर्ष	6.40%	5107675.00	30.3.2018	30.3.2019	1,599.00
18	सीटीपी-जी	भारतीय स्टेट बैंक	36729987876	1 वर्ष	6.40%	1914666.00	31.3.2018	31.3.2019	303.00
			कुल योग			79864211.00			2750993.00

हस्ता / -
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.तें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी.बानुबाकोर्डे)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.तें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.तें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.तें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2018 को टीडीएस जमा चन्दा का ब्यौरा

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
1	टीडीएस अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	37559315081	01 वर्ष	6.25%	3,289,200.00	28.2.2018	26.2.2019	17,670.00
			कुल योग			3,289,200.00			17,670

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोड़े)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2017-18 के लिए नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

राशि 2016-2017	प्राप्तियाँ		भुगतान		
	विवरण	राशि 2017-2018	राशि 2016-2017	विवरण	राशि 2017-2018
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
131372.15	अथ शेष बचत खाता जमा	73230.15			
4132.00	पारगमन में प्रेषित धन	4132.00			
13004.00	प्राप्त ब्याज	7716.00	6990584.00	नई पेंशन योजना खाते	7468300.00
3459719.00	कर्मचारी अंशदान टियर-1 में	3734150.00		से राशि स्थानांतरित	
3459719.00	बोर्ड का अंशदान टियर-1 में	3734150.00	73230.15	शेष देय राशि बचत खाता जमा	80946.15
-		-	4132.00	पारगमन में प्रेषित धन	4132.00
7067946.15	कुल	7553378.15	7067946.15	कुल	7553378.15

हस्ता/-
(एस. के. बेहरा)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(आर.वी.बानुबाकोई)
प्रभारी लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सुभाष कुमार)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
निदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर